ISSN-2319-9997
Volume: II, Issue: 1 & 2, Year: 2013

Journal of Nehru Gram Bharati University

Published By
Nehru Gram Bharati Deemed to be University
Allahabad, U.P. India
www.ngbu.edu.in

ISSN-2319-9997
Volume: II, Issue: 1 & 2, Year: 2013

Journal
of
Nehru Gram Bharati University
(A Biannually Published Peer Reviwed Journal)

Editor-In-Chief
Dr. Ramesh Chandra Mishra
Nehru Gram Bharati Deemed to be University
Allahabad, 221505 U.P. India
www.ngbu.edu.in

Editorial Board

Prof. G. Govil (India)
Prof. S. P. Mishra (India)
Prof. M. R. Raju (India)
Prof. Mohi Rezvani (U.K.)
Prof. Carmel E. Mothersill (Canada)
Prof. J. K. Kim (Sauth Korea)
Prof. H. Mastsumoto (Japan)
Prof. S. G. Praksh (India)
Prof. R. P. Mishra (India)
Prof. Z. Zhumadilov (Khazakastan)
Prof. Kazuo Suzuki (Japan)
Prof. C. Rudowicz (Poland)
Prof. B. N. Pandey (India)
Prof. U. V. Desai (India)
Prof. S. Mitaku (Japan)
Prof. G. Safrany (Hungry)
Prof. Anna Giovanetti (Italy)
Prof. R. P. Hill (Canada)

ISSN-2319-9997

Journal
of
Nehru Gram Bharati University

(A Biannually Published Peer Reviwed Journal)
Volume: II, Issue: 1 & 2, Year: 2013

Content

- **WILLIAM JONES : A Great Indologist**
  Alok Kumar 5-8
- विनोबा का शैक्षिक चिन्तन
  अर्चना पाठ्या 9-15
- अलङ्कार और रस : काव्य–तत्त्व सापेक्षता
  प्रमा द्विवेदी 16-19
- पाश्चात्य नैतिक भाषा दर्शन के समक्ष प्रमुख समस्यायें
  अभिषेक उपाध्याय 20-27
- स्वतन्त्रता संग्राम में गाँधी जी की भूमिका
  राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता 28-33
- लखनऊ जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति एवं सुधार का अध्ययन
  अरूण कुमार मिश्र 34-52
- हिन्दी साहित्य में नारी की स्थिति
  ममता मिश्रा 53-55
- दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
  तुषार रंजन 56-65
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन
  राघवेन्द्र मालवीया 66-71

- **भारतीय संस्कृति में संस्कार व्यवस्था**
  सुनील कुमार शुक्ल 72-80
- **लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति**
  हिमान्शु शेखर सिंह 81-83
- **कबीर का कविरूप**
  मनोज कुमार सिंह 84-91
- **जनसंख्या विस्फोट एवं समाज कार्य**
  ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी 92-93
- **पर्यावरण दर्शन**
  क्षमा तिवारी 94-102
- **Relevance of Rabindranath Tagore's Educational View in Present Era**
  Sharmila Srivastava 103-107
- **आदिवासियों के संस्कार : पनिका के सन्दर्भ से**
  ज्योति पाण्डेय 108-125
- **शास्त्रीय संगीत में पाश्चात्य स्वर सप्तक**
  जया मिश्रा 126-131
- **शास्त्रीय गाायन में तबले का विविधात्मक प्रयोग**
  नीतू पाण्डेय 132-136

All the visions, thoughts and opinions published in JNGBU are of contributors. The acceptance of the Editor is not mandatory.

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

WILLIAM JONES: A Great Indologist

- Alok Kumar

The beginning of modern scientific research in Indian History and culture is associated with the arrival of Europeans in the country. Warren Hastings (1772-1785) was not only the actual founder of British rule in India, but from him also emanated the first fruitful stimulus for the study and translation of ancient Indian literature. The last quarter of the eighteenth century in relation to the progress of indological research in India, centers round the personalities of his period wherein Sir William Jones stands as the most important one.

By profession, Sir William Jones was appointed a judge in the Supreme Court which was established in Calcutta under the provision of regulating act of 1773. Before his appointment as a judge.He had mastered both Arabic and Persian and by 1768 had the education of a gentleman and that of a man of letters including the wisdom of ancients.

Jones' philosophy of history was influenced by this own intellectual convictions. In his historical writings he tried to follow the rules for perfect historian as laid down by Cicero in his treatise 'On Oration.' According to, 'a historian should not only be truthful and free from bias, but also a shrewd judge of all public transactions, and should write elegantly and copiously.

Junes' aim was to catch the general and striking features of truth in history, discarding dull and unentertaining facts. This way of his historical thinking is quite evident in his oriental studies.

In the second half of 18th century, there emerged a group of young officers and other Europeans who were interested in Asiatic studies. These included Charles Wilkins, Nathaniel Hlahed, John Shore. Francis Gladwin, Jones Carnac, Jonathan Duncan and William Chambers.

They belonged to the different fractions in the political life of Bengal at the time but had no platform for meetings one other and communicating their research notes and results. Jones perceived that

essential need of the time and in January 1784, he issued out a circular letter putting forward a plan to establish to that letter was encouraging and 32 gentleman gathered on January 15, 1784 in the grand jury room of the supreme court of Calcutta. The meeting was presided over by sir robust chambers, the chief justice. Jones 'in his address gave his plan for the society stressing the pragmatic value of oriental studies. He said 'Asia nurse of science' and the 'inventress of delightfull and useful arts.

This event marked the birth of Asiatic society of Bengal which openened a new era for studying, translation and publication of ancient India literature. Jones' eleven anniversary discourses (such as on the orthography of Asiatic worlds, 1784: on the Hindus, 1786, on the Arabs, 1787) to the society as president and his contribution to the society's journal 'Asiatic researches' mark an era in the study of Indian languages, literature and philosophy.

But Jones' contributions to ideological studies were not conined to his discourses at the annual meetings of the society, his interest was in a deeper form in Sanskrit and Indian legal texts. He appreciated the scholarly achievements of Wilkins in Sanskrit.[2]

Jones was at first engaged In the study of 'Hitopadesh' and by may 1787, he could speak Sanskrit continually with his pundits.

Sir William Jones is credited for being pioneer in bringing out certain linguistic connection between Sanskrit, Greek and Latin and probably with the Goethic, Celtic and Persian, thus paving the way for the science of comparative philology. On this third anniversary discourse, on 2nd February 1786, Jones reaches the conclusion that- "Sanskrit is more perfect than the Greek, more copious that the Latin and more exquisitely refined than either yet bearing to both of them a stronger affinity than possibly have been produced by accident."[3]

Jones was able to create an impact on continental scholars by his translation of Sanskrit classics and juristic literature. These included 'Sakuntala and Ritu, Samhara' by Kalidas (1792), 'Manusmriti – the Oradinances of Manu' in 1794; the Gita Govind of Jayadeva and the posthumuous Hitopadesa in 1799. It was the impact of these (translations) publications by him that India came to be treated as the primary object of investigation in the first quarter of

the 19th century. [4] This manifested itself in the growth of German school of Sanskrit and indology in a number of universities.

Apart from discovering common origin of Indo-European Languages and introducing Sanskrit into Europe, Jones is credited for identifying ‘Palibothra’ and ‘Sandrocottos; of the classical Greek writings with ;Patna’ and ;Chandragupta Maurya; respectively of the Indian sources, translating Persian manuscript related to the life of Nadir Shah and writing ;Persian Grammar; (1771). The study of language and literature was his favorite academic exercise. As a linguist, he is said to have known thirteen languages, thoroughly and twenty-eight fairly well, but for Jones, no subject was too abstruse or too trifling to investigate.

He equally penned an exhaustive work on the Botany of India and paid attention to the local zoology. Hindu chronology, music and chess were all studied and described by him. Relying solely on the Puranic sources, he tried to reconstruct the Kant. He shifted the scholarly interest to the; dark periods; of ancient Indian history, thereby stimulating further research.

William Jones equally contributed to the study of ancient Indian religion and philosophy. He had shown that the Hindus, Greeks and all persons, worshipped the same gods with different names. So also the similarity between early Indian and Greek astronomy was explained. He supported the traditional story that Plato and Pythagoras borrowed their philosophy ideas from India. He had no doubt, faith in God and Christ as depicted in the Bible, but he was opposed to conversion by the missionaries. According to Junes, Hindus can boost of three great discoveries – the decimal scale, the game of chess and the science of grammar.

All these outstanding achievements mentioned above, helped in Jones elevation the status of’ the father of Indology. Most of his works proved pioneer in the field of oriental studies. He was like Copernicus to have revolutionized the growth of indological research and changed the Western view about India and East. His biographer lord Teignmouth (Memories of sir William Jones, 1807) records that after the demise of this great orientalist in April 1794, Pandits could neither restrain their tears for his loss, nor find terms to express their

admiration at the wonderful progress which he (Jones) had made in the science they professed.

However, an old school fellow of Jones remarked that 'when Jones dabbled in metaphysics, he forgot his logic; and when he meddled with oriental literature he lost his taste. It is a matter of fact with the development of further researches, some of Jones' notions proved either wrong or giving undue importance to ancient Indian achievements, but this observation doesn't minimize the legacy of William Jones as the forerunner of oriental studies.

Jones' real contribution lies in the foundation of Asiatic society of Bengal which, indeed exposed India to the intellectual world and presentation of India's cultural attainments that generated romantic fascination of nation throughout Europe.

References:

1. Jones collected Works, Vol. p. 342
2. Alfred master, the influence of sir William Jones upon Sanskrit studies, Bulletin school of oriental and African, Vol. XL, part 4,p. 798
3. Asiatic Researches, Vol. L, pp. 422-23
4. Winter nitz, M. A. history of Indian literature, Calcutta, 1978, p. 14.

Dr. Alok Kumar,
Assot, Prof. Dept. of History,
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilition
University, Lucknow.

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

विनोबा का शैक्षिक चिन्तन

– अर्चना पाठ्या

आचार्य विनोबा भावे (11 सितम्बर 1895 – 15 नवम्बर 1982) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरी भावे था। उन्हे भारत का राष्ट्रीय आध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यातमिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखरी वर्ष पोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे तथा भूदान आन्दोलन चलाया। इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को 'अनुशासन पर्व' कहने के कारण वे विवाद में भी थे। बीसियों भाषाओं के ज्ञाता विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिये वे देवनागरी को सम्पर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि "मैं नही कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूं कि नागरी भी चले।"[1] उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर 'नागरी लिपि संगम' की स्थापना की गयी है जो भारत के अन्दर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिये कार्य करती है।

विनोबा जी महान चिन्तक और साधक थे उन्होंने गांधीवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया, देश के करोड़ों भूखे, नंगे और पीड़ित लोगों की पुकार उन्हें पवनार आश्रम से खींचकर भूदान आंदोलन के बहाने उनके बीच ले आई और वह देश के कोने–कोने तक गांव–गांव पदयात्रा कर जनता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते रहे, वह जो कुछ कहते, उसके व्यावहारिक पक्ष को पहले देख लेते हैं।

महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों में विनोबाजी उनके अंतरंग सहयोगी रहे। भूदान और ग्रामदान के बाद आचार्य–कुल ने आंदोलन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नये विकल्प प्रस्तुत कर शिक्षा–बिदों एवं प्रशासकों का ध्यान आकर्षित किया। विनोबाजी संस्कृत और प्राचीन शास्त्रों के अधिकारी पंडित होने के साथ १६ भाषाओं के ज्ञाता थे। गांधी जी कहा करते थे– 'वह आश्रम का अद्भुत हीरा है, वह उनमें से है, जो पाने नहीं, बल्कि देने आए हैं।''[2]

जीवन भर वह तपस्वी, साधक, त्यागी व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी के बहुत समीप रहे। विनोबाजी को महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, उन्होंने देश के सामने नैतिक और सामाजिक–आर्थिक चुनौती का सामना करने के लिए 'पंचशक्ति' का सुझाव रखाद्य उनके अनुसार ये पाँच शक्तियाँ हैं– जनशक्ति, महाजन शक्ति (उद्योगपतियों), राज्यशक्ति, विद्वान शक्ति, सज्जन शक्ति– इन पाँच शक्तियों का सुन्दर समन्वय ही शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता हैं।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने एक बार कहा था– ''आज की विचित्र शिक्षण–पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह–बीस बरसों में आदमी जीने के झंझट में न पड़कर केवल शिक्षा को प्राप्त करे और बाद को शिक्षण को बस्ते में लपेट रखकर मरने तक जिये। आज के शिक्षण का तो यह ढंग है, कि अमुक वर्ष के बिल्कुल आखिरी दिन तक मनुष्य–जीवन के विषय में पूर्ण रूप से गैस–जिम्मेदार रहे, तो भी कोई हर्ज नहीं, आज की मौत कल पर ढकेलते–ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है, कि उस दिन मरना पड़ता है। शिक्षण कर्त्तव्य कर्म का आनुषंगिक फल है। प्राथमिक महत्त्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षण–शास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल किए जाएँ, पेट भरने की दृष्टि से नहीं, आज पेट भरने का जो विकृत अर्थ प्रचलित है, उससे घबराकर यह कहा जाता है और उस हद तक वह ठीक है। ईमानदारी से पेट भरना, अगर मनुष्य साध ले तो समाज के अधिक दुख और पातक नष्ट हो जाएँ। जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र है, वही पवित्र हैं''[3]

समाज और पाठशाला का गहरा सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए विनोबाजी कहते हैं– ''विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचार–शून्य बन जाता है। मनुष्य घर में जीता है और मदरसे में विचार सीखता है, इसलिए जीवन और विचार का मेल नहीं बैठता। उपाय इसका यह है कि एक ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर से मदरसे में घर घुसना चाहिए। समाजशास्त्र को चाहिए कि शालीन कुटुम्ब निर्माण करे और शिक्षणशास्त्र को चाहिए कि कौटुम्बिक पाठशाला स्थापित करें

विनोबाजी के शिक्षादर्शन का आधार साम्ययोग है। इसी के द्वारा वह गांधीजी के सपनों का रामराज्य या सर्वोदय समाज स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए वह शिक्षा के ध्येय के बारे में अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं– 'शिक्षण का कार्य कोई स्वतन्त्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है। सुप्त तत्त्वों को जागृत करना है।''[4] वह शिक्षा की ओर दो दृष्टि से देखते थेः आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से और इर्द–गिर्द की परिस्थिति की दृष्टि से। इन्हें वह शिक्षण की दो कसौटियाँ मानते थे। शिक्षण से आत्मविकास भी सधना चाहिए और वह परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। विनोबाजी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से गुण–विकास और सामाजिक रूप से मूल्य–विकास माना है। गुण–विकास में संयम पद्धति पर बल देते रहे। बचपन से ही बालक इन्द्रियों को, अपने मन को अपनी बुद्धि को संयम में रखना सीखें, यही मुख्य दृष्टि होनी चाहिए।

विनोबाजी बालक को विचार शक्ति में भी स्वावलम्बी बनाने के पक्ष में थे। स्वावलम्बन की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, स्वावलम्बन उदर–निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, ज्ञान प्राप्त करने की स्वतन्त्र शक्ति का निर्माण हो और अपने आप पर नियन्त्रण की शक्ति हो। सामाजिक दृष्टि से भी शिक्षा का उद्देश्य नए मूल्यों का विकास कर एक नए समाज का निर्माण मानते थे।

गांधी जी द्वारा प्रारंभ की गई नई तालीम को वह सामाजिक मूल्यों की क्रांति मानते थे। उसका लक्ष्य एक नए समाज का निर्माण करना है जो वर्गहीन और शोषणमुक्त हो। यह उनका साम्ययोग और सर्वोदय भी हैं विनोबाजी ने शिक्षा के तीन उद्देश्य रखे– योग, उद्योग तथा सहयोग। इन तीनों उद्देश्यों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की थी– 'योग यानी चित्त पर कैसे अंकुश रखना, इन्द्रियों पर कैसे सत्ता रखना, मन पर कैसे काबू पाना जुबान पर कैसे अपनी सत्ता पाना, यह योग का सच्चा अर्थ है। उद्योग के बारे में उनका विचार है, उद्योग में कुछ भी हो किन्तु खेती के साथ, प्रकृति के साथ, सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। सहयोग अर्थात् हम सबको इकट्ठा जीना है। सहजीवन जीना है। हमें विश्वमानव बनना चाहिए। विनोबा जी की धारणा है कि, बुनियादी शिक्षा के ज्ञान और कर्म का संयोग बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस पद्धति में दोनों एक हो

जाते है। कर्म से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से कर्म सम्पन्न होता है। और ज्ञान तथा कर्म दोनों के मिलने से चित्त का विकास होता है।

शिक्षा का एक उद्देश्य विनोबाजी यह मानते थे, कि विद्यार्थी को सन्त बनना है, पंथ नहीं बनना है। सन्त वह हैं जो सत्य का उपासक है और पंथ वह है जो किसी बने–बनाए पंथ पर जड़वत् चलता है। स्वराज्य से वह एक ऐसे नए समाज का निर्माण चाहते थे, जिसमें शोषण न हो, जिसमें केन्द्र का शासन कम से कम हो, जिसमें हरएक विकास के लिए पूरी सुविधा हो, ऐसी समाज व्यवस्था को वे 'स्वराज्य' कहते थे। शिक्षकों में आत्मिक शक्ति जागृत करने के लिए विनोबाजी ने १९६७ में बिहार में आयोजित शिक्षा विद्वत् परिषद के समक्ष आचार्यो (शिक्षकों) की स्वतन्त्र शक्ति खड़ी करने का विचार रखकर शिक्षा में क्रांति का अगला कदम उठाया। परिषद को उद्‌बोधित करते हुए विनोबाजी ने कहा– 'यह शिक्षा–जगत् का दुर्भाग्य है कि जो स्वायत्तता इस देश में न्याय विभाग को है, उतनी स्वायत्तता भी शिक्षा विभाग को नहीं प्राप्त है। शिक्षक की भी स्वतन्त्र हस्ती होनी चाहिए। वह क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए परीक्षा की पद्धति क्या हो, यह निर्णय आचार्य का होना चाहिए, न कि सरकार का। इस स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए और उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतन्त्र शक्ति का विकास करे।"[5] विनोबा जी शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं– शिक्षकों को पहले आचार्य कहा जाता था। आचार्य अर्थात् आचारवान। स्वयं आदर्श जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र से उसका आचरण करा लेने वाला आचार्य है। ऐसे आचार्यो के पुरुषार्थ से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। आज हिन्दुस्तान की तह बैठानी है। राष्ट्र निर्माण का काम आज हमारे सामने है। आचारवान् शिक्षकों के बिना वह संभव नहीं है। राष्ट्र के सुशिक्षित वर्ग को निरग्नि और निष्क्रिय होते हुए देखकर उन्होंने राष्ट्र शिक्षण की आग सुलगाने का बार–बार आग्रह किया। उन्होंने शिक्षकों में इस अग्नि शक्ति को प्रज्ज्वलित करने के लिए एक संघटन 'आचार्यकुल' की स्थापना ८ मार्च, १९६८ को भागलपुर में की आचार्यकुल की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया– 'कुल' शब्द परिवार–वाचक है और हम सभी आचार्यो का एक ही परिवार है। ज्ञान की उपासना, चित्तशुद्धि के लिए प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के लिए

वात्सल्य–भावना रखकर उसके विकास के लिए सतत प्रयत्न करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उन पर तटस्थ भाव से चिन्तन करके सर्वसम्मति का निर्णय समाज के सामने रखना और समाज को इस प्रकार से मार्गदर्शन देते रहना इत्यादि क्रम जो हम सब करने जा रहे है, वह एक परिवार–स्थापना का ही काम है। इसलिए मैंने इसका नाम 'आचार्यकुल' रखा।

समाज को अगर कोई सुधारेगा तो वह पुलिस या सेना नहीं, बल्कि शिक्षक ही सुधारेगा। शिक्षकों को 'केवल शिक्षण' की भ्रामक कल्पना छोड़कर स्वतंत्र जीवन की जिम्मेदारी–जैसी किसानों पर होती है वैसी– अपने ऊपर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी उसी में दायित्वपूर्ण भाग देकर उनके चारों और शिक्षण की रचना करनी चाहिए अथवा अपने आप होने देनी चाहिए। 'गुरोःकर्मतिशोषेण' इस वाक्य का अर्थ 'गुरु के काम पूरे करके वेदाभ्यास करना' यही ठीक है, नहीं तो गुरु की व्यक्तिगत सेवा– इतना ही अगर 'गुरोः कर्म' का अर्थ लें तो गुरु की सेवा आखिर कितनी होगी? और उसके लिए कितने लड़कों को कितना काम करने को रहेगा। इसलिए 'गुरोः कर्म' करने के मानी है गुरु के जीवन में जिम्मेदारी से हिस्सा लेना। वैसा दायित्वपूर्ण भाग देकर उसमें जो शंकाएँ वगैरा पैदा हों उन्हें गुरु से पूछे और गुरु को भी चाहिए कि अपने जीवन की जिम्मेदारी निबाहते हुए और उसी का एक अंग समझकर उसका यथाशक्ति उत्तर देता जाएद्य यह शिक्षण का स्वरूप है। आज के शिक्षक संघ केवल अधिकार प्राप्ति के साधन बनकर रह गए हैं। अतः विनोबाजी ने आचार्यकुल' की स्थापना के पहले ही इसके उद्देश्य की घोषणा की– अभी जिस 'आचार्यकुल' की स्थापना होने जा रही है, वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं होते जा रही है। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरी संस्थाएँ हैं। यह तो अपने कर्त्तव्य के प्रति जागृति और प्रयत्न करने के लिए है, इससे सारे शिक्षक अपनी वास्तविक हैसियत पाएँगे, जिसे आज वे खोए हुए है। आचार्यकुल का सदस्य बनने के लिए शिक्षकों को जिस प्रतिज्ञा–पत्रक पर हस्ताक्षर करने हैं उनमें प्रतिज्ञा भी है, कि राजनीतिक दलबन्दी से, सत्ता की राजनीति से स्थानीय राजनीति से हम अलग रहेंगे। हम अपने को भारत का शान्ति सैनिक समझते हैं और शान्ति स्थापित करने का सर्वोत्तम शास्त्र हमारे पास है 'शिक्षाश्त्र"[6] पुरानी और नई शिक्षा

का अन्तर स्पष्ट करते हुए विनोबाजी ने कहा था– 'नई तालीम अर्थात नए मूल्यों की स्थापना, पुरानी तालीम चोरी को पाप समझती थी। नई तालीम न सिर्फ चोरी को बल्कि अधिक संग्रह को भी पाप समझती है। पुरानी तालीम शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के मूल्यों में फर्क करती थी। नई तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है, इतना ही नहीं, दोनों का समन्यवय करती है, दोनों का समवाय साधती है। पुरानी तालीम क्षमता की इज्जत करती भी, नई तालीम क्षमता को समता की दासी समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी, सरस्वती को स्वतन्त्र देवी के रूप में पूजती थी, नई तालीम मानवता को पूजती है और तीनों को उसकी सेवा का साधन समझती है।"[7]

नई तालीम के अनुरूप ही विद्यालय शिक्षा योजना का निर्माण करना होगाद्य विनोबाजी चाहते थे, कि 'शिक्षक विद्यार्थी–परायण, विद्यार्थी शिक्षक–परायण, दोनों ज्ञान–परायण और ज्ञान सेवा–परायण, पाठशाला की यही योजना होगीद्य हम नए समाज के निर्माण की शिक्षा दें' विनोबाजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक घंटे की पढ़ाई का सुझाव भी प्रस्तुत किया। उनका अभिप्राय यही था, कि ग्राम के समग्र जीवन से समवायित कर विद्यालय को ग्राम की सेवा कर केन्द्र बनाया जा सके। वे ग्रामीण जीवन को सर्वागपूर्ण मानते थे। प्रत्येक गाँव में सम्पूर्ण शिक्षा का प्रबंध कर ग्राम गुरुकुल की स्थापना करना चाहते थे। ऐसा प्रयोग निष्ठावान और उत्साही शिक्षकों द्वारा ही संभव है। नई तालीम के पाठ्यक्रम के विषय में विनोबाजी के स्पष्ट सुझाव थे– 'नई तालीम में जीवन की सब बुनियादी वस्तुओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तत्त्वज्ञान, धर्म विचार,नीति विचार इन सब की जानकारी जरूरी है। समाजशास्त्र, मानव–समाज का पूरा इतिहास आदि की जानकारी आवश्यक है। हमारे और दूसरे समाज की विशेषताएँ क्या हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान के मूलभूत विचार मालूम होने चाहिए। अपने विचार ठीक ढंग से प्रकाशित करने की कला मालूम होनी चाहिए।"[8]

विनोबाजी अप्रासंगिक ज्ञान देने के पक्ष में नहीं। विषय के शिक्षण के विषय में उनका विचार था कि हर एक विषय को हम अलग–अलग न सोचें। बच्चों को पढ़ाते समय उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि उन्हें गणित पढ़ाया जा रहा है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है या साहित्य पढ़ाया जा रहा है। ज्ञान एक पूरी वस्तु है। उसका विभाजन नहीं किया जा सकता।

विद्यार्थियों के लिए विनोबाजी तीन बातें आवश्यक समझते थे– विचार स्वातंर्त्य, शील का विकास और वृद्ध–सेवा। वह राजनीति को अनेक पक्षों का दलदल समझते थे। ऐसी राजनीति से वह विद्यार्थियों को इस पचड़े में बिलकूल नहीं पड़ने देना चाहते थे। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था– 'आप लोग अलग–अलग यूनियनें बनाते हैं। इन यूनियनों में रहने के लिए एक खास विचार–प्रणाली का अनुसरण जरूरी होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, शेरों का भी कोई यूनियन बनता है क्या? यूनियन तो भेड़ों का बनता है। मेरा मतलब यह नहीं है, कि दूसरों के साथ आपको सहकार ही नहीं करना है। अच्छी बातों में सहकार जरूर करना है। लेकिन विचारों को स्वतन्त्र रखना है और सत्य दर्शन के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन करने को सदा तैयार रहना है। इसे ही सत्यनिष्ठ कहते हैं और बलवान बनने का यही मार्ग है।आज के मूल्यहीन होते समाज में विनोबा के विचार शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर चाहे कितने भी गलतफहमियां हों पर जब आप विनोबा के भूदान आंदोलन के जरिए लाभ पाए गरीब किसानों से बात करें तब पता चलता है कि विनोबा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णतरू सफल रहे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. विनोबा साहित्य – शेषाम्रतम,रजत देसाई, परमधाम प्रकाशन, ग्रामसेवा मण्डल,पवन 2000 पृ0 81.

2. Biography of Vinoba Bhave] Published By : Jivani-org

3. वही०

4. विनोबा भावे, सुमित कुमार, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2001, पृ. 38

5. आचार्य विनोबा भावे–रामगोपाल शर्मा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2001

6. विनोबा भावे, सुमित कुमार, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2008पृ. 40

7. सर्वोदय, दिसम्बर, १९५२ – देखिए – विनोबा साहित्य – खंड 20

8. शेषामृतम, रजत देसाई, परमधाम प्रकाशन, ग्रामसेवा मण्डल, पवनार, 2001 पृ. 82

अर्चना पाठ्या

म0 गॉ0 हि0 वि0वि0, वर्धा, महाराष्ट्र

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

अलङ्कार और रस : काव्य–तत्त्व सापेक्षता

– प्रमा द्विवेदी

गहन अनुभूतियों के क्षणों में निष्पन्न भावुक ह्रदय की अनूठी गद्यपद्यमयी रचना 'काव्य' कहलाती है। काव्य के आत्म–तत्त्व के विवेचन के सन्दर्भ में काव्यशास्त्र में विभिन्न सम्प्रदायों (रस, अलङ्कार, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य) का उद्भव हुआ। अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह (छठीं शती मध्यकाल) हैं। भामह का अनुसरण दण्डी ने किया फिर भामह और दण्डी दोनों का उद्भट ने। अलङ्कार का सामान्य अर्थ है–'आभूषण'। किन्तु काव्य में इसका रूढ़ि अर्थ है।
आचार्य दण्डी के अनुसार– **'काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचक्षते'**[1]
('काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलङ्कार कहते हैं।)

काव्यशास्त्र का विषय काव्य सौन्दर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है। अतः इसके प्रारम्भिक चरण में कई काव्यशास्त्रियों ने अपने ग्रन्थों का नाम 'काव्यालङ्कार' अर्थात् काव्य सौन्दर्य ही रखा।[2] काव्य के आत्म–तत्त्व के खोज के प्रयास में प्राचीन अलंकारवादी आचार्यों ने रस, ध्वनि, वक्रोक्ति गुण इत्यादि को अलङ्कार के अन्तर्गत ही समाहित कर लिया, इसीलिए काव्यशास्त्र 'अलङ्कारशास्त्र' नाम से भी अभिहित किया गया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने स्पष्ट लिखा है कि अलङ्कारशास्त्र के सम्प्रदाय मुख्यतः चार ही हैं, वक्रोक्ति तथा औचित्य सिद्धान्त मात्र हैं।[3] इनमें से रस काव्य के अलङ्कार सापेक्ष तत्त्वों का परस्पर संबंधमूलक विवेचन प्रस्तुत है।

अलङ्कार–सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्यों ने रस के महत्त्व को तो स्वीकार किया किन्तु रसादि को स्वतंत्र स्थान न देकर इन्हें अलङ्कार के अंदर समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने 'रस' को 'रसवत्', 'भाव' को 'प्रेयस्वत्' तथा 'रसाभाव' एवं 'भावाभास' को 'ऊर्जस्विन्' एवं 'समाहित' अलङ्कारों के नाम से अभिहित किया। उद्भट ने 'भाव शान्ति' और 'समाहित' अलङ्कार को परस्पर पर्याय कहा है।

(1) 'रस' और 'रसवत् अलंकार' –

दण्डी के अनुसार– **'रसवद् रसपेशलम्।'**[4]

उद्‌भट ने भामह का अनुकरण करते हुए रसवत् अलङ्कार में रस के अवयव–भूत पाँच साधनों का संकेत किया है– स्थायी, संचारी, विभाव और अनिभनय तथा स्वशब्द।

रसवदर्शितस्पष्टश्रृंगारादिरसादयम्।
स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्।।[5]

पाँच साधनों में से प्रथम तीन (स्थायी, संचारी, विभाव) तो रस–सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत हैं। शेष दो में से अभिनय भरतमुनि वर्णित आंगिकादि चार प्रकार के अभिनयों का ही पर्याय है। और स्वशब्द का अर्थ है श्रृंगारादि रसों, रत्यादि स्थायी भावों आौर औत्सुक्यादि संचारी भावों की स्वशब्दवाच्यता।[6]

(2) भाव और प्रेयस्वत् अलङ्कार – दण्डी के अनुसार – **'प्रेयः प्रियतराख्यानम्'**।[7]

इसे रसध्वनिवादी आचार्यों द्वारा संस्तुत 'भाव' के निकट समझा जा सकता है। उद्‌भव ने स्पष्टतः कहा है कि, अनुभाव आदि के द्वारा रति आदि स्थायीभावों का काव्य में बंधन प्रेयस्वत् का विषय है। अर्थात् जिन स्थायीभावों को किसी काव्य में रसावस्था तक नहीं पहुँचाया जा सका हो, उस काव्य को प्रेयस्वत् अलंकार कहते हैं और ऐसे काव्य में 'भाव' विद्यमान रहता है।

(3) रसाभास–भावाभास और ऊर्जस्वि अलंकार– उद्‌भट ने कहा कि काम, क्रोध आदि कारणों से रसों और भावों का अनौचित्य रूप से प्रवर्तन ऊर्जस्वि अलंकार का विषय है।

अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणम्।
भावानां च रसानां च बन्ध ऊर्जस्वि कथ्यते।।[8]

यही धारणा रस–ध्वनिवादियों की है किन्तु वे अंगभूत रसभाव भावाभास को ऊर्जस्वि अलंकार मानते हैं जबकि उद्‌भट अंगीभूत रसाभास–भावाभास को।

(4) भावाशान्ति और समाहित अलंकार – उद्‌भट ने माना है कि रस, भाव, रसाभास और भावाभास की इतनी अधिक शान्ति जिसमें (समाधि अवस्था के समान) अन्य किसी रस, रसाभास आदि के अनुभवों की प्रतीति न हो, समाहित अलंकार का विषय है।

रसभाक्तदाभासवृत्तैः प्रशमबंधनम्।

अन्यानुभानिश्शून्यरूपं यत्तत् समाहितम्।[9]

यही धारणा रस–ध्वनिवादियों की है, किन्तु ऊर्जस्वि अलङ्कार के सम्बन्ध में निर्दिष्ट अन्तर के साथ।

(5) अंगभूत रस या द्वितीय उदात्त अलङ्कार–

रुय्यक तथा प्रतीहार इत्यादि आचार्यों ने अंगभूत रस को उदात्त नामक द्वितीय अलङ्कार में समाहित किया है। इस सन्दर्भ में रुय्यक का कथन दृष्टव्य है, जहाँ रस आदि अंगीभूत (प्रधान) रूप में वर्णित हों, वहाँ रसवद् आदि अलङ्कार मानने चाहिए और जहाँ रस आदि अंगभूत (गौण) रूप में वर्णित हों, वहाँ द्वितीय उदात्त अलङ्कार मानना चाहिए।

यत्र यस्मिन् दर्शने वाक्यार्थीभूता रसादयो रसवदाद्यलङ्काराः, तत्रांगभूत रसादिविषये द्वितीय उदात्ताङ्लकारः। (अलंकारसर्वस्व)

किन्तु रस एवं ध्वनिवादी आचार्यों के अनुसार, जिन स्थानों पर रस, भाव आदि आठों अंगी (प्रधान) रूप में वर्णित रहते हैं। वहाँ उन्हें क्रमशः रस, भाव आदि नामों से ही जानना चाहिए। वे अंगीभूत रसादि को अलङ्कार के अन्तर्गत नहीं मानते। उनका कहना है कि, अलङ्कार का कार्य है अङ्कार्य का चमत्कार बढ़ाना। यदि रस आदि को ही अलङ्कार मान लिया जाय तो फिर वह किसके चारुत्व को बढ़ाते हैं? कोई अपना ही चारुत्व कैसे बढ़ा सकता हैं? इस प्रकार रसवादी आचार्य यह मत स्थापित करते हैं कि, जिन स्थलों पर रस, भाव आदि आठों अंग गौण रूप में वर्णित रहते हैं, अर्थात् जहाँ वे अंगीभूत (प्रधान) रस का उपकार करते हैं, वहाँ उन्हें क्रमशः रसवद्, प्रेयस्वद्, ऊर्जस्वि, समाहित, भावोदय आदि अलङ्कारों से अभिहित किया जाता है।[10]

काव्य में अलङ्कार के प्रयोग एवं औचित्य के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि अलङ्कार काव्य के शोभाकारक धर्म हैं। काव्य में कोई न कोई अलङ्कार सदैव विद्यमान रहता है, स्पष्ट रूप से नहीं तो अस्पष्ट रूप से ही सही, वह होता अवश्य है। अतः जयदेव का कथन बहुत सीमा तक सही है कि– **अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलंकृती।**

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।।[11]

मम्मट ने भी इस मत को स्वीकार किया था।

अलङ्कारवादियों ने तो रस–ध्वनि आदि को भी 'अलङ्कार' मान लिया था, जो आचार्य आन्दवर्द्धन आदि को मान्य नहीं था।

उनका मानना है कि, अलङ्कारों को रस के अंग के रूप में ही स्थान दिया जाय, प्रधान रूप में कभी नहीं। अलङ्कार की सार्थकता भी वस्तुतः इसी में मानी जा सकती है कि वह अनायास साधन के रूप में काव्यानन्द (रस) को उत्कृष्टता प्रदान करे, रसास्वाद में सहायक बने। यह पक्ष इतनी ही सीमा में रहे कि रस को आच्छादित करके चमत्कारप्रियता के प्रदर्शन का प्रमाण बन जाए और काव्यास्वादन में बाधक न सिद्ध हो।[12]

सन्दर्भ सूची–

1. दण्डीः काव्यादर्श 2.1
2. डॉ0 कमला देवी, काव्य का स्वरूप, अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद, 1987, प्रथम संस्करण, पृ0सं0–05
3. आचार्य बलदेव उपाध्याय : भारतीय साहित्यशास्त्र (दूसरा भाग) शारदा निकेतन प्रकाशन, 1981, पृ0सं0–13
4. दण्डी : काव्यादर्श 2.375
5. उद्भट : काव्यालंकारसंग्रह 4.3
6. प्रो0 हरिमोहन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पहचान, वाणी प्रकाशन, 2013, पृ0सं0 62
7. दण्डी : काव्यादर्श 2.275
8. उद्भट : काव्यालङ्कारसारसंग्रह 4.5
9. उद्भट : काव्यालङ्कारसारसंग्रह 4.7
10. प्रो0 हरिमोहन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पहचान, वाणी प्रकाशन, 2013. पृ0सं0 64
11. जयदेव, चन्द्रालोक, 1.12
12. डॉ0 सत्यदेव चौधरी, अलङ्कार, रीति और वक्रोक्ति, 1992, पृ0सं0 57

प्रमा द्विवेदी

प्रवक्ता, संस्कृत

जी0जी0आई0सी0, शीतलमऊ, प्रतापगढ़, उ0 प्र0।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

पाश्चात्य नैतिक भाषा दर्शन के समक्ष प्रमुख समस्यायें

– अभिषेक उपाध्याय

अधिनीतिशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य नैतिक भाषा से सम्बद्ध संप्रत्ययों का विश्लेषण करना है, जिससे इन संप्रत्ययों के वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप को सरलता से समझा जा सके, और जिन निर्णयों में इन संप्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उनके अर्थ एवं स्वरूप का निर्धारण किया जा सके। अपने दैनिक जीवन में प्रायः हम शुभ–अशुभ, उचित–अनुचित, कर्त्तव्य–अकर्त्तव्य, चाहिये इत्यादि नैतिक संप्रत्ययों से युक्त निर्णयों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम नैतिक निर्णय कहते हैं। किन्तु इन निर्णयों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति से यदि यह पूछा जाय कि इन निर्णयों का अथवा इन निर्णयों में प्रयुक्त नैतिक संप्रत्ययों का ठीक–ठीक अर्थ क्या है? इनकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? इनका स्वरूप क्या है? इनका वस्तुनिष्ठ अथवा तार्किक समर्थन संभव है अथवा नहीं? इनके समर्थन अथवा विरोध में प्रयुक्त विधियों एवं तर्कों का स्वरूप क्या है? इत्यादि तो इन प्रश्नों का उत्तर प्रायः अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग रूप में दिया जायेगा। नैतिक भाषा से संबंधित प्रमुख समस्या का स्वरूप यही है, जिसका समाधान करने के लिये अधिनीतिशास्त्री नैतिक भाषा एवं उसमें प्रयुक्त नैतिक संप्रत्ययों का गहन विश्लेषण करके उसके सामान्य स्वरूप को प्रकाशित करने का प्रयास करता है। यही अधिनीतिशास्त्र का प्रमुख विवेच्य विषय भी है और नैतिक भाषा से संबंधित सभी प्रमुख समस्यायें इसी से संबंधित हैं। इस संदर्भ में एयर का मत उल्लेखनीय है। अपने ग्रंथ 'फिलॉसाफिकल एसेज़' में वे कहते हैं कि "नैतिक दर्शन के लिये प्रश्न यह नहीं है कि कोई विशेष कर्म उचित या अनुचित है, अपितु प्रश्न यह है किसी कर्म को उचित या अनुचित कहने का अर्थ क्या है।"[1] तात्पर्य यह है कि नैतिक भाषा से संबंधित प्रमुख समस्यायें नैतिक निर्णयों अथवा नैतिक संप्रत्ययों के अर्थ, स्वरूप एवं प्रमाणीकरण से संबंधित हैं।

(क) नैतिक शब्दों एवं निर्णयों के अर्थ एवं स्वरूप संबंधी समस्याएँ

अधिनीतिशास्त्र का उद्देश्य नैतिक भाषा का स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण करना है और इस क्रम में उसके सामने जो प्रथम समस्या

उपस्थित होती है वह है, नैतिक शब्दों अथवा सम्प्रत्ययों एवं नैतिक निर्णयों के अर्थ–निर्धारण की समस्या। हम अपने दैनिक जीवन में शुभ, उचित, कर्त्तव्य आदि जिन नैतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमें सामान्यतः बहुत ही सरल प्रतीत होते हैं। साधारण व्यक्ति प्रायः यह दावा करता है कि वह इन शब्दों का अर्थ भली–भाँति जानता है। किन्तु दार्शनिक दृष्टि से इन नैतिक शब्दों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इनका कोई एक, स्पष्ट, निश्चित एवं सर्वमान्य अर्थ बताना लगभग असंभव है। अनेक दार्शनिकों ने लम्बे समय से शुभ, उचित, कर्त्तव्य आदि नैतिक शब्दों के अर्थ पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है, किन्तु फिर भी वे अभी तक इनमें से किसी शब्द की कोई निश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सके हैं। इसका कारण यह है कि भिन्न–भिन्न प्रसंगों एवं परिस्थितियों में इन शब्दों का अर्थ भिन्न–भिन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में दार्शनिक दृष्टि से यह कहना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि इनका ठीक–ठीक एवं निश्चित अर्थ क्या है। इसी समस्या के परिणामस्वरूप विभिन्न दार्शनिकों ने संज्ञानवाद एवं असंज्ञानवाद जैसे परस्पर पूर्णतः भिन्न एवं विरोधी मतों का प्रतिपादन किया है। यही नहीं संज्ञानवादी सिद्धान्त को मानने वाले विभिन्न दार्शनिकों के विचारों में भी एकमतता का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ दार्शनिक नैतिक शब्दों एवं निर्णयों की प्रकृतिवादी व्याख्या करते हैं तो मूर, रॉस आदि दार्शनिक नैतिक निर्णयों की व्याख्या निर्प्रकृतिवाद के अन्तर्गत करते हैं। यही बात असंज्ञानवादी सिद्धान्त के समर्थकों पर भी लागू होती है।

इस प्रकार अनेक दार्शनिकों ने अपने–अपने सिद्धान्त के अनुरूप इन नैतिक शब्दों एवं इनसे सम्बद्ध अन्य नैतिक निर्णयों की परिभाषा दी है और हमारे व्यावहारिक जीवन में इनके महत्व को स्पष्ट किया है। इन दार्शनिकों ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अलग–अलग प्रसंगों एवं परिस्थितियों में इन शब्दों के नैतिक एवं निर्नैतिक प्रयोग में क्या मूलभूत अन्तर है। उदाहरणार्थ, हम 'अच्छा' (ळववक) शब्द का प्रयोग मनुष्य तथा उसके चरित्र के लिये भी करते हैं और भौतिक अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिये भी करते हैं। हम कहते हैं कि 'वह अच्छा मनुष्य है' अथवा 'उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है'। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि 'वह घर अच्छा है' अथवा 'यह अच्छा सेब है'। प्रथम दो कथनों में

'अच्छा' शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में तथा अन्तिम दो कथनों में इस शब्द का प्रयोग निर्नैतिक अर्थ में किया गया है। इसी प्रकार अन्य नैतिक शब्दों का प्रयोग भी नैतिक एवं निर्नैतिक दोनों अर्थों में किया जाता है। अधिनीतिशास्त्र ही हमें यह बताता है कि इन दोनों प्रयोगों में इन शब्दों के अर्थों में क्या मूलभूत अंतर होता है और इस अन्तर का कारण क्या है। इस प्रकार नैतिक शब्दों के अर्थ और उनकी परिभाषा से संबंधित समस्या अधिनीतिशास्त्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है।

नैतिक शब्दों एवं निर्णयों से संबंधित उपर्युक्त समस्या को सर्वप्रथम उठाने का श्रेय जी0ई0 मूर को जाता है। 1903ई0 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपिया एथिका' में सर्वप्रथम मूर ने ही शुभ, उचित, कर्त्तव्य आदि नैतिक शब्दों के अर्थ एवं परिभाषा से जुड़ी समस्या को उठाकर अधिनीतिशास्त्र का आरम्भ किया। मूर से पूर्व नीतिशास्त्री **''हमारा कर्त्तव्य क्या है''**, **''हमारे कौन–कौन से कर्म उचित अथवा अनुचित हैं''** **''कौन सी वस्तुयें स्वतः शुभ हैं''** इत्यादि मानकीय नीतिशास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर ही विचार करता था। परन्तु इन प्रश्नों के साथ–साथ मूर ने सर्वप्रथम अधिनीतिशास्त्र से संबंधित यह प्रश्न भी उठाया कि शुभ आदि नैतिक शब्दों का अर्थ क्या है, अर्थात् हम इनकी परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं? इतना ही नहीं उन्होंने इस प्रश्न को नीतिशास्त्र का मूल प्रश्न माना और यह कहा कि इसकी ओर दार्शनिकों को विशेष ध्यान देना चाहिये। नीतिशास्त्र में उपर्युक्त प्रश्न के महत्त्व को स्पष्ट करते हुये मूर का कथन है ''यह हमारा प्रथम प्रश्न है, शुभ क्या है और अशुभ क्या है? इस प्रश्न के विवेचन को मैं नीतिशास्त्र की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस विज्ञान में उक्त प्रश्न पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये। हम केवल यही नहीं पूछना चाहते कि कौन सी वस्तुयें शुभ हैं, अपितु हम यह भी पूछना चाहते हैं कि शुभ का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है। इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल नीतिशास्त्र से ही है। यह वह प्रश्न है जिसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि यह प्रश्न नीतिशास्त्र का सर्वाधिक मौलिक प्रश्न हैं।[2] नैतिक शब्दों के अर्थ के विषय में मूर के उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि वे इन शब्दों के अर्थ एवं स्वरूप के विश्लेषण से संबंधित अधिनीतिशास्त्र की समस्या को नैतिक भाषा दर्शन के लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानते हैं।

तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने अपने मूल सिद्धान्त, 'सत्यापन सिद्धान्त' के आधार पर ही सभी प्रकार के निर्णयों का अर्थ एवं स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार केवल उसी कथन को तथ्यात्मक दृष्टि से सार्थक माना जा सकता है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यावहारिक अथवा कम से कम सिद्धान्ततः इन्द्रियजन्य अनुभव द्वारा सत्यापित किया जा सके। एयर कहते हैं–**''यदि कोई कथन इस सिद्धान्त के अनुसार सत्यापनीय नहीं है और वह पुनरुक्ति भी नहीं है तो मैं यह मानता हूँ कि वह तत्त्वमीमांसीय कथन है और तत्त्वमीमांसीय होने के कारण वह न तो सत्य है और न मिथ्या अपितु तथ्यात्मक रूप से निरर्थक कथन है।''**[3] इसी सिद्धान्त की कसौटी पर रखकर तार्किक प्रत्यक्षवादियों नीतिशास्त्र के कथनों को तथ्यात्मक अथवा संज्ञानात्मक दृष्टि से निरर्थक माना है। वे नैतिक कथनों की व्याख्या संवेगात्मक कथनों के रूप में करते हैं। उनके अनुसार नैतिक कथनों का स्वरूप आह, ओह इत्यादि विशुद्ध संवेगात्मक कथनों के ही समान होता है, और इनका कार्य वक्ता के संवेगों अथवा भावनाओं को अभिव्यक्त करना एवं अन्य व्यक्तियों में इन्हीं भावनाओं को जागृत करना होता है। एयर के शब्दों में– ''यदि मूल्य संबंधी कथन सार्थक हैं तो वे सामान्य वैज्ञानिक कथन हैं, और यदि वे वैज्ञानिक कथन नहीं हैं तो वे तथ्यात्मक रूप से सार्थक नहीं हैं। अपितु केवल संवेगात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं, जो न तो सत्य हैं और न मिथ्या।''[4]

परन्तु भाषा विश्लेषणवादी दार्शनिकों ने नैतिक शब्दों एवं निर्णयों के अर्थ एवं स्वरूप के संबंध में तार्किक प्रत्यक्षवादियों के उपर्युक्त मत को स्वीकार नहीं किया है। इन दार्शनिकों के अनुसार किसी कथन का अर्थ उसके सत्यापन के द्वारा नहीं अपितु भाषा में उसके उपयोग द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को **'भाषार्थ उपयोग सिद्धान्त'** कहा जाता है, जिसके अनुसार किसी भी कथन का अर्थ किसी विशेष प्रसंग में उसके 'उपयोग' में ही निहित रहता है। यदि हम किसी शब्द या कथन का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिये कि किसी विशेष प्रसंग में वह क्या कार्य करता है, अर्थात् उस शब्द अथवा कथन का उपयोग किसलिये किया जाता है। इस प्रकार उपयोग सिद्धान्त के समर्थकों का स्पष्ट मत है कि भाषा का अर्थ उन तार्किक नियमों द्वारा ही

निर्धारित किया जा सकता है, जिनके अनुसार हम विभिन्न प्रसंगों एवं परिस्थितियों में उसका सार्थक रूप से प्रयोग करते हैं।

नैतिक निर्णयों एवं शब्दों के 'अर्थ' की भांति इसके 'स्वरूप' के स्पष्टीकरण से संबंधित समस्या भी अधिनीतिशास्त्र के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत नैतिक निर्णयों से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे, नैतिक निर्णयों एवं वैज्ञानिक, तथ्यात्मक अथवा वर्णनात्मक कथनों में क्या संबंध है और दोनों प्रकार के कथनों में क्या–क्या मूलभूत अन्तर हैं? क्या नैतिक निर्णय भी हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले एवं अन्य व्यक्तियों में उन्हीं भावनाओं को जागृत करने वाले संवेगात्मक कथन मात्र होते हैं? अथवा क्या ये निर्णय मुख्यतः आदेशात्मक अथवा परामर्शात्मक कथन हैं? अथवा क्या ये निर्णय केवल हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यक्त करने वाले व्यक्तिनिष्ठ कथन मात्र हैं? इत्यादि सभी प्रश्नों पर अधिनीतिशास्त्र की उपर्युक्त समस्या के अन्तर्गत विचार किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का सम्बन्ध नैतिक निर्णयों के स्वरूप एवं उद्देश्य से है। इन निर्णयों के स्वरूप का विश्लेषण करते हुये अधिनीतिशास्त्री हमें यह बताता है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में इनका वास्तविक उपयोग अथवा कार्य क्या है और हम इनका प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये करते हैं। यद्यपि अधिनीतिशास्त्र के विभिन्न दार्शनिकों में नैतिक निर्णयों के स्वरूप एवं उद्देश्य के विषय में तीव्र मतभेद है। कुछ दार्शनिक इन निर्णयों को तथ्यात्मक अथवा संज्ञानात्मक कथन मानते हैं और कुछ अन्य दार्शनिक इन्हें संवेगात्मक, आदेशात्मक अथवा परामर्शात्मक कथन मानते हैं। इस प्रकार नैतिक निर्णयों के अर्थ के समान उसके स्वरूप से संबंधित समस्या पर भी अधिनीतिशास्त्र के अन्तर्गत गहन विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है।

(ख) नैतिक भाषा के प्रमाणीकरण संबंधी तर्कों का स्वरूप एवं प्रमुख विधियों के निर्धारण संबंधी समस्याः–

अधिनीतिशास्त्र की एक अन्य महत्त्वपूर्ण समस्या नैतिक निर्णयों के प्रमाणीकरण से संबंधित है। क्या हम अपने नैतिक निर्णयों को उचित अथवा अनुचित सिद्ध करने के लिये कुछ युक्तियाँ अथवा तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं? अर्थात् क्या हमारे नैतिक निर्णय बुद्धिसंगत अथवा तर्कसंगत

होते हैं? यदि हम इन निर्णयों को उचित या अनुचित सिद्ध करने के लिये तर्क दे सकते हैं तो इन तर्कों का स्वरूप क्या होगा? क्या नैतिक निर्णयों के समर्थन अथवा विरोध में प्रयुक्त तर्क उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के तर्क हम अपने तथ्यात्मक निर्णयों की पुष्टि के लिये देते हैं? यदि ये तर्क भिन्न स्वरूप के हैं तो वे कौन से तत्त्व हैं जो इन तर्कों को तथ्यात्मक एवं वैज्ञानिक तर्कों से पृथक् करते हैं? क्या निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्कों द्वारा नैतिक निर्णयों का प्रमाणीकरण संभव है? यदि नहीं तो इन निर्णयों को उचित या अनुचित प्रमाणित करने के लिये किस प्रकार के विशेष तर्क दिये जा सकते हैं? अधिनीतिशास्त्र इन सभी प्रश्नों तथा ऐसे अनेक प्रश्नों का संतोषजनक एवं सर्वमान्य उत्तर देने का प्रयास करता है। नैतिक निर्णयों के प्रमाणीकरण की इस समस्या को दार्शनिकों ने विशेष महत्त्व दिया है, क्योंकि प्रमाणीकरण के अभाव में इन निर्णयों को तर्कसंगत एवं बौद्धिक आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में नैतिक निर्णयों से संबंधित उपर्युक्त सभीं समस्यायें पृथक्–पृथक् न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। इसका मूल कारण यह है कि नैतिक निर्णयों का अर्थ, स्वरूप एवं प्रमाणीकरण ये तीनों पक्ष एक दूसरे से पृथक् न होकर अन्योन्याश्रित हैं। इनमें से किसी एक समस्या के समाधान के विषय में किसी दार्शनिक के विचार जान लेने के पश्चात् हम यह भलीभाँति जान सकते हैं कि वह अन्य दो समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई दार्शनिक यह कहता है कि 'शुभ' का अर्थ 'सुखद' होता है तो 'शुभ' सम्बन्धी नैतिक निर्णय के स्वरूप के विषय में हम उसके विचार का भलीभाँति अनुमान कर सकते हैं। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अनुसार 'शुभ' संबंधी नैतिक निर्णय 'सुखद' संबंधी मनोवैज्ञानिक निर्णय से भिन्न नहीं है। ऐसा दार्शनिक नैतिक निर्णयों को वस्तुतः तथ्यात्मक निर्णय ही मानेगा और इन निर्णयों की पुष्टि के लिये उसी प्रकार के तर्क देगा जिस प्रकार के तर्क तथ्यात्मक निर्णयों की पुष्टि के संदर्भ में दिये जाते हैं।

इसी प्रकार यदि कोई दार्शनिक नैतिक निर्णयों के स्वरूप की व्याख्या करते हुये यह कहता है कि ये निर्णय पूर्णतः संवेगात्मक होते हैं तो हम यह जान सकते हैं कि वह इन निर्णयों में प्रयुक्त नैतिक शब्दों का क्या अर्थ स्वीकार करेगा। वह यही कहेगा कि इन नैतिक शब्दों का अर्थ

संवेगात्मक शब्दों के अर्थ से भिन्न नहीं है। संवेगात्मक शब्दों के समान नैतिक शब्दों के विषय में भी उसका यही मत होगा कि ये शब्द भी मात्र हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त और जागृत करते हैं। ऐसा दार्शनिक नैतिक निर्णयों को उचित सिद्ध करने के लिये तथ्यात्मक अथवा बौद्धिक निर्णयों के समर्थन में दिये जाने वाले तर्कों से पूर्णतः भिन्न प्रकार के तर्कों को स्वीकार करेगा जैसा कि स्टीवेंसन ने मनोवैज्ञानिक तर्कों को स्वीकार किया है। यदि कोई दार्शनिक यह कहता है कि 'उचित कर्म वह है जो कि अधिकतम शुभ को उत्पन्न करता है' और 'शुभ' का अर्थ 'सुख' है तो हम यह भलीभांति जान सकते हैं कि वह 'अमुक कर्म उचित है' इस नैतिक निर्णय के प्रमाणीकरण के लिये किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करेगा। वह, यह सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि वह विशेष कर्म उन सभी कर्मों की अपेक्षा अधिक सुख उत्पन्न कर सकता है, जो उस परिस्थिति में कर्ता के लिये संभव है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अधिनीतिशास्त्र की उपर्युक्त तीनों समस्यायें एक दूसरे से पूर्णतः सम्बद्ध हैं। यही कारण है कि नैतिक भाषा के विवेचन एवं विश्लेषण में संलग्न प्रत्येक दार्शनिक नैतिक निर्णयों से संबंधित उपर्युक्त समस्याओं का समाधान या तो संज्ञानवादी नैतिक भाषा के ढांचे में करता है अथवा असंज्ञानवादी नैतिक भाषा के ढांचे में।

अधिनीतिशास्त्र के सम्मुख उपस्थित एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करना आवश्यक है। इस समस्या का संबंध **नैतिकता की अवधारणा** (ब्वदबमचज व् िडवतंसपजल) के स्पष्टीकरण से है। इसके अन्तर्गत नैतिकता की अवधारणा की व्याख्या करना एवं अन्य सभी निर्नैतिक अवधारणाओं से इसका भेद बताना शामिल है। साधारणतः लोग नैतिकता को आध्यात्मिकता, मज़हब, परलोकपरक, सुखप्राप्ति जैसे विषयों के साथ मिला देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि लोग आत्मकल्याणपरक दृष्टि को ही नैतिक दृष्टि मान लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नैतिकता के संबंध में लोग ऐसे निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं जो कि नैतिकता की परिधि से ही बाहर होते हैं। उदाहरणार्थ, नैतिकता के चरम लक्ष्य के संबंध में यह निष्कर्ष निकालना कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार या स्वर्गप्राप्ति या ईश्वर मिलन अथवा अपनी निजी इहलौकिक सुखप्राप्ति है, नैतिकता की अवधारणा के अनुकूल नहीं कहा

जा सकता है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि नैतिकता की अवधारणा का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण हो और नैतिक दृष्टिकोण को अन्य सभी दृष्टिकोणों से पृथक् कर उसके वास्तविक स्वरूप को समझा जाय। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रकार के विश्लेषण एवं विवेचन से नैतिक नियमों, सिद्धान्तों या मूल्यों का निर्धारण नहीं हो जाता है, अपितु इससे तो नैतिकता के प्रत्यय का मात्र स्पष्टीकरण होता है। ऐसा स्पष्टीकरण कोई उपदेशक नहीं करता है, अपितु यह कार्य कोई दार्शनिक ही कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नैतिकता की अवधारणा का स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण भी अधिनीतिशास्त्र के समक्ष उपस्थित एक महत्वपूर्ण समस्या है।

संदर्भ

1. ए0जे0 एयर, फिलासॉफिकल एसेज़, पृष्ठ 235
2. जी0ई0मूर, प्रिंसिपिया एथिका, पृष्ठ 3–5
3. ए0जे0 एयर, लैंग्वेज ट्रुथ एण्ड लाजिक, द्वितीय संस्करण, पृ0–31
4. ए0जे0 एयर, लैंग्वेज ट्रुथ एण्ड लाजिक, द्वितीय संस्करण, पृ0–102

अभिषेक उपाध्याय
पी0–एच0 डी0, दर्शनशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

स्वतन्त्रता संग्राम में गाँधी जी की भूमिका

– राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता

समय की पुकार पर अनेक महाविभूतियों ने भारत माँ की गोद में जन्म लेकर अपने अद्‌भुत प्रभाव से सम्पूर्ण विश्व को चकित कर दिया। रामकृष्ण विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, बुद्ध, महावीर, नानक, अरविन्द, रवीन्द्र नाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोष, आजाद, सुखदेव, भगत सिंह आदि महान विभूतियाँ हैं। इन्हीं विभूतियों में से एक महात्मागाँधी भी है। गाँधी जी ने अपने असाधारण प्रभाव से सम्पूर्ण विश्व को चकित कर सभी के मन को मोह लिया था।

मोहनदास करमचन्द गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर सन् 1869 ई0 को गुजरात राज्य में पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था। पिता करमचन्द गाँधी राजकोट के दीवान थे तथा माता श्रीमती पुतली बाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गाँधी जी पर इनका विशेष प्रभाव था। गाँधी जी के पूर्वज वैश्य थे, किन्तु उनके पिता एवं पितामह ने वाणिज्य व्यवसाय की जगह रियासत की दीवानी ही पसन्द किया। उनके पिता जी सत्यवादी एवं स्वाभिमानी थे। अपनी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी के लिए वे विख्यात थे।

गाँधी जी का पूरा परिवार वैष्णव था, गाँधी जी को पालने वाली धाई भी धार्मिक विचार की थी। परिवार में गाँधी को भारतीय संस्कार का परिवेश मिला। उनके व्यक्तित्व पर उनकी माताश्री के धार्मिक विचार, सेवा भावी विचार, त्याग की भावना एवं सादगी का प्रभाव पड़ा। गाँधी जी के लिए रामचरितमानस, गीता तथा उपनिषद प्रेरणा स्रोत रहे।

बाल्यावस्था में गाँधी जी संकोची प्रवृत्ति के थे और औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। गाँधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा अल्फ्रेड हाईस्कूल राजकोट में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भावनगर गये। वहां पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर कानूनी पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैण्ड प्रस्थान किया। इंग्लैण्ड से कानूनी शिक्षा प्राप्त कर भारत वापस आकर इन्होंने राजकोट में वकालत करना शुरु कर दिया परन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

ज्ञातव्य है कि गाँधी जी का विवाह अल्पायु में ही (13 वर्ष) पोरबन्दर के एक कुलीन वैश्य परिवार में गोकुलदास मकानी की पुत्री

कस्तूरबा से हुआ था। उनकी पत्नी प्रारम्भ से ही समर्पिता थीं और गाँधी जी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे।

तत्पश्चात् महात्मा गाँधी, प्रवासी भारतीय व्यापारियों के मुकदमें की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गये। वहां पर उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखकर बहुत चिंतित और दुःखी हुए। अफ्रीकावासी भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए आपने आन्दोलन छेड़ दिया। फलस्वरूप अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरन्तर संघर्ष करते रहे। अंत में प्रयास सफल हुआ और स्वदेश लौट आये।

प्रथम विश्वयुद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात् अंग्रेज सरकार ने भारत को स्वतन्त्र करने का जो वादा किया था, ठुकरा दिया। विश्वयुद्ध के पश्चात अंग्रेजों का साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी रूख वैसा ही रहा जैसा कि पहले था। इसलिए विवश होकर गाँधी जी ने स्वाधीनता आन्दोलन प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्यवश उसी समय 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन जलियाँवाला बाग में जनरल ब्रिगेडियर डायर ने भीषण नरसंहार कर दिया। निहत्थे और बेकसूर भारतीय बालकों, युवकों और वृद्धों पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोली की वर्षा की गयी। गाँधीजी इससे बहुत क्षुब्ध हुए और इसकी कटु आलोचना की।

इसी समय ब्रिटिश सरकार टर्की के साथ एक शान्ति समझौता किया, जिसके अनुसार बगदाद के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। कट्टर–पंथी मुस्लिम समाज क्रोधित हो उठा। गाँधीजी हिन्दू–मुस्लिम को एक सूत्र में बाँधकर राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन चलाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश 1920 ई0 में ही लोकमान्य गंगाधर तिलक की मौत हो जाने के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व रिक्त हो गया। यद्यपि 1921 ई0 में खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था।

स्वाधीनता प्राप्ति के लिए माहत्मा गाँधी ने सन् 1920 ई0 में असहायोग आन्दोलन आरंभ कर दिया। इस आन्दोलन में लाखों लोग गिरफ्तार हुए तथा हजारों लोग मौत के घाट उतार दिये गये। महात्मा गाँधी को भी जेल में बन्द कर दिया गया। इस प्रकार इनके द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। देश के सभी देश भक्त इस आन्दोलन में बढ़–चढ़कर भाग लिया। महात्मा गाँधी की पुकार पर

देश के लाखों लोग, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय और अपनी–अपनी नौकरियों को तिलांजलि दे–देकर इस आन्दोलन में कूद पड़े। महात्मगाँधी के इस आन्दोलन से प्रभावित होकर क्रान्तिकारी की लहर पूरे देश में फैल गयी।

नवम्बर 1921 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं करों के न भुगतान करने का निर्णय लिया गया, जिस समय गाँधीजी बारदोली में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने के विषय में सोंच–विचार कर रहे थे कि 3 फरवरी 1922 ई0 को चौरी–चौरा काण्ड हो गया। गाँधीजी इस घटना से दुःखी होकर आन्दोलन को स्थगित कर दिया। शीघ्र ही गाँधीजी को देश–द्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कारागार में डाल दिया गया। परन्तु असहयोग आन्दोलन का एक गुणात्मक परिणाम यह सामने आया कि हिन्दू–मुस्लिम में एकता की भावना उत्पन्न हो गयी।

5 फरवरी 1925 ई0 को महात्मा गाँधी को कारागार से मुक्त कर दिया गया। गाँधीजी जेल से बाहर आने पर साम्प्रदायिक दंगो एवं तनाओं तथा हिंसाओ से काफी दुःखी हुये। उन्होने मुहम्मद अली के घर 21 दिन का उपवास किया और पूरे देश में साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के लिए सभी जगह का दौरा किया। गाँधीजी अपने तात्कालिक कार्यक्रमों में छुआ–छूत को दूर करना एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सम्मिलित किया तथा चरखे का प्रचार भी किया।

मार्च के आरंभ में सन् 1930 ई0 गाँधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 ई0 को आपने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दाण्डी मार्च शुरू किया। 5 अप्रैल 1930 ई0 को 241 मील लम्बी पद यात्रा के पश्चात् दाण्डी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दाण्डी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद इस आन्दोलन ने सम्पूर्ण देश में ज्वालामुखी का रूप ले लिया। जनता ने गाँधीजी का साथ दिया तथा सहयोग किया। गाँधीजी की एक आवाज पर लाखों नर–नारियों का समूह जेल जाने को उमड़ पड़ा। 5 मई 1930 ई0 को गाँधीजी को डांडी के पास करड़ी नामक गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया। किन्तु इससे आन्दोलन थमा नहीं बल्कि और तेज हो गया।

इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसके परिणाम स्वरूप तीन गोलमेल सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिसमें कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि गाँधीजी थे।

भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। इसके पूर्व 1927 की साइमन रिपोर्ट, गोलमेट सम्मेलन (1930–32), गाँधी–इर्विन पैक्ट (1931) और साम्प्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 का श्वेत पत्र प्रकाशित हो चुका था। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के दो मुख्य प्रावधान थे– 1.प्रान्तीय शासन प्रबन्ध का अधिकार।

2. अखिल भारतीय संघ की स्थापना।

1935 ई0 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 ई0 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल आठ राज्यों में अपनी सरकारें बनायी।

अगस्त प्रस्ताव (8 अगस्त, 1940 ई0) में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की माँग को अस्वीकार कर दिया गया। इस पर कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वह केवल भारत विभाजन ही चाहती थी।

कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अलग रहने का निश्चय के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह सुझाव गाँधीजी का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ई0 में पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से शुरु किया गया। आचार्य विनोबाभावे पहले सत्याग्रही थे।

मार्च 1942 ई0 में क्रिप्स प्रस्ताव पारित हुआ। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमण्डल से अलग होने का अधिकार, भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार मिला हुआ था। महात्मा गाँधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ''दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक'' बताया(च्वेज कंजमक बेमुनम कतूंद वद ं ब्ौपदह ठंदा)

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन या ''अगस्त क्रांति'' भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की अन्तिम महान् लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर गाँधीजी ने ''हरिजन'' में लिखा ''अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओं।''

14 जुलाई 1942 ई0 का वर्धा प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा न स्वीकार किये जाने पर चुनौती देते हुए गाँधीजी ने कहा ''मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूंगा।'' वर्धा प्रस्ताव में ही कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण रूप से समझ गयी थी कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है, जब अंग्रेज भारत से चले जाएँ। यहीं पर ही कांग्रेस कार्य समिति ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' प्रस्ताव पारित किया।

7 अगस्त 1942 ई0 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। नेहरू ने ''भारत छोड़ों प्रस्ताव'' पेश किया जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ई0 को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गाँधीजी ''करो या मरो'' का नारा दिया था परन्तु 9 अगस्त की सुबह ''आपरेशन जीरो आवर'' के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गाँधीजी को पूना के ''आगा खाँ पैलेस'' में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गाँधी को भी ''आगा खाँ पैलेस'' में रखा गया। जवाहर लाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डा0 राजेन्द्र प्रसाद को बांकीपुर जेल (पटना) तथा मौलाना आजाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। जब सरकार ने इसका कठोरता पूर्वक दमन प्रारंभ किया तो परिणाम स्वरूप इस आन्दोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढाँचा भी तैयार हो गया। हजारी बाग के सेन्ट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आन्दोलन की बागडोर संभाल ली।

इन दिनों आन्दोलन का समाचार पहुँचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इनमें रोमांचकारी कार्य बम्बई के विभिन्न केन्द्रो से कांग्रेस रेडियों पर गुप्त संचालन था। इसका प्रसारण मद्रास तक सुना जा सकता था। रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम ऊषा मेहता ने प्रारम्भ किया। एक अन्य केन्द्र बाबूभाई चला रहे थे। जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियों में बोलते थे। पुलिस ने इस अपराध में ऊषा मेहता और बाबू भाई को पकड़कर 4 वर्ष की सजा दिलायी।

भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत छोड़ो आन्दोलन के समय हुए विद्रोहों का पूरा दोष गाँधीजी एवं कांग्रेस पर थोप दिया। गाँधीजी ने इन बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि ''मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था।'' गाँधीजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सरकार के इस ओर ध्यान न देने पर 10 फरवरी 1943 ई0 से गाँधीजी ने 21 दिन का उपवास शुरु कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने गाँधीजी को रिहा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया परन्तु चार्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे है। तब ऐसे समय एक कमबख्त बुड्ढे के समक्ष कैसे झुक सकते है जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। गाँधीजी को बाद में बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 ई0 को रिहा कर दिया गया। इस बीच गाँधीजी से उनकी पत्नी कस्तूरबा एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई बिछुड़ चुके थे। भारत छोड़ों आन्दोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इस समय देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की जैसे प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्त पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार जो 11944 ई0 तक चलती रही ''जातीय सरकार'' के नाम से जाना जाता है तथा सतारा की राष्ट्रीय सरकार जो सबसे दीर्घ जीवी रही, वाई0 बी0 चाह्वाण के नेतृत्व में 1945 ई0 तक कार्यरत रही।

इस तरह स्वतन्त्रता संग्राम में गाँधीजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

1. एस0के0 पाण्डेय, प्रकाशक प्रयाग एकेडमी गोविन्दपुर इलाहाबाद आधुनिक भारत पृष्ठ 333।
2. एच0एल0 पाण्डेय, गाँधी नेहरू टैगोर एवं अम्बेडकर पृष्ठ 10 प्रकाशक प्रयाग पुस्तक भवन, विश्वविद्यालय रोड इलाहाबाद।

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
नेट, इतिहास
यू0 जी0 सी0, न्यू दिल्ली।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

लखनऊ जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति एवं सुधार का अध्ययन

— अरूण कुमार मिश्र

माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक संरचना की मध्यस्थ कड़ी है, जिसके नीचे प्रारम्भिक शिक्षा और ऊपर विश्वविद्यालयीय शिक्षा होती है। माध्यामिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष के बालक—बालिकायें शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा दी जाती है। कक्षा 9 एवं 10 को उच्च माध्यामिक तथा कक्षा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। इसीलिए कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा देने वो विद्यालयों को उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कहा जाता हैं कार्टर वी0 गुड महोदय ने माध्यमिक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि माध्यामिक शिक्षा, शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 12 से 17 वर्ष के बालकों के लिए होता है। भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यामिक शिक्षा काल 14से 18 वर्ष की आयु का माना गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व— किसी देश के सर्वागीण विकास में माध्यमिक शिक्षा का बड़ा योगदान है। कोई भी व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रह जाये। इसके लिए भारत में संविधान में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष तक की अवधि की भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा। माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय एवं राज्य शासन पर संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख कर सौंपी गयी है। भारत को आजाद हुए 50 वर्ष से अधिक हो गये फिर भी देश एवं उत्तर प्रदेश के सभी बालक प्राथामिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। शैक्षिक निर्माण को एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् संविधान के अनुच्छेद—45 में निविष्ट निर्देशक तत्व के पूर्ति की, जिसमें कहा गया है राज्यों को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी पूर्ति 1960 तक होनी चाहिए थी, किन्तु इसमें पर्याप्त साधनों की कमी, जनसंख्या में भारी वृद्धि लड़कियों

की शिक्षा में रूकावटें, पिछड़े वर्गो की बहुसंख्या, लोगों की सामान्य गरीबी और जनकों की निरक्षरता और उदासीनता जैसी बड़ी–बड़ी दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा में पर्याप्त प्रगति करना सम्भव न हुआ और संविधान के निर्देश की पूर्ति न हो पाई। इसलिए निरन्तर यह जोरदार मांग की जाती रही है कि सरकार को इसकी पूर्ति के लिए एक मास की ही अन्तिम लक्ष्य तिथि निश्चित कर देनी चाहिए और इसके प्रयोतजन से एक ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए इस मांग से हमें सहानुभुति है और हमारा विश्वास है कि न केवल सामाजिक न्याया और लोकतंत्र के आधार पर बल्कि औसत कामगार की क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी हर बच्चे के लिए निःशुल्क और सार्वजानिक शिक्षा सबसे ज्यादा आग्रता वाला शैक्षिक उदेश्य है। यह चिन्तनीय विषय है, विचारणीय एवं अस्मिरणीय बिन्दु है। यदि माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है, तो बच्चों में गुणवत्ता का विकास नहीं हो रहा है, यह और विचारणीय बिन्दु है। इसलिए शोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति– हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा की दशा आज भी दयनीय बनी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। विद्यालयों में पठन–पठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कहीं–कहीं अध्यापकों के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या अत्याधिक है। सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु कहीं–कहीं तो पूरे विद्यालय में ही मात्र एक अध्यापक है जो छात्रों के अनुपात में बहुत ही कम है। ऊपर से सरकारी काम, जनगणना मतदाता सभी निर्माण आदि कार्यो में शिक्षक के लग जाने पर पढ़ाई बुरी तरह बाधित हो जाती है। जबकि कहीं–कहीं विद्यालयों में पर्याप्त बच्चे ही नहीं है। विद्यालय में आवश्यक संसाधनों का अभाव है। बच्चों को बैठने, पढ़ने हेतु सामग्री ही नहीं उपलब्ध है। उनके सर्वागीण विकास के लिए खेलकूद सामग्रियों का पूर्ण रूप से अभाव है। राज्य सरकार द्वारा संचालित पुस्तकों के वितरण की योजना भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। अधिकत्तर अध्यापक प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित ही रहते हैं। जो लोग विद्यालय जा भी रहे हैं वे लोग भी बैठकर काट रहे हैं बच्चे पढ़ने के बजाय आपस में लड़ते–झगड़ते रहते हैं इसी कारण आज समाज के सम्पन्न लोग अपने बच्चो को प्राइवेट

मॉन्टेसरी स्कूलों में प्रवेश करा रहे हैं तथा सरकारी समय में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक राष्ट्र का एक–एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे। राष्ट्र का सर्वागीण विकास नहीं हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा व्यवस्थायें तथा शिक्षकों में सुधार अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें तथा विद्यालयों में शिक्षण का उचित माहौल पैदा किया जाता । इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक का न्यायपूर्ण सहयोग आवश्यक है।

शिक्षक अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें तथा विद्यालयों में शिक्षण का उचित माहौल पैदा किया जाता। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक का न्यायपूर्ण सहयोग आवश्यक है। शिक्षक अपने व्यवसाय में निष्ठापूर्वक तभी कार्य कर सकेगा, ज बवह अपने कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा तभी सही भूमिका का निर्वहन करेगा। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार और समाज को अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त अध्यापक तथा विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था– माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व नियुक्त अध्यापक जिनकी योग्यता, इण्टर ग्रेजुएट तथा बी0एड0 है उनकी शिक्षण विधि अत्यन्त पुरानी और प्रभावी है। आज भी बालकों को रटाने पर अधिक बल दिया जाता है। बालकों के मनोवैज्ञानिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है, आज इसी कारण बालकों का स्वाभाविक और समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षण कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में उपकरण एवं सहायक सामग्री आदि उपलब्ध नहीं है। शिक्षक भी शिक्षण व्यवस्था में उचित सुधार के लिये प्रयासरत नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के पूर्व नियुक्त शिक्षक पढ़ायी व्यवस्था में सुधार एवं बच्चों को उचित शिक्षा देने के बजाय उनको कुछ कार्य देकर आराम अधिक चाहते हैं । ये शिक्षक राजनीति के चक्कर में अधिक पड़ जाते हैं कुछ विभागीय संघ की राजनीति में अपना अधिक समय देते है। तथा कुछ लोग गांवों की राजनीति में अभिरूचि लेते हैं और विद्यालय प्रधानाध्यापक विभागीय कागज तैयार करने और अधिकारियोंकी बैठक के चक्कर में ही परेशान रहते हैं। वे शिक्षण व्यवस्था पर अपना ध्या नही नहीं देना चाहते हैं । जिस कारण उनके सहायक भी आराम करने में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं। ये लोग आधुनिक शिक्षण व्यवस्था

के प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के बाद भी उसका ठीक ढंग से शिक्षण पद्धति में प्रयोग नहीं करते हैं तथा विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अत्यन्त कम हैं

शैक्षिक गुणवत्ता– इस शोध शीर्षक का दूसरा शब्द शैक्षिक गुणवत्ता है। शैक्षिक गुणवत्ता से तात्पर्य बच्चों में शारीरिक मानसिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चारित्रिक आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथ नैतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति से है। माध्यमिक स्तर की माध्यमिक शिक्षा के सापेक्ष में इनका विकास दृष्टिगोचर हो और जन सामान्य इनके विकास की अनुभूति कर सके। इसके विकसित होने पर शिक्षा सार्थक मानी जाती है। इनके अनुभुति की कसौटी जन सामान्य है।

स्थिति– इस शोध के शीर्षक में तीसरा शब्द स्थिति का तात्पर्य हैं। बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक, जनतांत्रिक आदि गुणों का विकास होना है। वर्तमान समय में समाज द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों की अप्रेक्षा कम महत्व दिया जाना तथा अपने बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में न भेजकर कॉन्वेंट या अन्य विद्यालयों में भेजना।

अवलोकन द्वारा स्पष्टतः दिखाई पड़ता है आज माध्यमिक विद्यालय में इन गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए एतदर्थ समुचित शब्द गुणवत्ता की स्थिति में रखा गया है।

सुधार– प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोधकर्ता न सुधार शब्द का इस अभिप्राय में ग्रहण किया है कि कौन–कौन से आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, विद्यालयी साज–सज्जा, सामाजिक,मनोवैज्ञानिक, पाठ्यक्रम परीक्षा, चरित्र और नैतिकता तथा पुरस्कार एवं दण्ड सम्बन्धी सुधार होने चाहिए जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों को प्रभावित करते हैं। इनके अभाव में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय हो गई है।

समस्या कथन– ''माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति एवं सुधार का अध्ययन है।''

अध्ययन के उदेश्य– प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उदेश्य हैं–

1. अभिभावको द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, विद्यालय साज–सज्जा

सम्बन्धी स्थिति, सामाजिक स्थिति, पाठ्यक्रम सम्बन्धी स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति परीक्षा सम्बन्धी स्थिति चरित्र और नैतिकता तथा पुरस्कार एवं दण्ड आदि बिन्दुओं से सम्बन्धित स्थितियों का अध्ययन करना।

2. अध्यापकों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक विद्यालयी साज–सज्जा सम्बन्धित, पाठ्यक्रम सम्बन्धी, मनोवैज्ञानिक परीक्षा सम्बन्धी चरित्र और नैतिकता, पुरस्कार एवं दण्ड सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करना।

3. अभिभावक एवं शिक्षकों के मतों के प्रतिशत मान के आधार पर समंवित रूप से आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना।

4. विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित कारणों पर अभिभावक एवं शिक्षकों के अभिमतों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं आजोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना।

5. निष्कर्ष एवं सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

सीमांकन– प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता समय, श्रय एवं धन को ध्यान में रखते हुए केवल लखनऊ जनपद के 50 माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन करेगा, जिसमें से 40 ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय तथा 10 शहरी क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय होंगे।

आँकड़ों का संग्रह– जनपद लखनऊ के 100 अध्यापकों एवं 100 अभिभावकों से प्रश्नावली भरवाई गयी। प्रश्नवाली के प्रश्नों के समक्ष हाँ अथवा नहीं के कालम अंकित थे। जो प्रश्न उन्हें सही लगता था उस प्रश्न के सामने सही का तथा जो गलत लगता था उस प्रश्न के सामने लगत का क्रमशः उत्तर प्राप्त किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय– इस शोधकार्य में किसी विशिष्ट सांख्यिकीय का प्रयोग न करते हुए केवल प्रतिशत मान का प्रयोग किया गया है।

सूत्र– $\text{प्रतिशत} = \dfrac{\text{हाँ या नहीं की संख्या} \times 100}{\text{सम्पूर्ण संख्या}}$

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या– जपनद लखनऊ के माध्यमिक विद्यालयों के 100 शिक्षकों और 100 अभिभावकों से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति से सम्बन्धित प्रश्नावली को भरवाया गया। शोधकत्री प्रायः माध्यमिक विद्यालय में जाती थी। शिक्षको को प्रश्नावली का प्रपत्र

देती थी और विनम्रतापूर्वक समझा कर उनसे प्रश्नावली पूरा करने को आग्रह करती थी। वे आग्रह को स्वीकार करके फार्म भरने की तैयार हो जाते थे। तत्पश्चात प्रश्नावली को पूरित करने के लिए प्रदान की जाती थी। प्रश्नवली को पूरी करने के बाद प्रश्नवली को पूरित करायी गयी, जिनके बच्चे उस माध्यमिक विद्यालय मे अध्ययन करते थे। अभिवावको ने शिक्षकों की अपेक्षा तन्मयता से प्रश्नवली को पूरित किया। प्रश्नवली भरने मे बड़ा उत्साह दिखाया। प्रश्नवली पूरित करने के बाद वापस ले लिया गया। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता की शैक्षिक स्थिति के प्रतिशत मान की तालिका का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

माध्यमिक विद्यालयो में शैक्षिक गुणवत्ता की प्रशासनिक स्थिति एवं सुधार सम्बन्धी सुझाव–

तालिका–1 शैक्षिक स्थिति के प्रतिशत मान की तालिका

क्र0 सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	न्हीं
1	विद्यालय में अध्यापकों की कमी है।	100	00	95	5
2.	विद्यालय में अध्यापक समय से आते हैं	89	11	21	79
3.	विद्यालय में 10 बजे से 4 बजे तक कक्षाएं नियमित चलती है।	84	16	20	80
4.	विद्यालय में छात्रा/छात्राओं को गृह कार्य दिया जाता है।	93	7	22	78
5.	विद्यालय में गृह कार्य का निरीक्षण किया जाता है।	93	7	25	75
6.	अध्यापक कक्षा में पाठ्य विषय के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग करते है।	71	29	08	92
7.	अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय कक्षा के सभी बच्च्चों पर ध्यान देते हैं।	70	30	15	86.33
8.	बच्चों को पढ़ाने से पहले अध्यापक उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं।				

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अध्यपको का हाँ मे प्रतिशत मान विद्यालय मे अध्यपकों की कमी पर 100 है। विद्यालय में अध्यापक समय से आते है के कारण पर 89 प्रतिशत है। विद्यालय में कक्षाएं 10–4 नियमित चलती है के कारण 84 प्रतिशत है। विद्यालय मे छात्राओं को गृह कार्य का निरीक्षण किया जाता है पर 95 प्रतिशत है। अध्यापक सहायक सामग्री का प्रयोग करते है पर 71 प्रतिशत अध्यापक शिक्षण कार्य समय सभी बच्चो पर ध्यान देते है पर 70 प्रतिशत है। बच्चो को पाठ पढाने से पहले अध्यापक उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते है। पर 67 प्रतिशत है। इसी क्रम पर 95 हाँ मे उत्तर दिये।

विद्यालय में अध्यापक समय से आते है पर 79 प्रतिशत विद्यालय 10–4 नियमित चलता है पर 80 प्रतिशत है विद्यालय में छात्रा–छात्राओ की गृहकार्य का निरीक्षण किया जाता है। नहीं मे उत्तर प्राप्त हुआ है।

शैक्षिक कारण के क्रम–1 पर विद्यालय में अध्यापको की कमी है पर शत प्रतिशत हाँ में उत्तर दिया और इसी बिन्दु पर अभिभावको का मत 95 प्रतिशत रहा । जिससे शिक्षा के गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है। शैक्षिक स्थिति के दुसरे क्रम पर विद्यालय समय से आते हैं बिन्दु पर अध्यापकों का 79 प्रतिशत तथा अभिभावकों का 21 प्रतिशत हाँ मे उत्तर दिया है इससे स्पष्ट होता है कि अध्यापकों ने अपनी कमी छिपाने के लिए गलत दिया तथा अभिभावक जो स्थानीय है। प्रतिदिन की गतिविधियों से परिचित है इसलिए सही– सही उल्लेख किया। इससे इन पर विश्वास किया जा सकता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्यापक समय से विद्यालय नहीं आते इसलिए गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है।

तालिका – 2 माध्यमिक विद्यालयो में शैक्षिक गुणवत्ता की प्रशासनिक स्थिति

क्र0सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	न्हीं
1	प्रशिक्षित एंव योग्य अध्यापकों का निष्पक्ष चयन किया जाता है।	97	3	51	49
2.	प्रधानाध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण करते है।	51	49	12	88

3.	सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी अध्यापकों के स्थानान्तरण में सुविधा शुल्क लेते है।	86	14	83	17
4.	सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह शिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हैं।	3	97	5	95
5.	प्रधानाध्यापक चहेते अध्यापकों को विद्यालय न आने को प्रश्रय देते हैं।	8	92	94	6

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापकों का हाँ मे प्रतिशत मान विद्यालय में प्रशिक्षित एंव अध्यापकों का चयन किया जाता है, पर 97 है। प्रधानाध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। पर 51 है। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी अध्यापकों के स्थानान्तरण में सुविधा शुलक लेते हैं पर 86 प्रतिशत है। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह शिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हैं पर 3 प्रतिशत है। प्रधानाध्यापक चहेते अध्यापकों को विद्यालय न आने का प्रश्रय देते हैं पर 92 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर दिये।

इसी क्रम में अभिभावकों ने अपने मत दिये प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों का निष्पक्ष चयन किया हाँ में जाता है पर 51 प्रतिशत। प्रधानाध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं पर 12 प्रतिशत है। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी अध्यापकों के स्थानान्तरण में सुविधा शुल्क ले रहे हैं पर 83 प्रतिशत। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह शिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हैं पर 5 प्रतिशत हाँ तथा नकारात्मक 95 प्रतिशत है। प्रधानाध्यापक चहेते अध्यापकों को विद्यालय न आने का प्रश्रय देते हैं। पर 95 प्रतिशत हाँ में उत्तर दिये। उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह शिक्षण कार्य का निरीक्षण करते हैं पर 95 नकारात्मक उत्तर पाया गया। यहाँ पर विरोधाभासी मत प्राप्त हुए है। यह उल्लेखनीय है कि अध्यापक अपने हित में सही जानकारी देने से मुकर रहे हैं। अभिभावक उसका पर्दाफाश करते हैं। इसलिए इन दोनों के उत्तरों के प्रतिशत मान को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण कार्य नहीं करते हैं। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी अध्यापकों को विद्यालय न आने की छूट देते हैं। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी

प्रतिमाह विद्यालयों कर निरीक्षण नहीं करते हैं। उपरोक्त इन प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में निरन्तर ह्रास हो रहा हैं विद्यालयों का खराब प्रशासनिक प्रणाली छात्रों की उपलब्धि को बाधित करती है।

माध्यमिक विद्यालयो में शैक्षिक गुणवत्ता की आर्थिक स्थिति तालिका – 3

कारणों के प्रतिशत मान की तालिका

क्र0सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	सभी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।	40	60	20	80
2.	भवन की मरम्मत के लिए सहायक सामग्री एवं अन्य सामान के लिए शासन से पर्याप्त धन मिलता है।	94	5	92	8
3.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रावृत्ति दी जाती है।	83	17	95	5
4.	अध्यापकों से धन उगाही के लिए स्थानान्तरण किए एवं रोके जाते हैं।	98	2	60	40
5.	अध्यापकों को पर्याप्त वेतन मिलता है।	88	12	95	5
6.	निःशुल्क पुस्तक छात्रों को दी जाती हैं।	98	2	95	5
7.	अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाता है।	96	4	57	43

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है पर अध्यापकों का हाँ में प्रतिशत मान 40 प्रतिशत है। भवन की मरम्मत के लिए सहायता सामग्री एवं अन्य सामान के लिए शासन से पर्याप्त धन मिलता है में हाँ प्रतिशत 95 प्रतिशत है। अध्यापकों के धन उगाही के लिए स्थानान्तरण किए एवं रोके जाते हैं पर हाँ में प्रतिशत 98 प्रतिशत हैं अध्यापकों को पर्याप्त वेतन मिलता है पर हाँ में 88 प्रतिशत है। अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाता है पर हाँ में प्रतिशत 96 है। इसी क्रम में अभिभावकों ने

अपने विचार व्यक्त किए सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है पर हाँ में प्रतिशत 96 है। भवन की मरम्मत के लिए सहायता सामग्री एवं अन्य सामान के लिए शासन से पर्याप्त धन मिलता है पर हाँ में 92 प्रतिशत है। अध्यापकों से धन उगाही के लिए स्थानान्तरण किए एंव रोके जाते हैं पर हाँ में प्रतिशत 60 है। अध्यापकों को पर्याप्त वेतन मिलता है पर 95 प्रतिशत हैं। अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाता है पर हाँ में प्रतिशत 57 तथा 43 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर दिये। अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिए जाने और अध्यापकों को पर्याप्त वेतन मिलने के बिन्दुओं पर अध्यापकों एवं अभिभावकों का प्रतिशत मान सर्वाधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण किए जाने, रोके जाने तथा उनके वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाता है। यह माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की दयनीय स्थिति का बहुत बड़ा कारण है। अध्यापक को स्थानान्तरण करके परेशान किया जाता है। यह बड़ी ही सोचनीय बात है। इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाना पूरे समाज और शासन के लिए अतिसोचनीय है। इसका प्रभाव शिक्षा जगत में नकारात्मक रूप में पड़ता हैं अन्ततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण करने एवं रोके जाने में धन उगाही करना उनके वेतन निर्धारण एवं वेतन पास करने में पैसा लिए जाने से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति खराब हो रही है।

माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की विद्यालयी साज–सज्जा सम्बन्धी स्थिति एवं सुधार

क्र0सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	विद्यालय में भवन नहीं है।	60	40	100	80
2.	विद्यालय में ब्लैक बोर्ड युक्त कमरे हैं।	14	86	5	95
3.	विद्यालय में छात्रा/छात्राओं के लिए अलग शौचालय है।	46	54	62	38
4.	विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है।	00	100	00	100
5.	विद्यालय में बच्चों को पानी पीने के	40	60	80	20

	लिए नल की व्यवस्था है।				

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विद्यालय में भवन नहीं है पर अध्यापकों को हाँ में प्रतिशत 60 है। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड युक्त कमरे हैं पर हाँ में 13.14 प्रतिशत है तथा 86 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर है। विद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए अलग शौचालय है पर हाँ में 46 प्रतिशत तथा नहीं में 54 प्रतिशत है। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है पर 100 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर मिले।

इसी क्रम में अभिभावकों के भी विचार अध्यापकों से मिलते जलते ही मिले हैं। विद्यालय में भवन का न होना विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था का न होना। विद्यालय में ब्लैक बोर्ड युक्त कमरे का अभाव होगा। विद्यालय में कुर्सी मेज का न होना । बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही बाधा है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता कम हो रही है जिस पर शिक्षा समाज और राज्य सरकार को ध्यान देने की परम आवश्यकता है।

माध्यमिक विद्यालयो में शैक्षिक गुणवत्ता की परीक्षा सम्बन्धी स्थिति एवं सुधार

तालिका संख्या–6 पाठ्यक्रम सम्बन्धी स्थिति का प्रतिशत

क्र0सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	पाठ्यक्रम निर्माण का दायित्व अध्यापकों पर है।	96	4	46	54
2.	माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है।	95	5	20	80
3.	माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम सामाजिक क्रियाओं पर आधारित है।	57	43	18	82
4.	माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम जीविकोपार्जन युक्त है।	64	36	5	95
5.	माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करने वाला है।	35	65	42	58

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पाठ्यक्रम निर्माण का दायित्व अध्यापकों पर है पर 96 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है, 95 प्रतिशत पाठ्यक्रम सामाजिक क्रियाओं पर आधारित है। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम जीविकोपार्जन युक्त है पर 64 प्रतिशत है। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करने वाला है पर प्रतिशत मान 35 है। हाँ में अध्यापकों का उत्तर पाया गया है। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि करने वाला है पर 65% नकारात्मक उत्तर अध्यापकों से पाया गया है।

इसी क्रम में अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं पाठ्यक्रम का निर्माण का दायित्व अध्यापकों पर है 46 प्रतिशत हाँ तथा 54 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर पाया गया है। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम सामाजिक क्रियाओं पर आधारित है पर 18 प्रतिशत हाँ में तथा 82 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर पाया गया है। माध्यामिक विद्यालय का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है पर 80 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर पाया गया, जबकि 20 प्रतिशत उत्तर हाँ में पाया गया है।

माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नहीं है अभिभावकों तथा अध्यापकों दोनों ने स्वीकार किया है। माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का पाठ्यक्रम सिद्धान्तों पर आधारित है। व्यवहारिक एवं प्रयोगिक नहीं है। इसलिए अध्यापकों एवं अभिभावकों का यह कथन भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सहायक नहीं है सर्वथा उचित है कि माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नहीं है। पाठ्यक्रम सामाजिक क्रियाओं पर आधारित नहीं है। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम सामाजिक क्रियाओं पर आधारित नहीं है। बच्चे सामाजिक क्रियाओं में दक्ष नहीं हो पाते है और समाज में समायोजन करने की क्रिया उनकी मंद रही है। माध्यमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम जीविकोपार्जन युक्त नहीं है। जिसके कारण माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों में गुणवत्ता का विकास नहीं हो रहा है।

प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता की पुरस्कार एवं दण्ड सम्बन्धी स्थिति एवं सुधार सम्बन्धी सुझाव

क्र0सं0		अध्यापक		अभिभावक	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

1	विद्यालय में आचरण एवं व्यवहार की परीक्षा होती है।	7	93	12	88
2.	विद्यालय में तार्किक क्षमता की परीक्षा होती है।	17	83	00	100
3.	विद्यालय में मासिक परीक्षा होती है।	38	62	00	100
4.	विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होती है।	100	100	84	16
5.	परीक्षा में नकल करायी जाती है।	40	60	75	25
6.	मूल्यांकन निष्पक्ष होता है।	91	9	35	65

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अध्यापिका का प्रतिशत मान प्रत्येक बिन्दु पर विद्यालय में मासिक परीक्षा होती है पर 38 प्रतिशत विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होती है पर 100 प्रतिशत परीक्षा में नकल करायी जाती है पर 40 प्रतिशत मूल्यांकन निष्पक्ष होता है पर 91 प्रतिशत उत्तर हाँ में पाया जाता है।

विद्यालय में आचरण की परीक्षा होती है पर 93 प्रतिशत विद्यालय में तार्किक क्षमता की परीक्षा होती है पर 83 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर पाया गया। इसी क्रम में अभिभावकों ने भी अपना मत दिया है। विद्यालय में आचरण एवं व्यवहार की परीक्षा होती है पर 12 प्रतिशत हाँ तथा 88 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर दिये। विद्यालय में मासिक परीक्षा होती है। पर 100 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर दिये। विद्यालय में तार्किक परीक्षा होती है। पर 100 प्रतिशत नकारात्मक उत्तर दिये है। मूल्यांकन निष्पक्ष होता है पर 65 प्रतिशत नकारात्मक तथा 35 प्रतिशत हाँ में उत्तर दिये हैं। विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होती है पर 84 प्रतिशत हाँ में तथा 16 प्रतिशत नहीं में उत्तर दिये है।

अभिभावकों तथा अध्यापक के दिये गये उत्तरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक विद्यालय में आचरण एवं व्यवहार की परीक्षा नहीं होती है। बौद्धिक क्षमता एवं मासिक परीक्षा नहीं होती है। जिसके कारण माध्यामिक विद्यालयों की गुणवत्ता की स्थिति दयनीय है। जब तक विद्यालय में इन परीक्षाओं को उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार किया जाता तब तक माध्यमिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता है।

तालिका संख्या– 4.9 पुरस्कार एवं दण्ड सम्बन्धी स्थिति कर प्रतिशत

क्र0सं0		अध्यापक	अभिभावक

		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	अनुशासित बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है।	42	58	00	100
2.	अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है।	60	40	15	85
3.	समय से आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है।	00	100	00	100
4.	अनुशासनहीन बच्चों को दण्डे से मारा जाता है।	6	94	95	5
5.	विद्यालय में न आने वाले बच्चों को दण्डित किया जाता है।	58	42	59	41
6.	सफाई न रखने वाले बच्चों को दण्डित किया जाता हैं	94	5	68	32

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अध्यापकों का प्रतिशतमान अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है पर हाँ में प्रतिशत मान 60 प्रतिशत है तथा नहीं में 40 प्रतिशत है। सफाई न रखने वाले बच्चों को दण्डित किया जाता है पर प्रतिशत मान 94 प्रतिशत है तथा 6 प्रतिशत ननहीं में उत्तर है। समय से आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। पर हाँ में प्रतिशत 00 तथा नहीं में 100 प्रतिशत है। अनुशासनहीनता करने वाले बच्चों को दण्ड से मारा जाता है पर हाँ में प्रतिशतमान 6 तथा नहीं में 94 प्रतिशत है।

इसी क्रम में अभिभावकों के प्रत्येक बिन्दु पर अपने मत दिये हैं। अनुशासनहीन बच्चों को दण्डे से मारा जाता है। पर हाँ में 95 प्रतिशत है तथा नहीं में 5 प्रतिशत है। सफाई न रखने वाले बच्चों को दण्डित किया जाता है पर हाँ में प्रतिशत मान 68 प्रतिशत है तथा नहीं 32 प्रतिशत है अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है पर हाँ में प्रतिशतमान 15 प्रतिशत तथा नहीं में प्रतिशत मान 85 प्रतिशत है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह पिष्कर्ष निकलता है कि अनुशासनहीनता बच्चों को पुरस्कार आज्ञाकारी व सेवाभाव रखने वाले बच्चों को पुरस्कार, समय से आने वाले बच्चों को पुरस्कार, अनुशासनहीनता करने वाले बच्चों को आर्थिक दण्ड, अनुशासनहीनता करने वाले बच्चों को निकाला जाना

जिसके कारण माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है।

निष्कर्ष तथा उसका शैक्षिक महत्व प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव निम्न है–

1. शैक्षिक कारण के क्रम संख्या 1 पर विद्यालय में अध्यापकों की कमी है पर शत प्रतिशत हाँ में उत्तर दिया और इस बिन्दु पर अभिभावकों का प्रतिशत 95 है इससे यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है। माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं एंव बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्रताशीघ्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। आज शिक्षा के इस स्तर को देखने से स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षा को अपनी लम्बी–लम्बी बातों से ही सफल बनाना चाहती है। शासन ने एक विकल्प का रूप शिक्षा को माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ततः शोधकत्री निष्कर्ष रूप में कहना चाहेगी कि विद्यालय में सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्यापकों को नियुक्त करें तथा विभागीय परीक्षा लेकर नियमानुसार अध्यापकों की नियुक्ति करें।

2. माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण कार्य नहीं करते हैं। विलम्ब से आने वाले अध्यापकों को लिखित चेतावनी नहीं देते। सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी अध्यापकों से स्थानान्तरण में सुविधा शुल्क लेते हैं। उपरोक्त इन प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने कार्यो का दायित्व निर्वहन जिम्मेदारी से नहीं करते जिनके कारण उनके सहायक और गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण तब करते हैं जब उन्हें पैसे या अध्यापक को प्रताड़ित करना होता है। ऐसी दशा में अधिकारियों को कड़ा रूख अपनाना होगा जो जनपद स्तर के हो। जिससे छोटे अधिकारियों पर अंकुश लगाया जा सके। अन्ततः शोधकत्री निष्कर्ष रूप में कहना चाहेगी कि यदि अधिकारी पूरी शक्ति से विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें और अध्यापकों पर सख्ती रखें जिससे विद्यालय में अध्यापक उपस्थित रहे और अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहकर शिक्षण कार्य करेंगे तो निश्चित ही दिनों शिक्षा में सुधार होगा।

3. अध्यापको के स्थानान्तरण कियें जाने से अध्यापकों के वेतन निर्धारण में पैसा लिया जाता है और वेतन पास कराने में पैसा लिया जाता है यह सभी कारक माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की देयनीय स्थिति को बढ़ावा देते है। अतः शोधकत्री के अनुसार इस प्रकार के कार्य विभाग, शासन अंकुश लगाये जिससे अपराध को रोका जा सके।

4. माध्यमिक विद्यालय मे आवश्यक सुविधाओं के न होने से बच्चे के पठन–पाठन मे अवरोध उत्पन्न होता है। आज के इस आधुनिक युग मे परिस्थितियो के साथ व्यवस्थाओ को देना होगा जिसकी समाज अपेक्षा करता है, क्योकि बच्चे समाज से ही आते है यदि हमे शैक्षिक गुणत्ता को बढ़ाना है तो हर तरफ से एक एक बिन्दु पर ध्यान देना होगां

5. विद्यालय मे प्रत्येक कक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला, विद्यालय मे खेल कूद के लिए अन्त कक्ष वाहय कक्ष की व्यवस्था और विद्यालय मे प्रत्येक छात्रा के बैठने के लिए कुर्सी एंव मेज की व्यवस्था नही है उपरोक्त सभी बिन्दुओ की अव्यवस्था के कारण माध्यमिक विद्यालयो में गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है। अतः सुधार स्वरूप कहा जा सकता है कि सरकार विभाग, विद्यालय में इन सभी चीजो की व्यवस्था शीघ्र करे।

6. राज्य सरकार द्वारा शिक्षण कार्य बन्द करवाकर जनगणना, मतगणना, बाल गणना, पल्स पोलियो, मकान गणना एंव निर्वाचन कार्य कराये जाने से शिक्षण कार्य मे बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिण गुणवत्ता की स्थिति दयनीय है। सुक्षाव स्वरूप यह कहाँ जा सकता है। कि ऐसे कार्यो की व्यवस्था शासन अन्य किसी तरह करे। इन अध्यापको को सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए छोड़ दे जिससें अध्यापक पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य करे।

7. माध्यमिक विद्यालयो में अध्यापकों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है अध्यापकों का इन नेताओ सें मिलाना माध्यमिक विद्यालय के गुणवत्ता में बाधक है। ऐसे अध्यापक शिक्षण कार्य को गौण तथा नेतागीरी को प्रमुख मानते है। जिसके कारण माध्यमिक विद्यालयो की शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है अध्यापको को राजनीतिक संरक्षण नही प्राप्त होना चाहिए कि एक टीम गठित करे ऐसे अध्यापको की कड़ी

से कड़ी सजा दे। जिससे भविष्य मे इस तरह के अपराध करने की कोई अन्य अध्यापक हिम्मत नही जुटा सकें।

8. माध्यमिक विद्यालयो मे शासन मन चाहा हस्तक्षेप करता है। वह सर्वथा अनुचित है शिक्षण की प्रक्रिया समाज मे चलती है। विभिन्न क्षेत्रो से सम्बन्धित समाज के शिक्षक और समाज सुधारक हस्तक्षेप नही करना चाहिए ऐसा करनें से शिक्षा सही मार्ग पर नही चल सकेगी और समाज का अधिकाधिक हित नही होगा।

9. समाज उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापको को न तो सम्मलित करता है न तो इसकी सूचना प्रशासन को देता है तथा अध्यापक गावं–गांवमें जाकर छात्र– छात्राओ की स्थिति से अवगत नही कराते इससे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति दयनीय हो रही है।

10. पाठयक्रम निर्माण का दायित्व राज्य शैक्षिक संस्थान एंव शिक्षा अधिकारियों पर है, जब तक पाठयक्रम का निर्माण का दायित्व राज्य शैक्षिक संस्थान एंव अधिकारियो पर रहेगा तब तक पाठयक्रम समाज की आकांक्षाओ एंव आवश्यकतओं की पूर्ति मे बाधक नही हो सकता, जिसके कारण माध्यमिक विद्यालयो की शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति बेकार है।

11. अनुशासनहीन बच्चो को पुरस्कार, समय से आने वाले बच्चो को आर्थिक दण्ड, अनुशासनहीनता करने वाले बच्चो को विद्यालय से न निकाला जाना, माध्यमिक स्तर के विद्यालयो मे अध्यापको को ऐसे बच्चो को चिन्हित कर लेना चाहिए जो आज्ञाकारी एंव सेवाभाव रखने वाले हो, समय से विद्यालय आते हो, विद्यालय में दिये गये कार्यो को घर से भलिभति कर ले लाते हो। ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों की शिक्षा की दिशा में एक सार्थक पहचान देनी चाहिए। यह बच्चों की शिक्षा की दिशा में एक सार्थक कदम होगा और अपनी गुणवत्ता कर सकेगी।

12. आज का अध्यापक अपने बच्चों जैसा व्यवहार अन्य बच्चों के साथ नहीं करता जो विद्यालय आते हैं जो कि विद्यालय के बच्चों के साथ अन्याय है ऐसा करना सर्वथा गलत है, जबकि बच्चों की तरह गुणकारी सुयोग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए।

सुधार के प्रयास– माध्यमिक शिक्षा की साक्षरता की पहला कदम सोपान एवं शिक्षा की नींच है, जिस वर्ग समाज और देश की माध्यमिक शिक्षा सुदृढ एवं गुणकारी होती है उस समाज का विकास सम्पन्न एवं

त्वरित गति से होता है। अन्यथा विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः इस स्तर की शिक्षा अपरिहार्य रूप से बाल केन्द्रित आवश्यकताओं की प्रति कारक उदेश्य परक एवं गुणकारी होनी चाहिए।

प्रस्तुत शोध कार्य में जो निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इतनी अस्त–व्यस्त हो गयी है कि यह शिक्षा सुचारू रूप से संचालित न होकर बाधिक हो गयी है, जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव न पड़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जो भविष्य की दृष्टि से बहुत ही अशुभ और चिन्तनीय है।

माध्यमिक शिक्षा में सबसे बड़ी विसंगति अध्यापकों की कमी है। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कक्षाएं चलती है। अध्यापकों की इतनी कमी है कि एक कक्षा के लिए एक अध्यापक नहीं है। स्कूल चलों अभियान सबके लिए शिक्षा बाल केन्द्रित शिक्षा की संकल्पना अध्यापकों की कमी के कारण निराधार एवं व्यर्थ साबित होती है। अध्यापकों के अभाव में उक्त उदेश्य की पूर्ति का स्वप्न देखना भी बेकार है।

निष्कर्ष से दूसरी बात उभर कर आयी है कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में विद्यालय भवन ही नहीं है। यदि भवन है भी तो केवल दो कमरे ही है। माध्यमिक स्तर पर कक्षाएं चलती है विद्यालय में बरामदे को लेकर केवल तीन कमरे ही उपलब्ध हैं। इससे माध्यमिक विद्यालयों की गुणवतता की स्थिति दयनीय हो रही है। यदि माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता को बढाना है तो कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं का शिक्षण कक्ष प्रदान करना शासन के लिए अनिवार्य होगा। अन्यथा माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता कक्ष के अभाव में आना असंभव होगा। इस शोधकार्य के निष्कर्ष से यह बात निकलकर सामने आयी है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण रोकने में अधिकारी स्तर पर घूस लिया जाता है। यह शिक्षा के स्तर को गिराने और शिक्षकों की मनोदशा को तोड़ने में बहुत बड़ा कारकहै। शिक्षकों की पूरी ऊर्जा अपने स्थानान्तरण को रोकवाने एवं करवाने में समाप्त हो जाती हैं वे स्वस्थ चित्त होकर शिक्षण काम्र में नही लग पाते हैं। यह प्रथा समाप्त करके प्रशासन को आगे आना होगा जिससे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सकारात्मक हो सके।

यह बात भी सामने आयी है कि अध्यापक छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यह बहुत ही विचारणीय बात है। यदि भेदभाव की नींव माध्यमिक विद्यालयों में पड़ जाती है तो उस नींव का ढहना मुश्किल हो जाता हैं इसकों रोकने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक आगे आये। उन्हें स्वयं की कार्य शैली मे सुधार करना होगा। अन्यथा अध्यापकों पर स्थायी कलंक का टीका लग जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दूबे एस.एन : शिक्षा और समाज, प्रथम संस्करण, सातवाहन पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1983।

2. प0 आर0 एस0 : शिक्षा समीक्षा प्रभाग पुस्तक भवन यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद।

3. प्रतियोगिता दर्पण : नवम्बर 2003, पेज 773—774।

4. बुच, एम0बी : ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, फर्स्ट एडिशन बड़ौदा, 1979।

5. बुच, एम0बी0 : सेकेन्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन , (1972—78) बड़ौदा, 1979।

6. बुच, एम0बी0 : फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन , एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली 1987।

7. बुच, एम0बी0 फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन , (1983—88) वाल्यूम 1.2 एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली 1991।

8. बेस्क, जॉन डब्ल्यू: रिसर्च इन एजूकेशन, प्रण्टिस हाल ऑफ इण्डिया प्रा0लि0 न्यू दिल्ली 1983।

9. भटनागर सरेश : इण्डियन एजूकेशन (टुडे एण्ड टुमारों) सेकेण्ड एडिशन इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ इण्डिया 1990।

10. मजूमदार एच0बी0 एण्डः थर्ड ऑल इण्डिया एजूकेशन सवें कौल, सी, एल0एन0सी0ई0आर0टी0 दई दिल्ली 1979।

11.मिटिजल होराल्ड ई0 इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजेकेशनल रिसर्च वाल्यूम—1, 4 फिफ्थ एडिशन, दि मैकमिलन पबिशिंग कम्पनी इन न्यूयार्क, 1982।

अरूण कुमार मिश्र

पी0—एच0 डी0, चौ0च0सि0वि0वि0, मेरठ, उ0प्र0।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

हिन्दी साहित्य में नारी की स्थिति

– ममता मिश्र

नारी जीवन की वह धुरी है जिससे सम्पूर्ण मानव जीवन संचालित होता है। नारी एवं पुरूष दोनो के अनुपम सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। नारी को जीवन की आधार शिला मानते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने कामना की है–

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में।
पियूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में।।[1]

पुरूषों द्वारा स्त्रियों पर किया जाने वाला अत्याचार समस्त क्षमताओं के होने पर भी शिक्षा के अभाव तथा पुरुष पक्ष पर आधारित परिवारिक उत्तरदायित्व की प्रथा ने नारी को परमुखापेक्षी दान मे दी जाने वाली ''अर्थो ही कन्या परकीय एव''[2] की धारणा फैलायी और उसे उसके पति के घर भेजकर समाज में पिता कहा जाने वाला परिवार का मुख्य सदस्य अपनी बड़ी इच्छा इसी में पूरी मान लेता था कि उसकी पुत्री किसी सुयोग्य अथवा अयोग्य व्यक्ति के सहचर्य में जाकर सदैव–सदैव के लिए उससे पृथक हो जाती रही,किन्तु साहित्य में अलग–अलग समय में अलग–अलग स्थितियॉ रही हैं,लेकिन आधुनिक युग में कवियों एवं साहित्यकारों ने इसका भी विरोध किया। प्रसाद की 'श्रद्धा' अपने परिचय में कहती है– ''भरा था मन में नव उत्साह सीख लू ललित का ज्ञान ।

इधर रह गंधर्वो के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान ।।''[3]

श्रद्धा के इस कथन के माध्यम से कवि समाज में स्त्रियों की दशा सुधारना चाहता है। ललित कला का ज्ञान प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन तथा कार्यो में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वे उसे स्थापित करना चाहते थे। करूणा ममता मधुरिमा अगाध विश्वास लिए नारी पुरुष के लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहती है।

दया मया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास ।
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास।।[4]

नारी में स्वच्छन्दता, आत्मविश्वास, पवित्रता, संकल्प, आत्मनियंत्रण आदि ऐसे गुण है जो तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के सूचक हैं। स्त्री एवं पुरुष

को बराबर स्थान दिये जाने के बाद यदि पुरुष को जहाँ विचार व्यक्त करने में स्वतंत्रता मिली है तो नारी को भी परिवार एवं आंगन की सीमा से मुक्त करना होगा। 'लहर' मे कवि जागरण का यही संदेश देता है–

''अधरों मे राग अमंद पिये, अलकों में मलयज बंद किये।
तू अब तक सोई है आली, ऑखों मे भरे विहाग री।।''[5]

नारी की ऐतिहासिक एवं कालक्रम की दृष्टि से देखें तो हमे वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक नारी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन हमे मिलता है।

वैदिक समाज पितृसत्तात्मक रहा है इसलिए उसमें पुत्र को वरीयता एवं पुत्री की उपेक्षा की जाती रही है। पुत्र प्राप्ति के कारण ही बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलन में रही। इस काल में मात्र पुरुष की अनुगामिनी के रूप में ही रही। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में लिखा है'' स्त्री का पहला कर्तव्य पुत्र संतान को जन्म देना।[6] वैदिक काल रामायण काल एवं महाभारत काल में भी नारी की स्थिति यथावत रही।

आदि काल में युद्ध के केन्द्र (मध्य) में नारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वह विलासिनी वस्तु के रूप में देखी जाती रही है। नारी कभी कभी इस युग में अपने साहस वीरता का परिचय भी देती थी। मध्य काल तक आते आते साहित्य में कवियों ने नारी को अनेक रूपों मे उभारा है। कबीर दास भी कंचन कामिनी नारी पर व्यंग करते हुए लिखा है –

नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग ।
कबिरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग।।

लेकिन वही कबीर दास जी ने पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है।

''पतिव्रता नारी भली काली कुचित कुरूप
पतिव्रता के रूप पर वारौ कोटि स्वरूप।।

तुलसीदास ने अपने रचनाओं मे नारी के श्रेष्ठ रूपों की विवेचना की है। सूरदास जी भी अपने रचनाओं में राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में अनुपम छटा विखेरी है जिसमें नारी के अनेक स्वरूपों का दर्शन हमें मिलता है– बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहॉ रहति काकी तू बेटी देखी
नही कबहू ब्रज खोरी ।।

रीति कालीन सुरा एवं सुन्दरी की विलासिता में निमग्न रहा है। वहॉ नारी का अस्तित्व क्रीड़ा हेतु ही रहा है। इस रूप में घनानन्द जी के

साहित्य में नारी के इस स्परूप का परिचय हमे मिलता है। घनानन्द जी सुजान को आलम्बन बनाकर अपनी इस मौलिक प्रेयसी के रूप सौन्दर्य का इतना मार्मिक एवं मनोरंजक वर्णन किया है जो देखते ही बनता है। घनानन्द जी ने उसकी रूप निकाई के अनेक चित्र अंकित किए हैं जो उनकी प्रेम विभोरता का परिचय है। यह काव्य हिन्दी काव्य (साहित्य) का स्थायी सम्पत्ति बन गया है। आधुनिक युग तक आते–आते नारी की स्थिति मे सुधार हुआ है। भारतेन्दु युग से ही नारी के उत्थान की ओर ध्यान दिया जाने लगा। गुप्त जी ने नारी के स्वरूप का चित्रण अपने साकेत के माध्यम से किया है 'हाय रे अबला तेरी यही कहानी ऑचल में दूध है और ऑखों मे हे पानी'' लेकिन वही जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के स्वरूप को श्रेष्ठ बताते हुए पुरुष के मार्ग दर्शिका के रूप में चित्रित किया है। औरों को हसते देखो मनु, हसो और सुख पाओ।

अपने सुख को विस्तृत कर लो सब को सुखी बनाओ।।[7]

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल तक नारी पुरुषों से कन्धा से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति व सम्पन्नता का अनुमान नारियो की स्थितियों को देखकर लगाया जा सकता है। सच है कि लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और एक लड़की की शिक्षा तो सारे परिवार की शिक्षा है। आधुनिक युग में यदि समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को उन्नत बनाना हे तो नारी का चतुर्दिक विकास करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– जयशंकर प्रसाद –कामायनी (लज्जा सर्ग) पृष्ठ–38
2– महाकवि कालिदास–अभिज्ञानशाकुन्तलम् पृष्ठ–422
3–जयशंकर प्रसाद – कामायनी (श्रद्धा सर्ग) पृष्ठ–23
4– जयशंकर प्रसाद – कामायनी (श्रद्धा सर्ग) पृष्ठ–25
5–जयशंकर प्रसाद–लहर पृष्ठ–21
6– आपस्तम्ब सूत्र–1/10–51–52
7–जयशंकर प्रसाद कामायनी पृष्ठ–42

डॉ0 ममता मिश्रा
रीडर, हिन्दी विभाग
ने0 ग्रा0 भा0 वि0 इलहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

– तुषार रंजन

शिक्षा एक चेतनाभूत, नियंत्रित, गत्यात्मक एवं सतत् प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा जीवन व्यवहार सिखाती है तथा जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सिर्फ साक्षरता शिक्षा नहीं हैं और सूचना ज्ञान नहीं है तथा स्कूल से वंचित रहना शिक्षा से वंचित होना नहीं है। शिक्षा प्राप्ति का एक मात्र साधन स्कूल ही नहीं है। **महान् शिक्षाविद् इवान इलीच** ने तो यहाँ तक कहा है कि मेरी माँ मुझे शिक्षित करना चाहती थी इसलिए उसने मुझे स्कूल नहीं भेजा। इसका तात्पर्य यह है कि स्कूल के अलावा अनौपचारिक रूप से भी सीखा जा रहा है। सिर्फ स्कूली साक्षरता एक कौशल बनकर रह जाती है जबकि सामाजिक साक्षरता शिक्षा बन जाती है।

समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। औपचारिक शिक्षा में जहाँ गुरु के माध्यम से सीखा जाता है वहाँ अनौपचारिक शिक्षा में एकलव्य की तरह अपने प्रयत्न से सीखा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है ''अप्प दीपो भव'' अर्थात् अपने प्रकाश स्वयं बनो। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि बालकों को सिखाने और पौधों को उगाने की बात एक ही है। पौधा प्रकृति से विकसित होता है, हम केवल उसके विकसित होने में सहायता कर सकते हैं। हमें बालकों के लिए केवल वे संसाधन जुटा देने चाहिए जिससे कि वे स्वयं सीख सकें। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने 10 नवम्बर, 1963ई0 को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था ''मैं पूरी तरह इस बात का कायल हूँ कि सर्वप्रथम शिक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए बाकी सब चाहे वह उद्योग हो चाहे कृषि या कुछ और जो भी हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है, उसका सही ढंग से विकास तभी होगा जब पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर शिक्षा होगी।'' सिर्फ शिक्षा के लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है बाकी बातों के लिए शिक्षा अपने आप वातावरण बना लेगी।

दूरस्थ षिक्षा, षिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें षिक्षक तथा षिक्षार्थी स्थान व समय की बाध्यता से मुक्त होते हैं तथा यह प्रवेष के मानदण्डों के सम्बन्ध में भी उदार है। जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न हो रही औपचारिक षिक्षा की समस्याओं के न्यूनीकरण में दूरस्थ षिक्षा वरदान साबित हो रही है तथा षिक्षा को लोकप्रिय और सार्वभौमिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सूचना क्रान्ति ने दूरस्थ शिक्षा के मायने ही बदल दिए हैं। शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य, माध्यमों में भी काफी बदलाव आया है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि जितने विद्यार्थी हर साल बारहवाँ पास करते हैं, उन सबके लिए हमारे रेग्युलर कॉलेजों में जगह नहीं है, ऐसे में कई छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा एक बेहतर विकल्प के तौर उभर रहा है।

अब कहीं भी रहकर पत्राचार से शिक्षा प्राप्त करना केवल पत्राचार मटेरियल तक ही सीमित नही रह गया है। अब तो टेलीकॉन्फ्रेसिंग और मोबाइल के जरिए भी दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) का लाभ बखूबी उठाया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा माध्यम में विद्यार्थी को नियमित तौर पर संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। हर कोर्स के लिए क्लासेज की संख्या तय होती है और देश भर के कई सेन्टरों पर उनकी पढ़ाई होती है। विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरैक्टिव ऑनसाइट लर्निंग और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में रहकर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। वे अपनी जरूरत के अनुसार अपने पढ़ने के समय–तालिका बना सकते हैं।

डिस्टेंस एजूकेशन काउंसिल के अनुसार आगामी पाँच सालों में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के प्रतिशत को 10 से 15 प्रतिशत करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में दूरस्थ शिक्षा का येगदान उल्लेखनीय होगा। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के हर पाँच विद्यार्थियों में से एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का विद्यार्थी होता है। समाज के सभी तबकों (वर्गों) को समान शिक्षा दिए जाने की जो बात हम करते हैं, दूरस्थ शिक्षण से ही फलीभूत फलीभूत होती प्रतीत होती है। वर्तमान में भारत की सूचना–प्रौद्योगिकी बुलन्दियों पर है। पूरे देश में उपग्रहों की सहायता से रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, इण्टरनेट का संचालन आसान

है। जनसंचार साधनों के आपसी नेटवर्क ने देश–विदेश में कहीं भी कोई सूचना प्राप्त करना या सूचना को सम्प्रेषण की सुविधा उपलब्ध हो जाने से दूर शिक्षा का संचालन करना सुगम है। इससे लाभ उठाते हुए अधिसंख्य जनसंख्या की शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत की पूर्ति करने के निमित्त देश में पत्राचार शिक्षा संस्थाओं एवं खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।

भारत में दूर शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति में पत्राचार संस्थान एवं खुले विद्यालय/विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में दूरस्थ शिक्षा के इन दोनों अभिकरणों को सशक्त बनाने तथा सोच–विचारकर इनके विकास का संकल्प लिया गया है। आशा है इससे भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और समानता की अवधारणा, साक्षरता की वृद्धि का स्वप्न भी दूर शिक्षा के बढ़ते हुए कदमों से इक्कीसवीं सदी में परिपूरित होगा। प्रस्तुत अध्याय में दूरस्थ शिक्षा के विविध पहलूओं पर विस्तार से चर्चा किया जा रहा है।

दूरस्थ शिक्षा को लोग विविध नामों से पुकारते हैं, जैसे– औचारिकेत्तर शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, मुक्त अधिगम, परिसरविहीन अध्ययन आदि। दूरस्थ शिक्षा के इन नामों में प्रत्येक के साथ कुछ न कुछ विशेषताएँ जुड़ी हुई है लेकिन वे सभी दूरस्थ शिक्षा के ही रुप हैं। शैक्षिक क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा एक नवाचार तथा नई प्रवृत्ति के रूप में विगत् कुछ दशकों से प्रचलित है। परम्परागत प्रणाली के अन्तर्गत् अध्यापक शिष्य के सम्मुख बैठकर शिक्षा प्रदान करता है। छात्र किसी एक स्थान पर बैठकर अपने अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी कारणों से शिक्षा प्रदान करने की इस परम्परागत् शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूरस्थ शिक्षा की गैर परम्परागत् उपागम सामने आयी। जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों की सीमितता तथा शिक्षा की आवश्यकता ने दूरस्थ शिक्षा को लोकप्रिय बना दिया।

जनसंख्या विस्फोट के कारण औपचारिक शिक्षा बाधित हो रही है। दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा को लोकप्रिय और सार्वभौमिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यह उन छात्रों के लिए वरदान है, जो परम्परागत् प्रकृति की औपचारिक शिक्षा संस्थानों में अध्ययन नही कर

सकती हैं। कर्मचारीगण, मजदूर, विकलांग, गृहणियाँ आदि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं। निर्धन तथा निर्जन क्षेत्रों तथा सुदूर प्रदेशों में रहने वाले एवं किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा न ग्रहण कर रहें छात्रों तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा का प्रकाश पहुँचाया जा रहा है।

वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शैक्षिक उपागम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्यान्वयन कार्यक्रमों में किये गये प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा एक मुक्त अधिगम प्रणाली की दिशा में दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा की बढ़ती माँग तथा संसाधनों की सीमित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिकाधिक बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। निःसन्देह आने वाले समय में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ही शिक्षा प्रदान करने वाली मुख्य शिक्षा प्रणाली होगी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था में यह परिवर्तन आना अवश्यम्भावी है। इस क्षेत्र में अनेक शोध सम्पादित किये गये हैं, जिनसे दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायी जा सकी है परन्तु दूरस्थ शिक्षा की कार्य प्रणाली एवं अधिगम सामग्रियों की उपलब्धता के सन्दर्भ में कम शोध हुये हैं। जबकि अधिगम सामग्रियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

मुक्त अधिगम प्रणाली मुख्य रूप से सम्प्रेषण तकनीकी पर आधारित है। सम्प्रेषण माध्यम मुक्त अधिगम प्रणाली का आवश्यक अंग माना जाता है। भरत की विशाल जनसंख्या को ज्ञान सम्पन्न बनाने, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को अंजाम देने, सबके लिए शिक्षा की माँग को पूरा करने, कार्यरत व्यक्तियों की ज्ञान–पिपाशा की तृप्ति करने में मुक्त अधिगम प्रणाली वरदान के समान है। मुक्त अधिगम प्रणाली में अमुद्रित माध्यम से आशय उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों से है जो शिक्षण–अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि करते हैं। मुक्त अधिगम प्रणाली में अनेक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयाग किया जाता है जैसे– **श्रव्य** साधनों में मुख्यतः रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीफोन आदि, **दृश्य** साधनों में मुख्यतः चार्ट, नक्शा, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्ट, एपीडायस्कोप आदि,तथा **दृश्य–श्रव्य** साधनों में मुख्यतः टेलीविजन,

कम्प्यूटर, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क, टेलीकान्फ्रेन्सिंग, इन्टरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है।

निरन्तर सीखते रहने की जिज्ञासा और प्रवृत्ति, मानव की प्रगति और अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवष्यक है। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा एवं द्रुतगामी विकास की गति इतनी तीव्र एवं उर्ध्वगामी है कि यदि नागरिक वर्तमान चुनौतियों और मांग के सन्दर्भ में स्वयं को सूचना युक्त, सजग और दक्ष नही बनते तो वे विकास की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। यदि किसी राट्र में यह स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती है तो सम्पूर्ण सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इस सन्दर्भ में प्रख्यात षिक्षाविद **ए0 जे0 टॉयनबी** का यह कथन ''**सीखो अथवा नष्ट हो जाओ**'' और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। षिक्षा प्राप्ति का एक मात्र साधन स्कूल ही नही है वरन् अनौपचारिक रुप से भी सीखा जा रहा है। महान षिक्षाविद **इवान इलिच** ने तो यहां तक कह दिया है कि– **मेरी माँ मुझे षिक्षित करना चाहती थी इसलिए उसने मुझे स्कूल नही भेजा।** आज के बदलते परिवेश में परिवर्तन की धारा ने शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित किया है। जहाँ एक ओर मानवीय सम्बन्धों में बदलाव आया है, वही विज्ञान के बढ़ते चरण ने शिक्षा की दशा व दिशा दोनों ही परिवर्तित किये हैं।

वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रत्येक क्षेत्र में युगान्तकारी परिवर्तन हुए है। मनुष्य ने तकनीकी उन्नति के माध्यम से स्वयं का जीवन उन्नत किया है। सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था का बोलबाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि परिवर्तन की इस आँधी में क्या प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक, सामाजिक व आर्थिक विकास हुआ है? यदि नही तो इसमें सुधार की क्या सम्भावना तलाशी जाय? शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति भी इसके द्वारा लाभान्वित हो सके और वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी भूमिका निश्चित कर सकें। छात्र व छात्राओं की वर्तमान पीढ़ी में कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा सकते है। वे विद्यालयी शिक्षा को तो सहर्ष स्वीकार करते है, परन्तु इसके बन्धनों से परे शिक्षा की अपेक्षा भी करने

लगे हैं। इस दौर में दूरस्थ शिक्षा द्वारा विकास की सम्भावनाएँ तलाशी जा रही है।

दूरस्थ शिक्षा को सफल बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का निहितार्थ भी तलाशा जाने लगा है और इसे भरपूर उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता व उपयोगिता को बनाये रखने के प्रयास जारी है। इस हेतु आज शिक्षा को सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के भॅवर जाल से निकालकर मजबूत व्यावहारिक आधार देने की नितान्त आवश्यकता है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास की ओर इंगित करती है, जिसके लिए पूर्व में चल रही शिक्षा व्यवस्था में कुछ आमूल–चूल परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बालक पुरानी शिक्षा व्यवस्था से वैश्वीकरण के सम्प्रत्यय को प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक नये युग में प्रवेश जैसी धारणा को ध्यान में रखकर उसके पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन व्यवस्था तथा उसको प्रदान किये जाने वाले अनुभवों को एक नया स्वरूप प्रदान करना होगा, जिससे आने वाली समस्याओं का समाधान वह स्वयं कर सके। अतः उच्च शिक्षा में विस्तार, उत्कृष्टता और समावेशन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसाधनों का विकास अनिवार्य है।

उच्चतर शिक्षा में दाखिल छात्रों में 1/5 से अधिक छात्र मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह सिफारिश करता है कि दूरस्थ शिक्षा में इन विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जाय, एक राष्ट्रीय आई0सी0टी0 आधारिक–तन्त्र का सृजन किया जाय, विनियामक तंत्रों में सुधार किया जाय, वेब आधारित साझा मुक्त संसाधन विकसित किया जाय, क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाय और राष्ट्रीय परीक्षण सेवा उपलब्ध कराया जाय। इसकी संपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उत्तम अंतःवस्तु का निर्माण तथा वैश्विक, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठाने की ओर एक व्यापक ढंग से ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत है। दूरस्थ शिक्षा की स्थिति पर दृष्टिपात करने से हम यह पाते है कि समूचे विश्व में अधिकांश विकासशील देशों ने मुक्त विश्वविद्यालयों की जरूरत महसूस की है। फ्रांस और यूके जैसे विकसित देशों ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑन लाइन शिक्षा के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका

निर्विवाद नेता बना हुआ है। 21वीं सदी का शुभारम्भ सूचना प्रौद्योगिकी के युग के रूप में हुआ है। आज सूचना प्रौद्योगिकी पर राजनेताओं, योजनाकर्ताओं, प्रशासकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, मीडिया से जुड़े व्यक्ति, मनोरंजनकर्ताओं एवं सभी दूरदर्शी व्यक्तियों का रूझान है। क्योंकि इसका राष्ट्रीय विकास, विश्व व्यापार, वाणिज्य के संवर्द्धन उद्योग और कृषि के विकास तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता व अन्य सामाजिक, आर्थिक कार्यों में अत्यधिक महत्त्व एवं योगदान है।

भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का आनुपातिक रुप से अत्यन्त अभाव है इस कारण भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गहरा संकट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हमारी 18–24 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी का अनुपात लगभग 70 प्रतिशत है जो एशिया के औसत का आधा है। विश्वविद्यालयों में उपलब्ध स्थानों की संख्या के दृष्टि से उच्चतर शिक्षा के लिए मौजूदा अवसर हमारी आवश्यकता के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इतना ही नहीं उच्चतर शिक्षा के स्तर में जबरदस्त सुधार की आवश्यकता है। भारत जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है, अशिक्षा का स्तर भी अधिक है। यहाँ भाषा, जीवन शैली व संस्कृति का बहुतायत है। इस स्तर पर सूचना प्रौद्योगिक एक उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

भारत सूचना प्रौद्योगिकी के शिक्षा व विकास के क्षेत्र में क्षमता विस्तार के बारें में पूरी तरह सजग है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने मंत्रालय के 100 दिनों का एजेण्डा प्रस्तुत करते हुए शिक्षा विस्तार, निवेश और गुणवत्ता को मूलमंत्र बताया। इनका विचार है कि पूरी दूनिया में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के कारण आए बदलाव को देखते हुए शिक्षा के लक्ष्य और उसकी जरूरतों में परिवर्तन आ गया है। केन्द्र सरकार का जोर इस बात पर है कि शिक्षा को सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए और ऑन लाइन शिक्ष प्रदान की जाय। वर्चुअल विश्वविद्यालय बनाने की भी कल्पना है, जिसके तहत कोई भी छात्र घर बैठे कम्प्यूटर व इण्टरनेट के द्वार पढ़ाई पूरी कर सके। वित्त मंत्री ने भी इस बजट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते अधिक धन का आवंटन किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को व्यापक

स्तर पर लाने हेतु दूरस्थ शिक्षा अग्रणी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बिखरी हुई जनसंख्या का वृहत क्षेत्र शिक्षा से अछूता है। जन–जन तक शिक्षा की ज्योति पहुँचाने हेतु प्रौद्योगिकी की अग्रणी भूमिका है।

दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में, सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के अनेक माध्यम है, जो प्रयोग लाये जाते हैं जैसे– रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, श्रृव्य–दृश्य कैसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डाक, कम्प्यूटर नेटवर्क, फैक्स, टेलीकान्फ्रेन्सिग आदि। मुक्त विश्वविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका स्वतः स्पष्ट होती है क्योंकि रेडियो व टेलीविजन द्वारा भी इसका क्रियान्वयन होता है। इण्टरनेट का प्रारम्भ सन् 1995 को हुआ। इसके माध्यम से छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम आसानी से सुलभ हो जाते है। ज्ञानदर्शन व ज्ञानवाणी जैसे शैक्षिक चैनल भी इसमें सहायता करते है। ज्ञानदर्शन व ज्ञानवाणी जैसे शैक्षिक चैनल भी इसमें सहायता करते है। ज्ञानवाणी 7 नवम्बर 2001 से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। इसी प्रकार ज्ञानदर्शन भी जनवरी 2000 से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अनेक शिक्षाविद् व विषय विशेषज्ञ इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता को संवर्द्धित करते है तथा समस्याओं का समाधान भी इसी माध्यम से किया जाता है। 37 अक्टूबर 2009 को इग्नू ने तीसरी पीढ़ी (थ्री जी) की मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी के जरिए ऑन अलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीडन की दूर संचार कम्पनी एरिक्सन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। अधिकारियों ने बताया कि इग्नू शुरूआत में सूचना प्रौद्योगिकी की सर्टीफिकेट कोर्स कर रहे 1000 छात्रों को 3जी के जरिए शिक्षा देगा। अगले छः माह के लिए इसे पायलेट परियोजना की तरह चलाया जायेगा।

विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का शिक्षा शास्त्रीय प्रयोग अभी भी बहुत सीमित है। इसे विस्तृत करने की जरूरत है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी के सशक्त माध्यम से जैसे–इण्टरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स व टेलीकॉन्फ्रेन्सिग का भरपूर प्रयोग किया जाय तो औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा पर व्यय भार भी कम होगा तथा शिक्षा की गम्भीर चुनौतियों का सामना करने में दूरस्थ शिक्षा निश्चित रूप से सक्षम होगी।

दूरस्थ को सफल व उपयोगी बनाने हेतु सुझाव –

- दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा को ''सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति'' द्वारा ''ज्ञान का विस्फोट'' जैसी संकल्पना को साकार किया जाय।
- टेलीकांन्फ्रेन्सिग का प्रयोग करके शिक्षक–छात्र सम्पर्क पर बल दिया जाय, क्योंकि दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा का यह बिन्दु सर्वाधिक विचारणीय है।
- उपग्रह सम्प्रेषण द्वारा भी शिक्षण प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाय।
- तकनीकी माध्यमों से ही परीक्षा प्रक्रिया पर बल दिया जाय।
- शिक्षण प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाय।
- जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा में भारती निवेश की भी आवश्यकता है।
- दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में श्रृव्य– दृश्य सामग्री को प्रत्येक अधिगमकर्ता केलिए उपलब्ध कराया जाय।
- छात्र–छात्राओं की समस्याओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा द्रुतगामी समाधान भी किया जाय, जिससे दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा औपचारिक शिक्षा के सामने गुणवत्ता की कसौटी पर खरी उतरे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- **भाई योगेन्द्रजीत एवं सिंह, डॉ. सुनीता(2014)**, षिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां एवं नवाचार, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेषन।
- **शर्मा ए. आर. (2014.15)**, एजुकेषन टेक्नोलॉजी, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेषन।
- **यादव डॉ सियाराम (2013)**, दूरवर्ती षिक्षा, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेषन।
- **अग्रवाल, जे.सी. (2007)**, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, आगरा; विनोद पुस्तक भण्डार,
- **गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, (1964–66)**, रिपोर्ट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन कमीशन, नई दिल्लीः मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन;

- **गुप्ता, डॉ0 मंजू (2007),** भारत में शिक्षा, नई दिल्ली : के0 एस0 के0 पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज।
- **ठाकुर डॉ0 यू0 एम0 शर्मा एवं डॉ0 वी0 के0(2007),** पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, आगरा, आई0 के0 पब्लिशर्स
- **शंकर सिंह** : कम्प्यूटर और सूचना तकनीक : पूर्वान्चल प्रकाशन, दिल्ली–2005
- *http://archive.india.gov.in/hindi/spotlight/spotlight_archive.php?id=25*
- *http://hi.vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/educational-schemes*
- *https://hi.wikipedia.org/wiki/nwjLFk_f'k{kk*

तुषार रंजन

शिक्षक – शिक्षा, संकाय

नेहरू ग्राम भारती इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन

– राघवेन्द्र मालवीय एवं अविनाश पाण्डेय

शिक्षा, व्यक्ति के हाथ में वह मुख्य उपकरण है जिसके द्वारा वह जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने योग्य होता है। व्यक्ति अपने जीवन में औपचारिक शिक्षा के दो प्रमुख स्तरों विद्यालयी स्तर व विश्वविद्यालयी स्तर पर पूर्ण करता है। यद्यपि दोनों स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में पृथक–पृथक महत्त्व है, फिर भी व्यक्ति के जीवन में विद्यालयी शिक्षा अपना एक विशेष स्थान रखती है। विद्यालयी शिक्षा जहाँ एक ओर व्यक्ति को आरम्भिक आधार प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति को विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करती है। विद्यालयी शिक्षा न केवल बालक की मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करती है बल्कि यह समाज की उन्नति में भी अपना अविच्छिन्न योगदान देती है। विद्यालय शिक्षा बालकों में आत्म–संयम, आत्म–सम्मान, आत्म–विश्वास आदि सद्‌गुणों को उत्पन्न करती है तथा उनमें विवेक, न्याय व निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उन्हें उचित निर्णय लेने के योग्य बनाती है। विद्यालय शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों में उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार हस्तान्तरित करता है कि वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर व चरित्र–सम्पन्न नागरिक बन सकें तथा समाज की उन्नति में निरन्तर अपनी शक्तियों व ऊर्जा का उपयोग कर सकें।

मानव में पायी जाने वाली कतिपय विशिष्ट प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है– कल के कार्य को आज और आज के कार्य को अभी करने की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति का विकास भी व्यक्ति में जन्म के बाद से ही होता है। व्यक्ति में पानी जाने वाली इस प्रवृत्ति को मनोवैज्ञानिकों ने 'जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति' कहा है तथा इस प्रवृत्ति को दर्शाने वाला व्यवहार 'जोखिमपूर्ण

व्यवहार' के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने अपने दोहे में मानव व्यवहार की इस प्रवृत्ति को संकेत करते हुए कहा है–

कल करे सो आज कर, आज करे तो अब।
कल को प्रलय हो गयी, बहुरि करेगो कब।

भारतीय हिन्दी साहित्य में सम्मिलित 'लोकोक्तियाँ व कहावतें' व्यापक एवं दीर्घकालिक मानवीय अनुभवों पर आधारित है।

'समय चूक पुनः का पछताने' अर्थात् अवसर निकल जाने पर/समय व्यतीत होने पर पछताना व्यर्थ है।

'समय न बारम्बार' अर्थात् अवसर/समय बार–बार नहीं आता है।

'का बरखा जब कृषि सुखानी' अर्थात् समय निकल ाने पर इलाज बेकार होती है।

'समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता'

'समय को दोष देना अपने को ही दोष देना है'

अंग्रेजी साहित्य में भी व्यक्ति के द्वारा कार्य को समय पर करने एवं समय के महत्त्व को दर्शाने वाले विभिन्न उद्धरण देखे जा सकते है। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार **बेन्जामिन फ्रैंकलिन** ने कहा है–

'Lost time is never found again'

'Never leave that till tomorrow which you can do today'

'You delay, but time will not'

इसी प्रकार महोदय विक्टर किम के अनुसार

अंग्रेजी साहित्य में समय की महत्ता तथा जोखिमपूर्ण व्यवहार सम्बन्धी दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी मानव में पायी जाने वाली जोखिमपूर्ण व्यवहार प्रवृत्ति को पहचाना है व व्यक्तियों को उनके इस व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं।

जोखिम व्यवहार योग्यता के सम्बन्ध में इन विचारों व परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जोखिम व्यवहार योग्यता कार्यों को तुरन्त निर्णय की एक स्वभावगत विशेषता है जिसमें व्यक्ति बिना सोचे–समझे अपने कार्यों को वरीयता देता है। जोखिमपूर्ण व्यवहार के कारण कई बार व्यकित अनुत्पादक व अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यर्थ करता है और अपने आवश्यक कार्यों को समय पर समाप्त नहीं कर

पाता है। जोखिम व्यवहार, मानव में पायी जाने वाली एक उच्च कोटि की प्रवृत्ति है।

समस्या कथन– ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध।''

अध्ययन का उद्देश्य– 1– लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना। **2–** क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ– प्रस्तुत अध्ययन की निम्न शून्य परिकल्पनाएँ है–

1. लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं।
2. क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं।

शोध प्रविधि– 'सर्वेक्षण अनुसंधान विधि' का प्रयोग किया गया है। यादृच्छिक न्यादर्श के रूप में के शहरी एवं ग्रामीण में स्थित 4 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 के 200 विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 100 छात्राओं) का कला एवं विज्ञान वर्ग से चयन किया गया है। जोखिम व्यवहार योग्यता को मापने के लिए डॉ0 वीरेन्द्र सिन्हा एवं डॉ0 प्रेम नाथ अरोरा द्वारा निर्मित जोखिम व्यवहार प्रश्नावली (Risk Taking Question) का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए **सह–सम्बन्ध गुणांक (कार्ल पियर्सन गुणन आर्घूण) सांख्यिकी विधि** का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों विश्लेषण एवं व्याख्या–

उद्देश्य–1 लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

तालिका 1

लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध

क्रमांक	स्मूह	सहसम्बन्ध गुणांक का मान	स्वतंत्र्यांश (छ.2)	सार्थकता स्तर

1.	विद्यार्थी	0.0114	198	असार्थक
2.	छात्र	−0.0002	98	असार्थक
3.	छात्राएँ	0.0908	98	असार्थक

यह प्राक्कल्पित किया गया कि लिंग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है। तालिका 1 से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान 0.0114, −0.0002 एवं 0.0908 है जो 198 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.138 एवं .181 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।

उद्देश्य–2 क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

तालिका 2

क्षेत्र के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध

क्रमांक	स्मूह	सहसम्बन्ध गुणांक का मान	स्वतंत्र्यांश (छ.2)	सार्थकता स्तर
1.	शहरी	−0.0589	98	असार्थक
2.	ग्रामीण	−0.0262	98	असार्थक

तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान −0.0589 है जो 98 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.195 एवं .254 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है अर्थात्

जोखिम व्यवहार योग्यता में वृद्धि होने से शैक्षिक उपलब्धि कम होती जायेगी।

तालिका से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक का मान –0.0262 है जो 98 स्वतंत्र्यांश के लिए 0.05 एवं .01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान 0.195 एवं .254 से कम है। यह मान 0.05 एवं .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक है व शून्य परिकल्पना स्वीकार्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।
- माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
- माध्यमिक स्तर के ग्रामीण विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य ऋणात्मक सम्बन्ध पाया गया लेकिन दोनों के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सुझाव– विद्यार्थियों में जोखिम व्यवहार योग्यता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपने आपको मुश्किलों से बाहर निकल सकें। शैक्षणिक कार्य के साथ–साथ बच्चों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह तकनीकी

एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों के साथ–साथ जोखिम भरे नौकरियों से भी जुड़ सकें। विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में उन्हें हिमालय क्षेत्रों के बारें में जानकारी, उपग्रहों से सम्बन्धित जानकारी, समुद्रों से सम्बन्धित जानकारी, पुलिस एवं गुप्तचर विभाग, अग्नि शमन विभाग से सम्बन्धित बातें, द्वीपों से सम्बन्धित जानकारियों तथा सेना से सम्बन्धित शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह शिक्षा के साथ–साथ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा वहाँ नौकरी पर जाने के लिए डरे नहीं। वर्तमान समय में नौकरियों के लिए होड़ मची हुई है जहाँ लोग नौकरी पाने के लिए जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है अतः विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों के साथ–साथ उन्हें इस तरह के प्रशिक्षण दिया जाये तो वह अपने भविष्य में कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में अपने आपको ढाल सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- **सी., शोभा बी. (2011).** किशोरों का विलम्बन व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य, जी.सी.टी.ई. जनरल ऑफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन इन एजुकेशन, 6(2), 138–141
- **शर्मा, ममता और गगनदीप कौर (2011).** लिंग–भेद के आधार पर किशोरों में विलम्बन व शैक्षिक तनाव, इण्डियन जनरल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेज, 8(1–2(, 122–127
- **कौशिक व अन्य (2014).** विद्यार्थियों में आरोपण शैलियों, आत्म–नियामकता तथा शैक्षिक विलम्बन के मध्य सम्बन्ध इण्टरनेशनल जनरल ऑफ साइकोलॉजी एण्ड बिहेवियरल रिसर्च, 3(3), 184–191
- **सावित्री, जे.जे. (2014).** जीवन सन्तुष्टि पर शैक्षिक विलम्बन तथा शैक्षिक प्रदर्शन का पारस्परिक प्रभाव, इण्टरनेशनल जनरल ऑफ साइंस एण्ड रिसर्च, 3(3), 377–381
- **मोहन्ती, डी0 (2000)** 'स्कूल टाइप सॉइकेलॉजीकल डिफरेस्टिएयन एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ ट्राइबल एण्ड नॉन ट्राइबल चिल्ड्रेन, पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र, उत्कल यूनिवर्सिटी।

राघवेन्द्र मालवीय

डॉ.अविनाश पाण्डेय, विभागाध्यक्ष

शिक्षक–शिक्षा संकाय, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

भारतीय संस्कृति में संस्कार व्यवस्था

– सुनील कुमार शुक्ल

वैदिक संस्कार व्यवस्था का आज भी जीवित रहना इस तथ्य का प्रबलतम् प्रमाण है कि उसका प्रयोजन व्यष्टिगत हित न होकर समष्टिगत शुभ है। वैदिक मनीषियों ने मनुष्य को उनके जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक सुसंस्कृत करते रहने की योजना बनायी ताकि उसके पतित होने की संभावना कम से कम रहे। प्रत्यक्षतः यह योजना व्यक्तिपरक दृष्टिगोचर होती है, परन्तु सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के माध्यम से समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाना है।

उपर्युक्त सन्दर्भ में विचारकों के दो वर्ग सामने आते हैं–वंशानुक्रमवादी तथा पर्यावरणवादी। **वंशानुक्रमवादी** विचारधारा को मानने वाले गाल्टन, जिजमैन इत्यादि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राणी जो कुछ भी है वह वंशानुक्रम का ही परिणाम है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।[1] इस मत के विपरीत **पर्यावरणवादी** विद्वानों यथा डॉ0 नेफास इत्यादि का विचार है कि वंशानुगत गुणों को भी इच्छित पर्यावरण द्वारा बदला जा सकता है, उदाहरणार्थ जल की बूँद तपते हुए लौह खण्ड के सम्पर्क में आने पर तत्काल नष्ट हो सकती है, और शीतल स्थान घास आदि के पत्तियों पर पड़ने पर प्रातःकाल सूर्य की लालिमा युक्त किरणों के पड़ने पर शोभायमान होने लगती है।[2] जीन्स पर शोध करने वाले नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक **डॉ0 हरगोविन्द खुराना** का यहाँ तक कहना है कि किसी गुण विशेष के जीन्स को प्रजनन तत्व में से निकालकर अभीप्सित गुण वाले जीन्स के आरोपण द्वारा मन चाहे गुणों वाली सन्तान उत्पन्न की जा सकती है। वह समय अब दूर नहीं जब आवश्यकतानुसार सुकरात, प्लेटो, न्यूटन, आइंस्टीन तथा शेक्सपियर पैदा किये जा सकेंगे।

इन मान्यताओं पर **एफ0एन0 फ्रीमैन मिस बी0एस0 वर्क्स तथा अयोबा विश्वविद्यालय** ने विस्तृत परीक्षण करके यह सिद्ध किया कि मानव के व्यक्तित्व विकास में न तो पूर्णतः वंशानुक्रम का सिद्धान्त लागू होता है

और न ही पर्यावरण का। पहला मत अति निराशावाद की ओर ले जाता है तो दूसरा अत्यन्त आशावाद की ओर। आधुनिक विचारक एवं समाजशास्त्रीय इस प्रश्न में नहीं उलझना चाहते कि व्यक्तित्व विकास में कौन कारक अधिक प्रभावित करता है– वंशानुगत या पर्यावरण, अपितु वे उनके समन्वित अध्ययन पर विशेष बल देते है, ताकि व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास हो सके। प्राचीन भारतीय संस्कार व्यवस्था में यही समन्वयवादी विचार देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें माता–पिता द्वारा प्राप्त संस्कारों की प्रबलता में सन्देह नहीं किया जाता, फिर भी समुचित पर्यावरण के द्वारा नवीन संस्कारों से पुराने संस्कारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।

आज के समाज में व्यक्तियों के वैयक्तिक–शारीरिक एवं मानसिक विकास की ओर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। वैज्ञानिक उपलब्धियों के इस युग में व्यक्ति निरंतर उपेक्षित होता जा रहा है। **स्वामी रामतीर्थ** के शब्दों में समाज की उन्नति बड़े (वैभवशाली) लोगों के छोटे विचारों से नहीं अपितु छोटे (भौतिक साधनों से रहित होने से समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने वाले) लोगों के बड़े विचारों से होती है। उदाहरणार्थ लंका नरेश रावण के पास किसी भी प्रकार के धन–जन–बल एवं वैभव की कमी नहीं थी, किन्तु वहाँ के लोगों का वैचारिक स्तर निम्न था जिसके कारण वे लोगों को असीम कष्ट पहुँचाए और स्वतः उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा और अन्ततः उनका सब कुछ नष्ट हो गया। वैदिक ऋषियों ने उक्त तथ्य को समझा, समाज को ऐश्वर्य से नहीं अपितु शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति सौंपकर उसे बदलने का स्वप्न देखा और संस्कार पद्धति को जन्म दिया। इस प्रकार संस्कार योजना व्यक्तिपरक होते हुए भी प्रमुखतया एक स्थायी एवं सुदृढ़ समाज की आधारशिला है। इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया गया है।

संस्कारों का विस्तारपूर्वक उल्लेख गृहसूत्रों तथा स्मृति ग्रन्थों में देखने को मिलता है। अब तक उपलब्ध साहित्य में संस्कारों की संख्या 10 से 40 तक देखी जा सकती है। हिरण्यकेशि तथा कौशित गृह्यसूत्रों में संस्कारों की संख्या 10 मानी गयी है, खादिर एवं जैमिनी सूत्र में 11 मनुस्मृति में 14 गौतम ने इसकी संख्या 40 बताया है। मतैक्यता का

अभाव होते हुए भी प्रायः सभी धर्मशास्त्रकारों ने इसकी संख्या 16 मानते हैं यथा– गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोत्रयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास तथा अन्त्येष्ठि। उल्लेखनीय है कि संस्कारों के सामान्यतः दो पक्ष है सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक। व्यावहारिक पक्ष देश–काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है परन्तु सिद्धान्त वही रहता है। प्राचीन काल में संस्कार का अनुष्ठान वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता था, आज इष्ट–मित्रों को आमंत्रित करके या अधिक से अधिक कुछ पूजा–पाठ करके ही संस्कार पूरा कर लिया जाता है। परम्परागत रूप से मान्य षोडश संस्कार का विवेचन निम्नलिखित है–

1.गर्भाधान संस्कार– गर्भाधान संस्कार का सामान्यतः अर्थ है– गर्भ का आधान, या गर्भ स्थापित करना। **गर्भः सन्धार्यते येन कर्मणा तद् गर्भाधानमित्यनुगतार्थकर्मनामधेयम्।** गर्भलम्भन, ऋतुगमन तथा चतुर्थी कर्म इसके अपर पर्याय है। आचार्य सुश्रुत अपने संहिता के शरीर स्थान में कहते हैं– **ध्रुवं चतुर्णां सान्निध्यात् गर्भः स्याद् विधिपूर्वकः।**

ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां संयोगादङ्.करो यथा।।[3]

अर्थात् जैसे ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज इन चारों के विधिपूर्वक मिलने से अंकुर पैदा होता है, उसी प्रकार स्त्री–पुरुष के विधिपूर्वक संयोग से सन्तान का जन्म होता है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि यदि यह आने वाला जीव अच्छे स्वभाव का हुआ तो अपने सदाचरण से समाज को एक नयी दिशा दे सकता है किन्तु यदि दुष्ट हुआ तो समाज को तहस–नहस भी कर सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राच्य मनीषियों ने सन्तानोत्पत्ति के बाद अवश्यम्भावी समस्याओं को उनका बीज पड़ने के समय ही, हल कर लेना चाहा। गरुड़पुराण में कहा गया है कि गर्भाधान के समय की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का सन्तान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्साशास्त्रीय तथ्य है। यथा– **निषेकसमये मादृङ्.नरचित्तविकल्पना।**

तादृक्स्वभावस्तम्भूतिर्जन्तुर्षिशति कुक्षिगः।।[4]

अतएव गर्भाधान काल में भावी सन्तान की कुप्रवृत्तियों को दग्धबीज करने का प्रयास कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता। आयुर्वेद में कहा गया है कि ऋतुस्राव बन्द हो जाने के बाद के 12 दिनों में

सन्तान में आयु आरोग्य ऐश्वर्य, सौभाग्य, बल, वर्ण (रंग) और इन्द्रियों की उत्तरोत्तर प्रशस्ता रहती है इसके बाद आयु आदि गुणों का क्रमशः ह्रास होता है।[5] अनेक स्त्रियों के ऋतु स्राव सम्बन्धी जीवन की जाँच के बाद वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे है कि स्त्री में सम्भोग की प्रेरणा 15 दिन में दो बार होती है– एक प्रेरणा ऋतुस्राव होने के एक दो दिन पहले, दूसरी प्रेरणा ऋतुस्राव शुरू होने के दिन से 15, 16 दिन तक। इनमें से पहली प्रेरणा गर्भाधान के लिए निरर्थक है परन्तु दूसरी सार्थक। इस प्रकार गर्भाधान हेतु निर्दिष्ट पूर्वाचार्यों का मत जीवविज्ञान तथा शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप है।

2.पुंसवन संस्कार– षोडश संस्कारों में पुंसवन का दूसरा स्थान है। इसके विषय में आश्वलायन गृहसूत्र में कहा गया है कि **पुंसवनमिति कर्मनामधेयं येन कर्मणा निमित्तेन गर्भिणी पुंसामेव सूते तत्पुंसवनम्।** अर्थात् वह कर्म पुंसवन माना जाता है जिसके करने से गर्भिणी पुरुष सन्तान को ही उत्पन्न करे। याज्ञवल्क इसे पुत्र के लिये किया गया **यज्ञ–पुंसः सवनम्**[6] कहते हैं। लेकिन यह तथ्य सर्वमान्य नहीं है क्योंकि पुत्र या पुत्री का जन्म लेना स्त्री पुरूष में X और Y क्रोमोसोम की प्रधानता या अप्रधानता द्वारा निर्धारित होता है।

बल्कि हम कह सकते हैं कि पुंसवन शब्द का अर्थ हो सकता है– पौरुष युक्त, सामर्थ्यसम्पन्न सन्तान। यहाँ पर पुंसवन का यही अर्थ निगमित होता है कि जो भी सन्तान हो वह हृष्ट–पुष्ट बलिष्ठ हो, वह चाहे पुत्र हो या पुत्री। **पुंसवन संस्कार के दो प्रमुख कृत्य** होते हैं **पहला** लक्ष्मणा, वटशुंगा (वट के नवीन अंकुर) सहदेवा (पीतबला) विश्वदेवा (श्वेतबला) इनमें से किसी एक को गाय के दूध के साथ कुचलकर उसकी तीन चार बूँदें गर्भिणी के दक्षिण नासापुट में डालना तथा **दूसरा** यह है कि पति द्वारा पत्नी का हृदय स्पर्श। इस प्रकार पुंसवन संस्कार गर्भ के समुचित शारीरिक विकास की ओर माता–पिता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें निहित मूल धारणा यह है कि यदि गर्भिणी का कोई अंग रूग्ण है तो गर्भस्थ शिशु का भी वह अंग प्रभावित होगा। गर्भिणी को पर्याप्त सावधानी रखने के लिए सचेत किया जाता है।

3.सीमन्तोन्नयन संस्कार– सीमन्तोन्नयन संस्कार के विषय में वीरमित्रोदय में कहा गया है कि प्रतीक रूप में पति, पत्नी के केशों में

सुगंधित तेल डालता है और उसे संवारता है। इसका समय चौथा महीना माना गया है। कह सकते हैं कि यह संस्कार माता को प्रसन्नचित रखने के लिये किया जाता है क्योंकि उसकी सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, तृप्ति–अतृप्ति आदि स्थितियों का गर्भस्थ सन्तान पर पूरा प्रभाव पड़ता है। दोहद (गर्भकालिक इच्छाओं) की पूर्ति न हो पाने से गर्भ सदोष हो जाता है।

4.जातकर्म संस्कार– उल्लेखनीय है कि सन्तानोत्पत्ति के अनन्तर जो कर्म किये जाते हैं उन्हें जात कर्म कहा जाता है। इनके साथ–साथ बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसे संस्कार की श्रेणी में रखा गया है। शिशु का जन्म काल ही इस संस्कार का समय है। यह संस्कार नाभिच्छेदन के पूर्व किया जाता है। सन्तान के जन्म के समय किये जाने वाले ये प्रमुख कर्म है। गर्भावरण जटायु (उल्ब) को हटाकर बच्चे के मुख, नासिका आदि की सफाई सिर पर घी का काया (पिचु) रखना तथा नाभिछेदन इसमें सम्मिलित है। इसके बाद सुवर्णशलाका से घी तथा मधु चटाया जाता है।

5.नामकरण संस्कार– वास्तव में किसी वस्तु का ज्ञान नाम के बिना नहीं होता है। संसार का सारा व्यवहार नाम के आधार पर ही चलता है। इस प्रकार नामकरण आवश्यक ही नहीं अपितु एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। इसे संस्कार का रूप देने का कारण यह है कि जिन–जिन आकांक्षाओं और उमंगों को लेकर दम्पति अपनी सन्तान को उच्च बनाने के लिए अब तक प्रयत्नशील रहे सपने संजोये रहे उनके अनुरूप बालक को एक ऐसा नाम दे जो कि उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व बन सके, बच्चे को उसी नाम के अनुसार बनने की प्रेरणा देता रहे। आधुनिक मनोविज्ञान तथा आंकिक ज्योतिष की मान्यता है कि बार–बार उच्चारित शब्दों का मनुष्य के मन एवं शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के जन्म से दस दिन तक माता सूतिकागृह में रहती है, इसके बाद बाहर निकलती है। इसलिए विद्वानों ने ग्यारहवें दिन नामकरण संस्कार करने को कहा है। इस प्रकार, इस संस्कार द्वारा व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन यात्रा को एक दिशा दी जाती है।

6.निष्क्रमण संस्कार– निष्क्रमण शब्द का अर्थ होता है–बाहर निकलना। अर्थात् सूतिकागृह के बाहर निकलने पर भी बच्चा घर की सीमा में ही रखा जाता है, उसे प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में तत्काल

नहीं लाया जाता क्योंकि नवजात शिशु में शीततापादि से समायोजन की क्षमता नहीं रहती, परन्तु बच्चे के समुचित विकास के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वायु तथा सूर्य का प्रकाश परमावश्यक है। इसकी पूर्ति के लिए बच्चे का निष्क्रमण संस्कार किया जाता है।

7.अन्नप्राशन संस्कार– अन्नप्राशन संस्कार का अर्थ है– जीवन में पहली बार अन्न का अशन (भोजन)। इसका समय छठवाँ महीना माना गया है जबकि बच्चे के दाँत निकल चुके हो। जन्म के समय न तो बालक के पास अन्न चबाने के लिए दाँत होते हैं और न ही अन्न पचाने में समर्थ पाचनशक्ति। दाँतों का निकलना इस तथ्य का प्रतीक है कि बच्चे की आँते अब अन्न पचाने में समर्थ हो रही है। अब वह अन्न का आहार ग्रहण कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि अन्नप्राशन तथा दाँत निकलने का घनिष्ठ सम्बन्ध है। निष्कर्ष यह है कि जब बच्चे में दाँत निकलने लगे तो धीरे–धीरे माँ अपना दूध पिलाना बन्द करे तथा पोषण हेतु अन्न आदि का ध्यान दे।

8.चूड़ाकर्म या मुण्डन संस्कार– मनुस्मृति में चूड़ाकर्म के समय की बात करते हुए आचार्य मनु ने कहा है–**चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मवः। प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात्।।**[7] अर्थात् चूड़ाकर्म संस्कार का समय शिशु जन्म का पहला या तीसरा वर्ष होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गर्भावस्था में बाल गर्भावरण जटायु के मलिन जल में रहते हैं, इसलिए अस्थिसन्धियों के जुड़ जाने के बाद उन्हें हटा देना आवश्यक होता है। चरक संहिता में इसकी महत्ता बताते हुए कहा गया है– **पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम्। केशश्मश्रुनरवादीनां कर्तनं सम्प्रसाधनम्।।**[8] अर्थात् मुण्डन कर्म द्वारा बालक में पुष्टि, वृष्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौन्दर्य इत्यादि का वर्धन होता है।

9.कर्णवेध संस्कार– कर्णवेध का सामान्यतः अर्थ है कान को बींध देना या उसमें छेद कर देना। सुश्रुत ने इसके दो उद्देश्य बताये हैं– बालक की रक्षा तथा आभूषण पहनना। कर्णवेध से अन्नवृद्धि (आँत का उतरना) हार्निया रोग से रक्षा होने का उल्लेख हुआ है। यह संस्कार कब सम्पन्न किया जाय इस सम्बन्ध में विद्वानों के बीच मतैक्यता का अभाव पाया जाता है। गर्ग के अनुसार कर्णवेध उपयुक्त काल छठवा, सातवा, आठवाँ या बारहवा महीना है। बौधायन सातवें या आठवें मास का विकल्प

देते हैं। सुश्रुत ने छठें या सातवें वर्ष को कर्णवेध के लिये श्रेयस्कर बताया है। इस प्रकार कर्णवेध का समय जन्म के 10वें दिन से लेकर सात वर्षों तक माना जा सकता है। यह संस्कार सैद्धान्ति के साथ–साथ व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक भी है।

10.उपनयन संस्कार– उपनयन का अर्थ है गुरू के समीप ले जाना। इस संस्कार के मुख्य कृत्य है यज्ञोपवीत को धारण करना। अल्तेकर का मत है कि यह इस तथ्य का प्रतीक है कि उसका अनियमित बचपन बीत गया है और आगे उसे नियमित एवं अनुशासित जीवन बीताना है। **प्रो0 राजबली पाण्डेय** का कहना है कि तीन लड़ियों वाली मेखला बाधी जाती थी जो यह संकेत देती थी कि बालक आगे तीन वेदों के अध्ययन से घिरने वाला है। यज्ञोपवीत में तीन धागे होते थे जो क्रमशः ऋषि–ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण के सूचक है।[9] उपनयन के समय बालक का आचार्य से ब्रह्मचर्य धारण कराने का निवेदन, झूठ त्यागकर सत्य पालन का व्रत ग्रहण करता है। आचार्य द्वारा इस संस्कार का वर्तमान में भी प्रचलन होना इसकी महत्ता को दर्शाता है।

11.वेदारम्भ संस्कार– संस्कारों में वेदारम्भ संस्कार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वेदारम्भ का अर्थ है वेद के अध्ययन का प्रारम्भ। उपनयन के पश्चात् व्यक्ति वेदाध्ययन के लिए अर्ह हो जाता है। चूँकि प्राचीन काल में वेद का अध्ययन किया जाता था, इसीलिए शिक्षा सम्बन्धी इस संस्कार को वेदारम्भ संस्कार कहा गया। उपनयन संस्कार सम्पन्न हो जाने पर बालक को गुरूकुल में प्रवेश कराया जाता था, जहाँ उसे अन्तेवासी की संज्ञा मिलती थी। 'अन्तेवासी' शब्द के रहस्य को स्पष्ट करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है कि बालक को शिक्षित करने के लिये स्वीकार करते हुये गुरू उसे इस प्रकार सुरक्षित तथा संभालकर रखता है जैसे माँ उसे अपने गर्भ में रखती है। स्पष्ट है कि गुरू–शिष्य सम्बन्धों का इससे अच्छा चित्र नहीं खींचा जा सकता। बालक अन्तेवासी हो गया तो मानों गुरू के हृदय का टुकड़ा हो गया, यह तथ्य स्वतः परिलक्षित है। बालक को गुरू द्वारा बताये गये मार्ग पर चलते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था।

12.समावर्तन संस्कार– समावर्तन का अर्थ है– शिक्षा ग्रहण के बाद घर वापस लौटना। एक वेद के अध्ययन में प्रायः बारह वर्ष लगता था। ब्रह्मचारी अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार एक या दो या सभी

वेदों का अध्ययन करता था। कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। फलतः समावर्तन का एक निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः समावर्तन का समय 24वाँ वर्ष माना जा सकता है। आजकल विश्वविद्यालयों में प्रचलित दीक्षान्त समारोह समावर्तन संस्कार का एक रूप समझा जा सकता है। प्राचीनकाल में स्नातकों का बहुत सम्मान था। वरतन्तु के शिष्य कौत्स के पधारने पर राजा रघु आसन से उठकर खड़े हो गये थे तथा उनकी गुरूदक्षिणा की माँग पूरी करने के लिए हर तरह से तैयार हो गये थे।

13.विवाह संस्कार– महाभाष्यकार पतंजलि ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो स्नातक विवाह नहीं करता वह निन्दा का पात्र है। हिन्दू समाज में कोई भी धार्मिक कृत्य स्त्री के बिना पूरा नहीं होता, अकेले पुरुष अधूरा माना जाता है। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना इसी तथ्य को पुष्ट करती है कि पति–पत्नी एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार पत्नी परमावश्यक है, और उसकी प्राप्ति विवाह से ही संभव है, क्योंकि बिना विवाह हुए किसी भी स्त्री–पुरूष युगल को पति–पत्नी के रूप में सामाजिक तथा वैधानिक मान्यता नहीं मिल सकती। इसीलिए विवाह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्णों के लिए आवश्यक माना गया है।

14.वानप्रस्थ संस्कार– संस्कारों में वानप्रस्थ संस्कार महत्वपूर्ण है। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है– वन के लिये प्रस्थान करने वाला। इस प्रकार वह संस्कार जिसमें मनुष्य की मनोवृत्ति सांसारिक भोगों से ऊपर उठकर योग की ओर अग्रसर होती है उसे वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। नगर के कोलाहल से दूर वन के प्राकृतिक क्षेत्र का सेवन निवृत्तिमूलक भावना का प्रतीक है। यह संस्कार गृहस्थ जीवन के बाद अर्थात् 50 वर्ष की अवस्था में सम्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति समीपस्थ वन में कुटी बनाकर रहता है, प्रमुख रूप से आरण्य ग्रन्थों का अध्ययन करता है, और अपने समीप आये बालकों तथा गृहस्थों को अनुभवजन्य ज्ञान को बाँटता है।

15.संन्यास संस्कार– संन्यास का अर्थ है सम्यक् त्याग। यह त्याग अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का त्याग नहीं है, जीवन से पलायन नहीं अपितु मोह माया के आवहरण का त्याग, राग, द्वेष जैसे द्वन्दों का परित्याग है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण संन्यासी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है– **ज्ञेयः स नित्यं संन्यासी यो न द्वेष्टि न काड्.क्षति।**[10] अर्थात्

संन्यासी वह है जो न किसी से स्नेह रखता है और न द्वेष। इस प्रकार संन्यास एक मनोवृत्ति है, जो उच्च चिन्तन का परिणाम है।

16.अन्त्येष्टि संस्कार– मत्स्यपुराण में अन्त्येष्टि संस्कार की तीन विधियों का उल्लेख किया गया है–(प) शव को जलाना (पप) शव को पृथ्वी के नीचे गाड़ना (पपप) शव को फेंकना। इनमें से शवदाह की प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि अग्नि में भस्म हो जाने पर प्रदूषण की संभावनाएँ कम रहती है जबकि भूमि के नीचे गाड़ने पर शरीर का सड़ना निश्चित है, खुला फेंक देने पर मांसभक्षी पशु पक्षियों के द्वारा अस्थि और माँस खण्डों का इधर–उधर बिखराया जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार शव को जलाना ही श्रेष्ठ माना गया है। अन्त्येष्टि संस्कार से जुड़ी हुई कर्मकाण्ड की प्रक्रिया शोकाकुल परिवार को दुःख भूलाने का एक अवसर मिलता है। अतः यह संस्कार मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से मानव समाज के लिए उपयोगी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. चरकसंहिता, पृष्ठ 37.
2. तन्त्रवार्तिक, पृष्ठ 78.
3. सुश्रुत, शा0 स्था 2.34.
4. गरुड़ पुराण, 15.16.
5. मिताक्षरा, याज्ञ0 1.11.
6. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1.11.
7. मनुस्मृति, 2.35.
8. चरक संहिता, सूत्रस्थान, 5.93.
9. मनुस्मृति, 2.44.
10. गीता, 5.3.

सुनील कुमार शुक्ल
पी0 – एच0 डी0, दर्शनशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति

– हिमान्शु शेखर सिंह

लोक–साहित्य के अन्तर्गत 'लोकगीत' सर्वाधिक प्रचलित विद्या है। लोकगीत उस विशेष का काव्य है, जो लोक में स्वतः अपौरूषेय रूप में उद्भूत होता है। तात्पर्य यह कि इसका कोई कवि या कर्ता नहीं होता और इसकी कोई लिखित परम्परा भी नहीं होती, बल्कि श्रुति और कण्ठ–परम्परा द्वारा ही इसका प्रचलन और विकास होता है।

संस्कृत के 'लोक्' धातु से व्युत्पन्न 'लोकगीत' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे–समस्त विश्व, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल अर्थात् तीनों लोक, मानव जाति, सामान्य जनता, ग्राम्य और अशिक्षित समाज, जो संस्कृति एवं सभ्यता में पिछड़ा होने के कारण शिष्ट या सभ्य समाज से दूर होता है, इत्यादि। 'लोक' शब्द इन सभी अर्थो में साहित्य एवं शास्त्र में प्रयुक्त होता है धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों में पृथ्वी को 'लोक' तथा स्वर्ग को 'परलोक' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। राजनीति में जनसामान्य के लिए 'लोक' शब्द का प्रयोग होता है, जैसे– लोकतन्त्र, लोकसेवक, लोकसभा आदि। साहित्य में शिष्ट वर्ग के साहित्य को शिष्ट साहित्य तथा अपढ़ ग्राम्य–जीवन में प्रचलित गीतों और गाथाओं को लोक–साहित्य कहा जाता है। इसी प्रकार, संगीत और कला के क्षेत्र में भी विशिष्ट संगीत को शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय कला तथा लोक–संगीत और लोक–कला जैसे नामों से संज्ञायित किया जाता है।

लोकगीत को काव्य का आदिम रूप कहा जा सकता है। मानव जाति के आरम्भिक विकास के पश्चात् भाषा और कला का क्रमशः उद्भव और विकास हुआ। इसी के साथ–साथ गीत का भी प्रादुर्भाव हुआ। विकास की प्रारम्भावथा में आदि मानव कबीलों में विभक्त था। प्रत्येक कबीले के लोग सामूहिक रूप से जीवन व्यतीत करते थे अर्थात् उनका खाना–पीना, नाचना–गाना अथवा आखेट करना– सब कुछ सामूहिक रूप मे होता था।

माना जाता है कि आदि मानव गीतों के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते थे। उनके गीत गाकर नृत्य करने का कारण यह था

कि उनकी फसलों की रक्षा हो, समय से वर्षा हो तथा सब प्रकार से उनका कल्याण हो। अभीष्ट की प्राप्ति भी इस आनन्दोल्लास का कारण थी, जिससे उन्हे मानसिक शक्ति और शान्ति की प्राप्ति होती थी। समाज के विकास–क्रम के साथ ही सामूहिकता की यह प्रवृत्ति क्षीण होती गयी और विभिन्न करणों से व्यक्ति भिन्न–भिन्न कार्यो में प्रवृत्त हो गया। किन्तु पृथकता के बावजूद सामूहिक भावनाएँ बनी रहीं। कार्य सम्पन्न होने के पूर्व अथवा उपरान्त नृत्य–गीत–संगीत का आयोजन इसी सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति का एक रूप था, जो वर्तमान विकसित समाज में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। लोकगीत को इसी प्रकार की एक सामूहिक भावाभिव्यक्ति कहा जा सकता है।

लोकगीत को विविध प्रकार के उत्सवों, पर्वो और ऋतृओं के अवसर पर गाने का प्रचलन है, इसलिए इनकी संख्या भी बहुत अधिक है। इसे निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है– (1) संस्कारों की दृष्टि से (2) रसानुभूति की दृष्टि से (3) ऋतृओं और व्रतों की दृष्टि से (4) विभिन्न जातियों की दृष्टि से (5) श्रम–गीत की दृष्टि से

(1) **संस्कारों की दृष्टि से**– भारत धर्मप्रधान देश है, जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक सभी संस्कार धर्म से जुड़े हुए हैं। हिन्दू धर्मशास्त्रों में सोलह संस्कारों का विधान है, जिसमें मुख्य हैं– गर्भाधान, पुंसवन, पुत्र–जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि। इन संस्कारों के अवसर पर स्त्रियाँ मधुर कण्ठ से लोकगीतों का गायन कर रस–वर्षा करती हैं।

(2) **रसानुभूति की दृष्टि से**– काव्य में प्रमुखतः नौ रस मान्य हैं। लोकगीतों में भी इन रसों की अभिव्यक्ति अत्यन्त प्रभावोत्पादन ढंग से हुई है। इनमें श्रृंगार, वीर, हास्य, करूण और शान्त रस के गीत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। श्रृंगार रस के अन्तर्गत सोहर, यज्ञोपवीत, विवाह, झूमर आदि के गीत आते हैं। करूण रस के गीतों में गवना, जांत, निर्गुन, पुरबी, सोहनी आदि के गीत आते हैं। हास्य रस के गीत अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वैवाहिक अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में हास्य रस का सुन्दर परिपाक् दिखता है। झूमर के गीतों में भी हास्य का पुट रहता है। भजन, निर्गुन आदि में शान्त रस की अभिव्यंजना पायी जाती है।

(3) **ऋतृओं और व्रतों की दृष्टि से** – लोकगीतों में ऋतुओं से सम्बद्ध गीत खूब पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु अथवा बसन्त आदि के अवसर

पर जन–मानस में उत्साह और उल्लास की जो लहर प्रस्फुटित होती है, उसी की अभिव्यक्ति इन गीतों के माध्यम से होती है। वर्षा में आल्हा और फागुन में चैता श्रोताओं को रसस्नात कर आनन्दमग्न कर देती है।

(4) विभिन्न जातियों की दृष्टि से – कुछ गीत जाति विशेष से सम्बद्ध होते हैं, जैसे 'बिरहा' अहीरों का गीत है। भोजपुरी लोकगीतों में इसका अपना विशेष स्थान है। यह अत्यन्त लोकप्रिय गीत है। यदि इसे अहीर जाति का 'नेशनल सांग' कहा जाय, तो अतिशयोक्ति न हागी। हरिजनों के जातीय गीत भी बड़े ही मनोरंजक होते है, जिसे वे 'डफरा' और 'पिपिहिरी' नामक वाद्य–यन्त्र बजाकर गाते हैं। कहारों के गीत को 'कहँरूवा' कहा जाता है, जिसे कहारों द्वारा प्रायः वैवाहिक अवसरों पर 'हुडुक' बजाकर गाया जाता है। तेलियों के गीतों में, जिन्हें 'कोल्हू के गीत' भी कहते है, श्रृंगार रस की मात्रा प्रचुर रूप में पायी जाती है। दुसाध जाति द्वारा गाये जाने वाले गीतों को 'पचरा' कहा जाता है। इस जाति के लोग रोगों की चिकित्सा नहीं करते, बल्कि उनकी मान्यता है कि 'पचरा' गाने से समस्त दैहिक–दैविक ताप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से गड़ेरियों, धोबियों, गोडों आदि के जातीय गीत भी प्रचलित हैं।

(5) **श्रम–गीत की दृष्टि से** –श्रम गीत उन्हें कहते हैं, जो किसी काम को करते समय श्रम–परिहार के लिए गाए जाते हैं। इससे जहाँ काम में मन लगा रहता है, वहीं थकान की अनुभूति भी नहीं होती। जँतसार इसी प्रकार का गीत है, जिसे स्त्रियाँ चक्की पीसते समय गाती हैं,। इसे 'जाँत का गीत' (यन्त्र गीत) भी कहा जाता है। इन गीतों में करूण रस की प्रधानता होती है। इसी प्रकार, धान रोपते समय जो गीत गाया जाता है, उसे 'रोपनी गीत' कहा जाता है। इन गीतों में गार्हस्थ जीवन का चित्रण होता है, जिसमें विशेष रूप से स्त्रियाँ अपने वैवाहिक जीवन की दशा का उल्लेख करती हैं। खेतों में अन्न के साथ जम जाने वाले घास–फूस की 'निराई' करते समय गाए जाने वाले गीतों को 'सोहनी' कहते हैं। ये गीत भी पारिवारिक समस्याओं से सम्बद्ध होते हैं।

डॉ0 हिमान्शु शेखर सिंह
सह आचार्य, हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

कबीर का कविरूप

– मनोज कुमार सिंह

हिन्दी में कुछ रूढ़िवादी और दकियानूसी से ग्रस्त आलोचक पहले भी थे और आज भी हैं; जो कबीर को कवि ही नहीं मानते बल्कि उन्हें उन संतो और भक्तों की कोटि में गिनते है, जिन्होंने कुछ ऊबड़–खाबड़ पद्य रचना की हैं। उन विद्वानों को कबीर को कवि कहने में संकोच होता है और वे उनके कवि कर्म को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। डॉ0 नामवर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक 'दूसरी परम्परा की खोज' में इसी संदर्भ में कुछ बिन्दुओं की रेखांकित किया है– वे यह मानते हैं कि कबीर के प्रति यथोचित सम्मान के बावजूद बाबू श्याम सुन्दर दास को कबीर में कवित्व के दर्शन नहीं होते। 'ग्रन्थावली' की भूमिका में श्याम सुन्दर दास ने लिख हैः ''तिस पर कबीरदास जी स्वयं पढ़े–लिखे न थे। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह अपनी प्रतिभा तथा भावुकता के वशीभूत होकर कहा है। उनमें कवित्व उतना नहीं था जितनी भक्ति और भावुकता थी। उनकी अटपट वाणी हृदय में चूमने वाली है। ''वास्तव में अब कबीर में चाहे जितनी प्रतिभा और भावुकता हो और उनकी ववाणी भी चाहे कितनी ही चुमने वाली क्यों न हो, लेकिन वह ''अटपट'' है और उसमें ''कवित्व'' नहीं है तो साहित्य में उसे प्रतिष्ठा क्यों कर मिलने लगी ?

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी कबीर को उचित प्रतिष्ठा न देते हुए केवल तुलसी, सूर और जायसी को ही मध्यकालीन कवियों मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषित किया। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पँचमेल है ही विचार भी पँचमेल हैंः प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं–कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है लेकिन कवित्व भी है– यह शुक्ल जी ने कहीं नहीं कहा है। शुक्ल जी ने 'तुलसीदास' नामक पुस्तक मे कहा है –''कबीर आदि निर्गुणिया सन्त लोक विरोधी थे।'' डॉ0 पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल को भी कबीर में काव्य का ऊँचा स्तर नहीं मिलता। और भी बहुत से विद्वान हैं जो कबीर के कवि रूप को नकारते हैं।

काव्य के साथ कबीर का नाम जोड़ने वालों में मिश्रबन्धु उल्लेखनीय हैं उन्होंने अपने 'नवरत्नों' में कबीर की गणना की। इसके

बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉ0 राम कुमार वर्मा, गोविन्द त्रिगुणायत और इन्द्रनाथ मदान प्रभृति विद्वानों ने उनके महाकवि होने की संभावना को स्वीकृति दी है। इनमें भी आचार्य द्विवेदी का नाम कबीर के साथ उसी तरह जुड़ा है जैसे तुलसी दास के साथ आचार्य शुक्ल का। कबीर को हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य द्विवेदी ही हैं।

वैसे तो कविता करना कबीर का उद्देश्य तथा अभिष्ट नहीं था। वे तो उदात्त मानवीय मूल्यों की स्थापना के पुरोधा थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कबीर का लक्ष्य काव्य सृजन नहीं था और न कविता धर्मिता उनकी साधना। कविता तो बस उनकी भावाभाव विनिर्मुक्ति असीम–अनन्त–अगोचर ब्रह्म को व्यक्त करने का माध्यम थी। कविता के द्वारा कबीर ने केवल उस निगूढ़ तत्व की ओर इशारा किया है। रूप के द्वारा अरूप की, कथन के द्वारा अकथ्य की व्याख्या कोई कबीर ही कर सकता है और यही तथ्य कबीर काव्य की शक्ति का दिग्दर्शन कराती है। यह व्यंजना उत्कृष्ट काव्य में ही संभव है।

हॉलाकि कबीर के काव्य को शुद्ध साहित्य के निमयों के परखना उचित नहीं है क्योंकि कबीर ने काव्यशस्त्रीय पद्धतियों का अध्ययन नहीं किया और न भारतीय काव्य परंपरा से उनका कोई संबंध था। उन्हें अलंकार, छंद, रस, रीति, गुण वक्रोक्ति आदि का भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी कबीर का काव्य श्रेष्ठ काव्यों में प्रणीत करने योग्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट कहा है – ''कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊँची से ऊँची चीज प्राप्य है।'' 'काव्य शास्त्रीय पद्धतियों से सर्वथा अलग उनका काव्य वाटिका में माली द्वारा सजे फूलों सा न होकर वन्य–कुसुम के सहज सौन्दर्य से युक्त है जो प्रकृति के बीच सहज रूप में खिला हैं'। कबीर का काव्य बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी अधिक है जिसका लक्ष्य परमानन्द है। उनकी अनुभवगम्यता से प्राप्त सहज अनुभूति–सत्य को स्वयं कविता ने अपनाकर अपने भाग्य को सराहा। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि ''यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की तथापि उनकी अध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है।''

कबीर के कवि– व्यक्तित्व को उजागर करने वाले तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं (1) प्रतिभा, (2) अनुभूति और (3) व्यक्तित्व का आकर्षण काव्य के स्वरूप का निर्धारण चाहे जिस आधार पर किया जाय यदि ये तीनों पक्ष पुष्ट हैं तो रचना में काव्यत्व की स्थिति अवश्य मान्य होगी और रचनाकार को 'कवि' स्वीकार करना होगा।

कबीर की प्रतिभा को लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है – चाहे वे कबीर को साहित्य में प्रतिष्ठा देने वाले हों या उनके प्रमुख आलोचक तथा कम महत्वपूर्ण समझने वाले– सभी ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि ''कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी।'' कबीर की उक्तियाँ चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण हैं। संस्कृत के सभी प्राचीन आचार्यों ने 'प्रतिभा' को काव्य का प्रधान हेतु माना है। यदि प्रतिभा है तो काव्य की स्फूर्ति होगी ही। अपनी इसी प्रतिभा के बल पर ही कबीर ने सहस्त्रों वर्षों की सामाजिक रूढ़ियों की चुनौती दी हैं। सड़ी–गली मान्यताओं का विरोध किया हैं पाखंड और ढोंग को फटकारा है। उन्होंने सारे भेदो–प्रभेदों से ऊपर उठकर मानव–सत्य को पहचाना है। प्रतिभा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, वह सत्य का अन्वेषण करती है, किसी बन्धन को यह स्वीकार नहीं करती है। स्वातंत्र्य की अनुभूति प्रतिभा की सबसे बड़ी पहचान है कबीर ने भी सारे बन्धनों को ठेंगा दिखाते हुये अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में व्याप्त असमानता अन्याय ढोंग बाह्माचार का खण्डन किया। उनका व्यंग्य तो अद्वितीय है। इसे लक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने घोषित किया – ''सच पूछा जाय तो आज तक हिन्दी में ऐसा जबर्दस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यन्त सादी किंतु अत्यन्त तेज प्रकाशन भंगी अनन्य–साधाराण है। हमने देखा है कि ब्राह्माचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरस ढंग से चकनाचूर कर देने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखायी दी है। व्यंग्य वह है, जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपाहस्पद बना देना हो जाता है।''

मात्र अनुभव के बल पर अन्तः और बाह्म की एकता का प्रतिपादन करना असाधारण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति का ही कार्य है। इस स्तर पर कबीर अपराजेय हैं।

जहाँ तक अनुभूति की बात है तो इसे काव्य का प्राण–तत्व माना गया हैं। अनुभूतिहीन कविता निष्प्राण होती है। कबीर ने अनुभूति को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि वही अक्षर, वही वाणी लोग तरह–तरह से कहते हैं लेकिन जब कोई मर्मी उसमें अनुभूति का लावण्य मिला देता है तो वह अमृतमय रसायन बन जाती है–

''सोई अखर सोई बैन जन जु–जू बाचवंत।
कोई एक मेलै लवनि अमी रसाइन हंत।।''

कबीर की दृष्टि में अनुभूति ही वह तत्व है, जो वाणी को अमृतमय बना देता है। जिस अनुभूति के संस्पर्श से कबीर ने अपनी वाणी को अमृतमयी बनाया है, वह है–प्रणयानुभूति। कबीर की कविता में सहजता तथा सरसता है। स्वानुभूतियों की तीव्रता का अभिव्यक्ति की तीक्ष्णता से बाँध पाने में कबीर पूर्ण समर्थ हैं। इस संबंध में डॉ0 इन्द्रनाथ मदान लिखते हैं ''यद्यपि कबीर प्रतिज्ञा करके कविता लिखने नहीं बैठते तथापि कोई कविता में मार्मिक अनुभूति ढूढ़ना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी इस अनुभूति के बल पर सहज ही महाकवि कहे जा सकते हैं।'' अंग्रेजी कवि 'विलियम ब्लेक' या जर्मन कवि 'रेनर मारिया रिल्के' की तरह कबीर में भी ऐसे अनेक स्थल हैं जो उनकी सहजानुभूति, के कारण सुनने में बहुत सरल लगते हैं परन्तु उनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा रहता है। वे एक ही समय दो आयामो में जीते थे। उनके लिए ईश्वर चेतना और कविता दी विश्लेषण की जाने वाली अलग –अलग मानसिक स्थितियाँ नहीं थीं।

कबीर की वाणी अनुभूति सत्य को ही प्रकाशित करती है। उनकी वाणी में संदेश की महत्ता है। कबीर के काव्य में स्वानूभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है, जो जन–जीवन को स्पर्श करती है। अनुभव की तुला पर तथ्य और सतय की परख कर ग्रहण या त्याग की पद्धति ही उनका जीवन क्रम बन गया था। उनके द्वारा की गई यह प्रणयानुभूति उनकी अटपटी और रूखी वाणी को निःसंन्देह रसात्मक बना देती है। यदि रस या भाव को काव्य का केन्द्र माना, जाता है तो कबीर के काव्य में यह

भाव प्रेम भाव के रूप में उपलब्ध है। इसके रमणीय उदाहरण उन प्रसंगों में मिलते हैं जहाँ विरहिणी आत्मा प्रियतम परमात्मा के विरह में तड़पती है– ''आखंडिया झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि।
जीभड़ियाँ छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि।।''

इस तरह की अनेक पंक्तियाँ कबीर के भावजगत की परिचायक हैं।

मध्यकाल के पूरे भक्ति साहित्य में कबीर ही एक ऐसे भक्त कवि हैंः जिनका व्यक्तित्व उनकी वाणी मे छाया हुआ है। उनके काव्य में विचारों ओर भावनाओं की प्रभावपूर्णू एवं सरस अभिव्यक्ति हुई है। कबीर का व्यक्तित्व कितना आकर्षक महिमामय और प्रभावशाली है इसे रेखांकित, करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैः– ''हिन्दी साहित्य के हजार वर्षो के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वन्द्वी जानता है, तुलसीदास। परन्तु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परन्तु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़–फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिन्दी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया हैं।'' जिस वाणी में व्यक्तित्व की इतनी सशक्त व्यंजना हुई हो, उसे कविता न कहना उसके साथ अन्याय करना होगा।

अन्यत्र, कबीर के प्रखर व्यक्तित्व को लक्ष्य कर द्विवेदी जी अपने अविस्मरणीय शब्दों में यह घोषित करते हैं– ''ऐसे थे कबीर। सिर से पैर तक मस्तमौला; स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़; भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचण्ड; दिल के साफ, दिमाग के दुरूस्त; भीतर से कोमल, बाहर के कठोर; जन्म से अस्पृश्य, कर्म से बन्दनीय।'' जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बहुमुखी हो, उसे कवि रूप में स्वीकार करने के लिए हम विवश हो जाते हैं।

ऊपर यह कहा जा चुका है कि कबीर को काव्यशास्त्रीय ज्ञान नहीं था। उन्होंने काव्यशास्त्रीय पद्धतियों का न तो अध्ययन किया था और न इनकी ओर उनकी आस्था थी। लेकिन शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर भी कबीर की वाणी को काव्य की सीमा से बहिस्कृत नहीं किया जा सकता। काव्य शास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य सरस और

अलंकृत होता है। छन्द की गति–यति ये नियंतित्र होता है। उक्ति–वक्रता के चमत्कार से पूर्ण और विशिष्ट पद–रचना के सौष्ठव से युक्त होता है। शब्द संधान विशिष्ट होता है आदि। आलोचकों ने इन सभी विशेषताओं को कबीर के काव्य में लक्षित किया है।

यदि अलंकारों की प्रमुखता की दृष्टि से देखें तो हाँलाकि कबीर ने इसकी परवाह नहीं की किन्तु उनके काव्य में अलंकारों की कभी नहीं है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, विभावना अनुप्रास, यमक आदि अलंकार कबीर के काव्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के प्रयत्न में स्वतः आ गए हैं। जिस प्रकार कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार कबीर रूपक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनके उपमान परम्परागत, नहीं हैं, वे सामान्य जीवन की वस्तुओं से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों के उदाहरण निम्न है–

रूपक– ''संतों भाई आई ग्यान की आँधी रे।
भ्रम की टाटी सभै उड़ानी माया रहै न बाँधी रे।।
दुचिते की दौई थूँनि गिरानी मोह बलैंड़ा टूटा।
त्रिसनां छांनि परी घर ऊपरि दुरमति भांडा फूटा।।''

अन्योक्ति– ''माली आवत देख करि कलियाँ करी पुकारि।
....
फूले फूले चुणि लिए, काल्हि हमारी बारि।।''

अनुप्रास– ''राम भगति अनियाले तीर।
जेहि लागै सो जानै पीर।।''

यमक– ''कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर।
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बे पीर।''

विभावना तथा विरोधाभाष– ''बरसै कम्बल भीगै पानी।''

उक्ति–वक्रता तथा व्यंग्य तो कबीर की वाणियों में भरे पड़ें हैं। उन्हें व्यंग्य करने में महारत हासिल थी, उन्हें व्यंग्य का अद्वितीय कवि भी कहा जाता है। 'व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं जानते। पण्डित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी–सभी उनके व्यंग्य से तिलमिला जाते हैं। अत्यनत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं। कि चोट खानेवाला केवल धूल झाड़के चल देने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता।'

कबीर के पदों में संगीत तत्व की प्रधानता है। छन्दों की रचना करते समय भी कबीर ने संगीत को ही महत्व दिया है और इसी कारण छंदो की शास्त्रीय मर्यादा भंग हो गई हैं। उनके काव्य को ध्वनि का उत्तम काव्य कहा जाता है। इससे उनकी वाणियो में नाद तत्व रेखांकित करने वाला पक्ष हैं नाद का प्रभाव क्षेत्र भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। भाषा द्वारा व्यक्त भाव सहृदय के हृदय को ही आन्दोलन करती हैं किन्तु ''नाद'' पर आदृत गीत पशु– पक्षियों तक को विभोर कर देता है। जिन्हें कबीर की वाणी में कवित्त नहीं दिखाई पड़ता उन्हें कम से कम उसमें निहित 'नाद–तत्व' के प्रभाव को तो स्वीकार करना ही चाहिए।

अब हम भाषा पर आते हैं जिसे काव्य का सर्वाधिक सशक्त पक्ष माना गया है। काव्य को शब्दों की साधना के रूप में देखा गया हैं। कबीर की भाषा झकझोर देने वाली है। वह जितनी ही सादी और अनगढ़ है, उतनी ही तेज है। पढ़ते समय साफ मालूम होता है कि कहने वाला अपनी ओर से एक दम निश्चिंत है। इस लिए अनेक विद्वनों द्वारा उनके कवि कर्म पर संदेह किए जाने पर भी इनके काव्य की झंकार मन्द नहीं हुई है। कबीर ने जो कुछ कहा है अनुभव के आधार पर कहा है। इसलिए उनकी उक्तियाँ मर्मवेधी होती थी। कबीर के काव्य की परख के लिए उन्हीं के काव्य को आधार बनाना होगा, किसी और सांचे में वह नहीं समा सकता।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा पर व्याकरण की दृष्टि से विचार करना महत्वपूर्ण नहीं समझा है। उन्होंने कबीर की अभिव्यक्ति क्षमता की सराहना की है। उनका कथन है– ''भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया–बन गया तो सीधे–सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार–सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश का नाही कर सके।'' इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझकर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। कबीर को जो पक्ष वाणी का डिक्टेटर बनाता है वह है– शब्दों को सम–सामयिक

सांस्कृतिक मंथन के अनुरूप नई अर्थवत्ता प्रदान करना और अपने कथनों को अखण्ड़ आत्मविश्वास की गरिमा से मंडित करना।

कबीर की भाषा के सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह 'अवधी' है या 'ब्रजी' उसमें 'खड़ी बोली' का प्राधान्य है या 'भोजपुरी' का। उसके सन्दर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि वह तत्कालीन सांस्कृतिक सामाजिक मंथन की भाषा है। उसमें अनेक परम्परागत सांस्कृतिक स्रोत संश्लिष्ट भाव से मिलाकर एक नई शक्ति, नया विश्वास और नई मर्यादा प्राप्त कर पुनः गतिशील हो गये है। जिस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व निराला है, उसी प्रकार उनकी भाषा भी विशिष्ट और विरल है। सच तो यह है कि कबीर निरे कवि नहीं थे उससे अधिक बहुत कुछ थे।

यदि काव्य–परम्परा और काव्यशास्त्र के नियमों पर प्रणीत रचना ही कविता है तो आज की बीसवीं शताब्दी की कविता कहाँ जायेगी। कबीर मे ऐसा क्या नहीं है जो किसी को श्रेष्ठ कवि बनाता हैं? निष्कर्षतः उन्हें श्रेष्ठ कवि स्वीकार करने में अब किसी को संकोच नही होना चाहिए। ''काव्यत्व उनके पदों में फोकट का माल है–बाई प्रोडक्ट है, वह कोलतार और सीरे की भाँति और चीजों की बनाते–बनाते अपने आप–बन गया है।'' कवि के रूप में वे अनुकरणीय हैं।

सहयोगी ग्रंथ :–

1. दूसरी परम्परा की खोज – नामवर सिंह
2. कबीर – हजारी प्रसाद द्विवेदी
3. कबीर – पारस नाथ तिवारी
4. कबीर संपादक, विजयेन्द्र स्नातक – राधाकृष्ण मूल्यांकन माला
5. नाथ संप्रदाय – हजारी प्रसाद द्विवेदी
6. कबीर के कुछ आलोचक – डॉ0 धर्मवीर
7. हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
8. हिन्दी साहित्य की भूमिका – आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।

डॉ0 मनोज कुमार सिंह

हिन्दी प्रवक्ता

सेन्ट जोसेफ कॉलेज, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

जनसंख्या विस्फोट एवं समाज कार्य

– ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी

भारत वर्ष में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है। हालत यह है कि जनसंख्या वृद्धि विस्फोट की स्थिति में पहुँच गयी। जिसे 'जनसंख्या विस्फोट' के नाम से जाना जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक होगी। भारत की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि आस्ट्रेलिया की सम्पूर्ण जनसंख्या के बराबर है। जनसंख्या कुशलता के अभाव में मात्र भीड़ के समान ही है। ऐसे में देश के सभी लोगों का सर्वागीण विकास संभव प्रतीत नही होता।

जनसंख्या वृद्धि के कारण :– भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। साधारण जनसमुदाय में जागरूकता का अभाव है लोग जनसंख्या के दुष्परिणामों के संदर्भ में जागरूक नही हैं। शिक्षा का अभाव साधारण जनसमुदाय में अज्ञानता का प्रसार करता है। कुछ लोग जनसंख्या को भगवान का वरदान मानते हुये अंधविश्वास से ग्रसित हैं। प्रवासिता भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का विशेष कारण है। बंग्लादेशी नागरिकों तथा रोहिंग्या मुस्लिमों का उदाहरण इस संदर्भ में प्रासंगिक है। भारत की उष्ण जलवायु भी तीव्र जैवकीय विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अन्य देशों की तुलना में भारत के लोगों का जैवकीय विकास तीव्र गति से होना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना भी जनसंख्या वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जनसाधारण तक पर्याप्त पहुंच न हो पाने से भी जनसंख्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नही हो पा रहा है। चिकित्सा विज्ञान ने भारत में उत्तरोत्तर प्रगति की है जिस कारण मृत्युदर निरन्तर कम होती जा रही है जो जनसंख्या वृद्धि का कारण सिद्ध हो रही है। इन सबके अतिरिक्त लोगों का पुत्र मोह भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। लोग पुत्र के मोह में निरन्तर जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी यह सोच है कि पुत्र द्वारा मोक्ष प्राप्ति तथा खानदान का आगे बढ़ता रहेगा। देश के कुछ क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प आयु मे ही विवाह हो रहे है जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

समाजकार्य हस्तक्षेप तथा निवारणः–

- एक प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ता काउसलिंग के द्वारा जनसाधारण को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में समझा सकता है।
- व्यवसायिक समाजकार्य के द्वारा नुक्कड़ नाटक तथा पोस्टर प्रदर्शनी आदि के द्वारा जनसंख्या संबंधी अज्ञानता तथा भ्रम को दूर किया जा सकता है।
- प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ता विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों का प्लेटफार्म बनाकर सरकारी कार्यक्रमों की उपलब्धता जन समुदाय को करवा सकता है, जिससे परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में प्रसार तथा गति आ सकती है।
- 'सोशल एडवोकेसी' के द्वारा प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता सरकारी नीतियों का प्रभावी तथा पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :– जनसंख्या की बढ़ती दर एक भयावह रूप लेते हुए 'जनसंख्या विस्फोट' का रूप ले चुकी है जो वर्तमान के साथ–साथ भविष्य के कई खतरों की ओर संकेत कर रही है। यदि हमारी जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो हमारे देश में भविष्य में और भयावह स्थितियां उत्पन्न होंगी। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या का भार निरन्तर बढता जा रहा है ऐसी स्थिति में मानव विकास के लिये आवश्यक शिक्षा, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य तथा आवास जैसी सुविधाएं सब को उपलब्ध करवाना संभव नही हो सकेगा। अतः यदि हम अपने देश का सर्वांगीण तथा समग्र विकास करवाना चाहते है तो हमारे नीति नियंताओं को जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी तथा व्यापक प्रयास करने होंगे ताकि 'जनसंख्या विस्फोट, की स्थितियों को समाप्त करते हुये मानव, देश तथा समाज का समग्र विकास किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थः–

- समाजकार्य, अरिहन्त प्रकाशनः मणिशंकर प्रसाद, ISBN978-93-5176-695-7
- पी–एच.डी. ग्राम प्रवास की रिपोर्टों, 2014–15, (ने0ग्र0भा0वि0) से संकलित।

डॉ0 ज्ञानेश कुमार त्रिवेदी

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

पर्यावरण दर्शन

– क्षमा तिवारी

पर्यावरण दर्शन दर्शनशास्त्र की एक नवोद्भूत प्रासंगिक शाखा है। पर्यावरण दर्शन का प्रारम्भ सन् 1970 ई0 में हुआ। तत्कालीन दशक से लगातार वर्तमान काल तक औद्योगीकरण, प्रदूषण, परमाणु युद्ध, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण और औद्योगिक समाज का गुरूत्व, अनवरत वृद्धिमान जनसंख्या और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं, जैसे विकास के विभिन्न चरणों को आत्मसात् करके पर्यावरण दर्शन में सुविस्तृत बौद्धिक मार्गों का संग्रह और मूल्यात्मक दिशा–निर्देश की गवेषणा की जा रही है। पर्यावरण की विविध समस्याओं को लेकर पर्यावरण दर्शन का मुख्य संदेश यह है कि 'विश्व में वर्तमान काल में जो उपभोग एवं उत्पादन का आदर्श समृद्ध हो रहा है वह धरती पर 'जीवन' उत्तरजीविता के लिए एक आशंका है। इसलिए इस प्रवृत्ति के विपरीत गम्भीरतापूर्वक कुछ कदम उठाये जाने चाहिए।' सैद्धान्तिक रूप से पर्यावरण दर्शन के लिए आवश्यक हो गया है कि वह एक ऐसी भाषा का निर्माण करें जो संधियुक्त, सुस्पष्ट एवं पर्याप्त गहराई के साथ संदेश दे अर्थात् मूल्यात्मक सिद्धान्त का आदेश दे तथा उसके सहयोग हेतु व्यावहारिक नियत कार्य का भी संकेत करे। 'Nuture Nature' तथा Peter Senge के अनुसार 'Learning for sustainability' इसका सर्वप्रमुख लक्ष्य है।

पर्यावरण दर्शन इन्स्ट्रूमेन्टल वैल्यू थियरी (Instrumental Value Theory) से सहमत नहीं है, जिसके अनुसार मूलभूत एवं समवायी मूल्य मात्र मनुष्य के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा सब कुछ सिर्फ संसाधन मूल्य पर आधारित है अर्थात् उसका मात्र साधन मूल्य है। इस सिद्धान्त के विपरीत पर्यावरण दर्शन का तर्क है कि इस धरातल का मनुष्य ही एक मात्र नैतिक सूत्र नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जीव–जन्तु, जैविक और अजैविक, समस्त, भी नैतिकता के सूत्र हैं। अतः समस्त वस्तुओं की नैतिकता तथा उनके आन्तरिक एवं आपसी संबन्धों से उद्भूत मूल्य की अवधारणा ही वस्तुतः मूल्य को परिभाषित कर सकती है।

पर्यावरण दर्शन की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम पर्यावरण एवं दर्शन का विश्लेषण आवश्यक है। विश्लेषण दर्शनशास्त्र के अध्ययन की महत्वपूर्ण विशेषता है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के Environment शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है जो फ्रेंच शब्द Enviroma से निःसृत है। Enviroma अर्थात् Surround अर्थात् जो चारो तरफ से घेरे हुए है, पर्यावरण है। जिसमें भौतिक अथवा अजैविक (Abiotic) और जैविक (Biotic) दोनों पर्यावरण का समावेश होता है। इसे जीवमण्डल (Biosphere) भी कहा जाता है जिसमें जलमण्डल (Hydrosphere), स्थलमण्डल (Lithosphere) तथा वायुमण्डल (Atmosphere) के जीवनयुक्त भागों का योग होता है। प्रकृति में हमें जो कुछ दिखाई देता है वायु, जल, मृदा, पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में इन सबकी मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलनमय जीवन चलता रहे। मनुष्य भी पर्यावरण का घटक है उससे स्वतन्त्र उसका अस्तित्व नहीं है किन्तु मनुष्य घटक के साथ पर्यावरण का कारक भी है। इस प्रकार पर्यावरण के अन्तर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्‌भव विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करती है। पर्यावरण के उपर्युक्त वर्णन में मात्र प्राकृतिक पर्यावरण का वर्णन है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ–साथ मानव–निर्मित पर्यावरण का भी अस्तित्त्व है। मानव–निर्मित पर्यावरण में मनुष्य तकनीकि प्रयोग द्वारा वर्तमान को सर्वोत्तम सुख–सुविधा से सम्पन्न करता है उसका मूल्य अगली पीढ़ी के पर्यावरण का क्षरण होता है।

दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाएं पर्यावरण संरक्षण को लेकर संवेदनशील हैं। इस दिशा में पर्यावरण नैतिक दर्शन, पर्यावरणीय सौन्दर्यशास्त्र, पर्यावरणीय, नारीवाद, पर्यावरणीय भाष्य विज्ञान एवं पर्यावरणीय धर्म मीमांसा प्रमुख हैं। 21वीं शताब्दी मूलभूत रूप से अनुप्रयुक्त दर्शन का काल है। अनुप्रयुक्त दर्शन का विस्तार धर्म–दर्शन, समाज दर्शन एवं नीतिशास्त्र के क्षेत्र में है। पर्यावरण दर्शन का अध्ययन एवं उपयुक्त सुझाव अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अन्तर्गत स्वीकृत है तथापि उपरोक्त वर्णित शाखाओं में वर्णित पर्यावरण की समस्या एवं समाधान

वर्णित शाखाओं में वर्णित पर्यावरण की समस्या एवं समाधान पर एक विहंगम दृष्टि आवश्यक है।

पर्यावरणीय सौन्दर्यशास्त्र ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अन्तः अनुशासिक नियमों को संरक्षित एवं निर्मित किया है जो पर्यावरणीय विचारों में जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, जैवविविधता, राजनीतिक एवं ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों को उठाया जाता है। वर्तमान काल में पर्यावरणीय आकृति या पारिस्थितिकी का एक पर्यावरण दर्शन है जो एक पल्लवित होती कली के समान है। जिसका एक प्रमुख सामाजिक एवं वृद्धिमान आन्दोलन के रूप में 1970 ई0 में समसामयिक क्षेत्र में पुनर्उद्भव हो रहा है।

पर्यावरण नारीवाद (Ecofeminism) आन्दोलन एवं दर्शन पारिस्थितिकी एवं नारीवाद को समंजित करता है। पर्यावरण दर्शन के सन्दर्भ में पारिस्थितिकी की चर्चा अनिवार्य है। पारिस्थितिकी जीव या अंगी और उसके पर्यावरण के मध्य होने वाले व्यवहार का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। सन्तुलित पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं जीव या अंगी के व्यवहार सामंजस्य का सूचक एवं पर्यावरण दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य है। यह पर्यावरणीय नारीवाद का आन्दोलन पर्यावरण एवं महिलाओं के साथ सामाजिक अन्याय के प्रत्येक मुद्दे को सशक्त रूप से उभारता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम फ्रेंच लेखक Francoise d' Eaubonne ने अपनी पुस्तक Le Feminisme ou la Mort में Ecofeminism शब्दावली का प्रयोग किया। पर्यावरणीय नारीवाद नारी एवं प्रकृति के मध्य संबन्ध स्थापित करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार सशक्त वर्ग के नीचे के समस्त वर्ग जैसे मनुष्य समाज में महिला, रंग भेद, अल्पवयस्क और गरीब तथा प्रकृति के स्तर पर पशु, भूमि, जल, वायु इत्यादि अधीनस्थ, आश्रित एवं समान है। पाश्चात्य पितृसत्तात्मक समाज एवं लिंगभेद आश्रित मूल्य के युग में सभी अधीनस्थ एवं आश्रित वर्ग उत्पीड़न, प्रभुत्व की इच्छा, अनुचित लाभ एवं औपनिवेशिक मंशा पर बल, के विषय बन गये है। पर्यावरण नारीवाद का विश्वास इस बात में दृढ़ है कि पारस्परिकता, सहृदयता पूर्वक पालन पोषण, सहयोग की भावना जैसे नारीवादी मूल्य समान रूप से नारी एवं प्रकृति को समृद्धि प्रदान करते है। नारी एवं प्रकृति के इसी पालन–पोषण

एवं जिम्मेदारी निर्वहन की प्रवृत्ति उन्हें समानता प्रदान करती है और उनके शोषण का प्रमुख कारण भी बनती है।

पर्यावरण दर्शन एंव पर्यावरण नीतिशास्त्र में पर्यावरण व्याख्यात्मक या भाष्य विज्ञान एक सापेक्षिक, वर्तमानकालिक अवस्थिति या दशा है। पर्यावरण भाष्य विज्ञान का प्रारम्भिक बिन्दु यह प्रत्यय या विचार है कि मनुष्य जिस विश्व, निवास स्थान या प्रकृति में अवस्थित हो रहा होता है और उन्हें अर्थ प्रदान करने का प्रयास करता है वह सदैव, पहले से ही सारगर्भित, अनुप्राणित एवं अर्थवान है।

पर्यावरण धर्म विज्ञान ईश्वर मीमांसा का एक रचनात्मक उदाहरण है जो अपना ध्यान प्रकृति एंव धर्म के अन्तःअनुशासिक संबंधों पर केन्द्रित रखता है। यह मीमांसा उन आधार वाक्यों से आरम्भ होती है जिनमें धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मनुष्य एवं पदावनत प्रकृति के मध्य संबंध को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही संपोष्यता के परिस्थितिकी मूल्य एवं प्रकृति पर मानवीय प्रभुत्व की गवेषणा की गई है। यह आन्दोलन समस्त विश्व में सकारात्मक धार्मिक पर्यावरणीय योजनाओं को संबल प्रदान करता है।

नीतिशास्त्र तो मनुष्य के लिए है क्योंकि पर्यावरण की नियामक नीति तो प्राकृतिक है। पर्यावरण के लिए अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की आवश्यकता है। पर्यावरण में ह्रास विकास मनुष्य के व्यवहार से आता है तो आवश्यकता मानवीय व्यवहार के मूल्यांकन की है।

अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र की वर्तमान कालिक सर्वप्रमुख शाखा है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं समष्टिगत नैतिक मुद्दों का गहन विश्लेषण किया जाता है तथा उसके प्रति कुछ करने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण नीतिशास्त्र की प्रमुख संचेतना पारिस्थितिकीय मुद्दों पर आधारित है जो सरकार एवं निगमों की जिम्मेदारी तय करती है कि किस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषण एवं क्षरण से संरक्षित किया जाय। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, मानकीय एवं अधिनीति शास्त्र से पृथक् है। जहाँ मानकीय नीतिशास्त्र की संचेतना उचित एंव अनुचित व्यवहार के मापदण्ड स्थापित करने पर आधारित है वही अधिनीतिशास्त्र की संचेतना नीतिशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त, कथन, दृष्टिकोण एवं नैतिक निर्णयों के विश्लेषण पर आधारित है। मानकीय नीतिशास्त्र एवं अधिनीति शास्त्र के

उपरान्त नीतिशास्त्र की अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र शाखा किन्हीं नियमों की स्थापना एवं नियमों के विश्लेषण के स्थान पर समस्याओं के व्यवहारिक समाधान पर विशेष बल देता है। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र द्वारा सरकार एवं निगमों को पर्यावरण संरक्षण पर दिए गये सरकार एवं निगमों को पर्यावरण संरक्षण पर दिये गये दृष्टिकोण का निवेचन इस लेख का अन्तिम भाग एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रथम चरण होगा।

जैविक वस्तुएँ सामान्यतः निष्क्रिय जीवन नहीं जीते हैं वे लगातार अपने पर्यावरण के साथ क्रिया–प्रतिक्रिया सम्पादित करते रहते हैं। उस क्रिया की प्रतिक्रिया में पर्यावरण संस्थान में परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। मिट्टी, पौधों, पानी तापमान प्रकाश एवं अन्य जैविक तथा अजैविक वस्तुओं के बीच लगातार होने वाले क्रिया–प्रतिक्रिया से पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। प्रकृति एवं मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध के ऐतिहासिक विश्लेषण से पर्यावरण संकट के मूल कारण को समझने में सहायता मिलेगी।

दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करना होगा तथा यह देखना होगा कि प्राचीन काल में पर्यावरण संकट क्यों नहीं था? पारिस्थितिकी असंतुलन क्यों नहीं था? आज कौन सी परिस्थितियाँ आ गई हैं जिनके कारण मानव अस्तित्व के समक्ष यह भयावह संकट उत्पन्न हो गया है? प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य की भावना से संबंध स्थापित करता था। यद्यपि कारण धार्मिक या आध्यात्मिक था। प्रकृति की पूजा करके उसे माँ का पवित्र स्थान देकर या प्रकृति को ही समस्त सृष्टि का मूल कारण मानकर उससे सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया। आखेट युग, पशु पालन एवं कृषि युग प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध के युग थे। दार्शनिकों ने भी अध्यात्मवाद एकतत्ववाद या प्रकृतिवाद के अन्तर्गत प्रकृति तथा अन्य जैविक सत्ताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण सुसंगत संबंध की स्थापना की थी। भारत में वेदों और उपनिषदों में प्रकृति को उच्च स्थान प्राप्त है तथा मानव अस्तित्व के लिए प्राकृतिक शक्तियों की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। किन्तु उन्नीसवीं सदी के मध्य से एक साथ विज्ञान, तकनीकि और औद्योगिक विकास का युग प्रारम्भ हुआ। इसके साथ ही

नये अनुसंधान और विकास से औद्योगिक क्रान्ति का एक क्रम प्रारम्भ हुआ।

औद्योगिक क्रान्ति ने वस्तु निर्माण, यातायात, नगरीकरण, कृषि, पशुपालन और मानव की जीवन पद्धति को या आयाम दिया । बढ़ते उत्पादन और सुख–सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो गई। वृद्धिमान जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, मकान आदि जुटाने के लिए बृहद पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन प्रारम्भ हुआ। ऊर्जा के विविध साधनों–कोयला, तेल, बिजली, गैस ने मनुष्य को अपार शक्ति प्रदान की। इस क्रान्तिकारी क्रिया–कलाप से एक नये पर्यावरण का सूत्रपात हुआ जिसे आधुनिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहा गया। आधुनिक काल के इस औद्योगिक क्रान्ति के प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद का प्रश्रय मिला। प्रत्यक्षवाद और भौतिकवाद के आधार पर अतिप्राकृतिक, आध्यात्मिक एवं पारलौकिक सिद्धान्तों, सत्ताओं व मान्यताओं का उन्मूलन किया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ही मानव प्रगति का प्रमुख कारण मान लिया गया। यहीं से प्रकृति के विजेता का भाव, अहंकार का उदय हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध विदोहन प्रारम्भ हो गया और आज मनुष्य की यह स्थिति है कि उसका पर्यावरण उसके जीवन के लिए संकटपूर्ण हो गया है। अस्तित्व के समक्ष उत्पन्न संकट की स्थिति में मानवतावादियों एवं पर्यावरणवादियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हुआ तथा प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी।

प्रो0 स्टीफन हॉकिंग ने इस युग को मानव जाति के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण युग की संज्ञा दी है। उनके अनुसार पृथ्वी संकट में है। विश्व काफी अधिक पर्यावरणीय एवं तकनीकि चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन, खाद्य उत्पादन में प्रयुक्त फर्टिलाइजर्स ज्यादा आबादी एवं अन्य प्रजातियों का विनाश है।

जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि दुनियाँ के विभिन्न देशों में शताब्दियों से जो औसत तापमान बना हुआ था अब वह बदल रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा

है। परन्तु वर्तमान युग में विगत कुछ वर्षों से जलवायु के अचानक तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। मौसम की अपनी विशेषता होती है लेकिन अब उसका ढंग बदल रहा है। गर्मियाँ लम्बी तो सर्दियाँ छोटी होती जा रही हे। सम्पूर्ण विश्व में ऐसा हो रहा है और यही जलवायु परिवर्तन है। इसका कारण 'ग्रीन हाउस इफेक्ट' है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से तात्पर्य है कि पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ उर्जा ग्रहण करता है। पृथ्वी के चतुर्दिश ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड सम्मिलित है। ये परत सूर्य की अधिकतर उर्जा को संग्रहित कर लेती है और फिर इसे पृथ्वी के चारों दिशाओं में वितरित करती है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह न होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठण्डी होती। अर्थात् अगर ग्रीन हाउस गैसे नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नही होता। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य उद्योगों और कृषि द्वारा जो गैसे वातावरण में उत्सर्जित कर रहा है उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है। जिससे ये परत अधिक उर्जा सोख लेती है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। यही जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिग में कृषि की बदली हुई पद्धति एवं खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयुक्त फर्टिलाइजर्स की भूमिका की महत्वपूर्ण है। पुनः फर्टिलाइजर्स के उपयोग से प्रकृति स्वच्छता के दूत गिद्ध का विनाश भी तीव्र गति से हो रहा है। यह पर्यावरण के लिए एक चेतावनी है। वृद्धिमान आबादी की तुलना में संसाधनों की न्यूनता भी असंतुलन का सूचक है। विभिन्न प्रजातियों का विनाश भी पर्यावरण असंतुलन का सूचक एंव कारक दोनों है।

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण असंतुलन को दूर करने का प्रयास समस्या के प्रारम्भ से ही जारी है। स्टाकहोम सम्मेलन में पारित 'मैग्नाकार्टा' की अभिशंसाओं के आधार पर यूनेस्कों के अन्तर्गत 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) कमेटी का निर्माण हुआ। जिसमें 50 सदस्य थे। इसी अभिकरण द्वारा सन् 1975ई0 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम (IEEP) के अन्तर्गत बेल्ग्रेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कान्फ्रेंस की देन 'बेल्ग्रेड घोषणा–पत्र' रहा जिसमें यह निर्देशित किया

गया कि विश्व के बिगड़ते पर्यावरण को रोकने तथा उसे सुधारने हेतु शिक्षा (पर्यावरण शिक्षा) का व्यापक कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर चलाया जाना चाहिए। इसी सम्मेलन में प्रत्येक देश ने अपनी–अपनी पर्यावरण नीति बनाने का भी निर्णय लिया। बिगड़ते पर्यावरण को संतुलन करने के लिए देश में उपलब्ध भू–भाग में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की अनिवार्यता भी यहीं प्रस्तावित की गइं 1982 में नैरोबी में 10 जून से 18 जून तक मानव पर्यावरण सम्मेलन की दसवी वर्षगांठ मनाने 105 देशों के प्रतिनिधि मिले और नैरोबी घोषणा पत्र को पारित किया गया। इस चार्टर में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जो घोषणा पत्र स्टाक होम कान्फ्रेंस में सन् 1972 ई0 में जारी किया गया था, वही स्थिति आज भी है, पूर्व की योजना के अनुसार ही कार्य करके पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाये।

अनुप्रयुक्त दर्शन इक्कीसवीं शताब्दी का दर्शन है। इक्कीसवीं शती के आरम्भ से ही विश्व स्तर पर इस बात की चर्चा की जा रही है कि समग्र दृष्टि का विकास करके ही मानव तथा मानवेतर सृष्टि के अन्तः सम्बन्धों की सम्यक व्याख्या की जा सकती है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भविष्य इस बात पर निर्भर है, विकास की परिभाषा क्या मानी जाय। तत्कालीन विकास की एकांगी परिभाषा से पीड़ित और संशक्ति मानव–समुदाय ने बीसवीं शती के नवें दशक में विकास की एक नयी अवधारणा को स्थापित किया, जिसे संपोष्य विकास कहते है। संपोष्य विकास वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करने का परामर्श देता है जिससे भावी आवश्यकताओं की पूर्ति बाधित न हो सके। इसके लिए अनिवार्यतः वर्तमान की आवश्यकताओं का सीमांकन करना पड़ेगा। आवश्यकता एक अनिश्चित अर्थ वाला पद है। पुनश्च विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में अन्तर स्वाभाविक है। इसलिए संपोष्य विकास में आवश्यकता का अर्थ है– जीवनोपयोगी न्यूनतम आवश्यकता। यह अर्थ भारतीय दर्शन में सुस्थापित अपरिग्रह की अवधारणा के समतुल्य है। संपोष्य विकास भोग की सीमा तथा त्याग की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। यह किसी धार्मिक अथवा नैतिक उपदेश से प्रेरित होकर की गयी स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह समग्र दृष्टि से प्राप्त एक अनिवार्यता है। भोग्य एवं भोक्ता के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अनियंत्रित भोग भोक्ता को ही भोग्य बना

देता है। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है कि 'तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम स्वयं जीर्ण हो गये, भोग भुक्त नहीं हुए, हम स्वयं भुक्त हो गये।' समग्र दृष्टि इसे स्वीकार करने की अनिवार्यता का बोध कराती है। इच्छा और आवश्यकता की सीमा रेखा खींचे बिना संपोष्य विकास संभव नहीं है।

संपोष्य विकास युग की माँग है। इस माँग की पूर्ति के लिए हमें मानव आचरण के प्राचीन आदर्शो की ओर लौटना पड़ेगा। मानव को सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति भ्रातृत्व का भाव तथा पृथ्वी के प्रति मातृत्व का भाव विकसित करना पड़ेगा। मानवता के सतत् विकास के लिए भोगेच्छा का नियमन करना होगा। संपोष्य विकास की यह अवधारणा भावी मानवता के लिए वरदान है। यह समग्र ब्रह्माण्ड को मानव प्रकृति में सन्निहित मानते हुए 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' आर्ष वचन को सत्य सिद्ध करता है। वास्तव में पिण्ड और –ब्रह्माण्ड दोनों के कल्याण में अटूट संबन्ध है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अर्थात–दोनों में अन्योन्याश्रय संबन्ध है। अतः मानव को अपने अधिकार के साथ कर्तव्य के प्रति भी सचेष्ट रहना होगा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रवर्तित विकास को सही दिशा देना है।

पर्यावरण दर्शन का विकास एक ओर सर्वांगीण दृष्टि की महत्ता को स्थापित कर रहा है तथा दूसरी ओर मानवता की रक्षा हेतु एक नयी जागृति उत्पन्न कर रहा है। आज नैतिकता सैद्धान्तिक रूप में महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही है। यह अनुप्रयुक्त नैतिकता का युग है, जिसमें 'कुछ कहने' की अपेक्षा 'कुछ करना' अधिक मूल्यवान् है। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र संपोष्य विकास के माध्यम से वर्तमान मानव को कुछ करने के लिए अनन्त क्षेत्र प्रदान कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि मानव में वास्तविक हित की समझ पैदा की जाय। विभिन्न आधारों पर विभाजित मानवता को समग्र सृष्टि से संयुक्त करने वाली दृष्टि इन विभाजक रेखाओं का मिथ्यात्व स्वयं प्रमाणित कर रही है। विभाजन एवं विलेषण को सामंजस्य एवं संश्लेषण के साथ चलना होगा तभी मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा।

डॉ0 क्षमा तिवारी
पी0–एच्0 डी0, दर्शनशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

Relevance of Rabindranath Tagore's Educational View in Present Era

- **Sharmila Srivastava**

Abstract -

Rabindranath Tagore one of the leading poet, a great intellectual of the 19th century is perhaps one of the best social thinkers and reformers of the world. His diversified views and thoughts on various human and social issues have almost brought a revolution and contributed a lot to the welfare of mankind. His thinking on education has ample relevance, insight and prospect in our education system. This paper deal with educational views of Rabindranath Tagore and its relevance in present era. The paper is primarily based on secondary sources like the Books, Journals and Articles etc.

Introduction -

Rabindranath Tagore, recipient of the Nobel Prize for Literature popularly known as *Gurudeva* was a visionary, social reformer, a poet who was a great preacher of Indian culture and tradition.

Tagore's philosophy reflects the incorporation of Western and Eastern ideas. In one side, he was intensely embedded by the Vedas and Upanishads and on other side, his thoughts correspond to the concepts and ideas of enlightenment. Tagore's philosophy is the sum total of the four fundamental philosophies of naturalism, humanism, internationalism and idealism. His philosophy is a depiction of fulfillment through a harmony with all things.

He tried to spread the Indian ethos and culture to the descendants throughout the world. Tagore had a rare and a great personality exhibited multidimensional ideas and which has relevance in today's world . He felt that man and nature have an original integration and his educational philosophy is based on this concept .Unlike most of the Western educators he was not only a theorist but a practitioner.

Present paper is being framed with the objectives:

1. To analyze Tagore's philosophy of education in present era.
2. To examine the relevance of Tagore's philosophy of education in present era.

Tagore's Educational Philosophy -

Hence his ideas of education are manifested through his literary creation-be it poetry, drama, novels, short stories, essays or letters. As Tagore found the education of his times inadequate, he wished that education should facilitate an individual's all around development and result in the perfection of the individual and society at large. His poem "where the mind is without fear" portrays this. He advocated an education where the learners are free from all fear, feelings of guilt, jealousy etc. He preferred education that nurtures the spirit of open mindedness, self-reliance and a spirit of inquiry in the learner's mind. Education must be closely associated with nature, social life, the culture and traditions of the learner. He desired that education should help one to achieve perfection in life.

About the main aim of education he said, the best function of education is to enable us to realize that to live as a man is great, requiring profound philosophy for its ideal, poetry for its expression and heroism for its conduct." He based his philosophy of education on the following principles. The five main principles of Tagore's educational philosophy are : (a) Freedom (b) Creative Self-Expression (c) Idealism and Humanism (d) Active Communication with Nature and Man (e) Internationalism

Tagore's Educational View and Its Relevance in Present Era -

In past achievement of theoretical knowledge of things was everything in pursuit of education. But the objectives of education are multifarious today. Education at present is considered to be deeply related with over all development, especially with humanistic development. Now everything is visualized in global perspectives and sustainability. To ensure humanistic development there is no alternative to a timely and ideal education system. In present scenario education is considered to be directly human development, economic growth, productivity, health and demographic change, globalization

and environment. Thus the concepts of education and development are now identical and inseparable from each other.

Tagore thought seriously about the relationship between education and development. He theorized education relating it to humanistic and wholesome development. Inspite of chiefly being a poet, he did not leave any sphere of human life untouched. The role and impact of Tagore‘s education philosophy as reflected in contemporary educational institution of India are as follows:

Tagore greatly emphasized the intellectual development of the child. By intellectual development he means development of imagination, creative free thinking, constraint curiosity and alertness of the mind, Child should be free to adopt his own way of learning which will lead to all round development.

Tagore envisaged that nature is the best teacher to the pupil. Nature will provide the student with necessary situation to earn knowledge. Nature has guiding force to inculcate the spirit of learning in the mind of a student to pursue the education he likes which helps to shape his behavior and character.

He advocated freedom to learner. He had opened Santiniketan, Sri Niketan and Brahmachari Ashram to provide free environment to his students. Accordingly, he gave free choice to students to develop their interest in any field they like. Education should be after the heart of a man. According to him education imparted in a natural way will lead to the fulfillment of these three freedoms; freedom of heart, freedom of intellect and freedom of will.

As per Tagore spiritualism is the essence of humanism. Manifestation of personality depends upon the self-realization and spiritual knowledge of individual.

Tagore held that education can teach people to realize oneness of the globe. Education for international understanding and universal brotherhoods another important aim of his educational philosophy.

Tagore‘s educational philosophy also aims at the physical development of the child. He gave much importance to sound and healthy physique. Yoga, games & sports are prescribed in Santiniketan as an integral part of the education system.

According to Tagore, teaching should be practical and real but not artificial and theoretical. As a naturalist out and out, Tagore laid emphasis on the practicality of education. That will definitely increase the creative skill within a learner. That creativity will bring perfection in the learning process and the student will be a master in his own field but not a slave to mere theoretical knowledge which one delves deep.

Co-relation exists with God, man and nature. A peaceful world is only possible when correlation between man and nature will be established.

Tagore attached great importance to the fine arts in his educational curriculum. To him, game, dance, music, drama, painting etc. should form a part of Indian education.

Language is the true vehicle of self-expression. Man can freely express his thought in his mother-tongue. Tagore has emphasized mother tongue as the medium of instruction for the child‘s education.

Tagore emphasized moral and spiritual training in his educational thought. Moral and spiritual education is more important than bookish knowledge for an integral development of human personality. There must be an adequate provision for the development of self less activities, co-operation and love fellow feeling and sharing among the students in educational institutions.

Tagore said, ‘‘Service to man is service to God’’. All should develop social relationships and fellow-feeling from the beginnings of one`s life. Educational aims at the individual personality as well as social characters which enables him to live as a worthy being.

Tagore firmly rejected a book-centered education for students. To him it is not just to confine the mind of boys and girls to text-books only. It will kill the natural instincts of a student and make him bookish. It will kill his creative skill. So, students should be freed from the-book centered education and should be given a broader avenue

Tagore advocated education for Rural Reconstruction. Tagore was aware about the rural poverty of our country. So, he wanted to eradicate it through education. The practical training imparted in different crafts to the students will make them skilled artisans in their field. They can remove the poverty of the rural bulk by applying their education helping thereby in the process of rural reconstruction.

Tagore was fully dissatisfied with the prevalent system of education at that time and called the schools as factories of role learning. Then he advocated the principle of freedom for an effective education. A man through the process of education should be able to come out as a harmonious individual in time with his social set-up of life.

Tagore's major contribution to modern education is the establishment of shantinikethan at Bolepur, in 1901.the school which was modeled on the ancient ashrams grew into a world university called Viswa Bharati. It is an abode of peace where teachers and students live together in a spirit of perfect comradeship. The motto of the institution is where the whole world forms its one single nest. It has open spaces and atmosphere of freedom surrounded by natural environment. It is open to, all irrespective of country, race, religion, or politics. It is centered around simple living and high thinking and has spiritual and religious atmosphere.

References-

- Agarwal, J.C. (2011) Basic Ideas in Education, Shipra Publication, Delhi
- Haq, K. , The Philosophy of Rabindranath Tagore. Asiatic, 4(1), (2010). pdf
- Jha, N., Rabindranath Tagore, Prospects: the quarterly review of education, 24(3/4), (1994). 603-619
- Joshi, S. (2006) Great Indian Educational Thinkers, Author Press, Delhi.
- Websites:
- www.ripublication.com/ijbamspl17/ijbamv7n2spl_14.pdf
- www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue9/Version-9/F019993440.pdf

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

आदिवासियों के संस्कार : पनिका के सन्दर्भ से

– ज्योति पाण्डेय

परम्परानुगत रूप में चली आती हुई मानवीय मनोभावों की विकासात्मक योजना 'संस्कार' का नाम ग्रहण करती है। मानव जीवन के मानसिक संकल्पों और विचारों को विकासोन्मुख करने की दृष्टि से संस्कारों का विशेष महत्व है। मानव–जीवन को पुष्ट करने में सहायक प्रक्रियाओं को 'संस्कार' कहा जा सकता है। जीवन के विकास–क्रम के साथ इन संस्कारों के अनेक प्रकार होते है। ये संस्कार बालक के माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु–पर्यन्त चलते रहते हैं और व्यक्ति की उन्नति, समृद्धि, कल्याण एवं मानसिक शुद्धि की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न गृहा सूत्रों तथा स्मृतियों में संस्कारों की संख्यायें भिन्न–भिन्न हैं। गौतम–धर्म सूत्र में तो इनकी संख्या चालीस तक पहुॅच गई है, परन्तु हमारे धर्मशास्त्रियों ने आधुनिक संस्कार – विधियों में सोलह संस्कारों का विधान किया है, यद्यपि मनु ने द्विजातियों के लिए केवल बारह ही शास्त्रविदित संस्कार– विधियों का प्रतिपादन किया है। भारतीय संस्कृति इन संस्कारों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करती है। श्री शिवदत्त ज्ञानी ने अपने 'भारतीय संस्कृति' नामक ग्रन्थ में निम्नलिखित सोलह संस्कारों का उल्लेख किया है :– (1) गर्भाधान (2) पुसंवन (3) सीमन्तोन्यन (4) जातकर्म (5) नामकरण (6) निष्क्रमण (7) अन्नप्राशन (8) चूड़ाकर्म (मुंडन) (9) कर्णवेध (कनछेदन) (10) उपनयन (11) वेदारम्भ (12) समापवर्तन (13) वानप्रस्थ (15) सन्यास (16) अन्त्येष्टि

परन्तु इनमें से प्रारंभ के तीन (गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन) तथा वानप्रस्थ और सन्यास अब अपना अस्तित्व प्रायः खो चुके हैं और ''गौना'' सुदीर्घ–काल से इन संस्कारों में सम्मिलित हो गया है। डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय के शब्दों में ''भारतीय धर्मशास्त्रियों ने सोलह संस्कारों का विधान किया है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई संस्कार होता ही रहता है। यद्यपि सोलह प्रकार के संस्कार बतलाये गये हैं तथापि पुत्र–जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गौना और मृत्यु प्रधान संस्कार माने गये है।''

पनिका आदिवासियों के संस्कार शास्त्रविहित नहीं है। उन पर आदिवासियों के रहन–सहन की अपनी विशिष्ट छाप है। आदिवासियों में मुख्यतः निम्नलिखित संस्कार संपन्न होते है :–

(1) जातकर्म (2) नामकरण (3) निष्क्रमण
(4) अन्नप्राशन (5) चूड़ाकर्म (6) कर्णवेध
(7) विवाह (8) अन्त्येष्टि

जातकर्म संस्कार :–

गर्भाधान का आभास पाकर अन्य मनुष्यों की भॉति ही पनिका आदिवासी भी हर्षातिरेक से झूमने लगता है। दम्पत्ति की चरम कामना पुत्र प्राप्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है। कोई भी पिता पुत्र उत्पन्न करके ही पुत्र–ऋण से उऋण समझा जाता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति का सिद्धान्त मानव जीवन में अनादिकाल से व्यवहरित होता आ रहा है। पुत्र का मुख देखने की साध प्रत्येक मनुष्य में बलवती होती है। फिर आदिवासी भी तो मनुष्य ही है। इनकी यह साध पूर्ण होने पर जातकर्म संस्कार संपन्न होता है। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था के लक्षणों को देखकर नारी को सावधान कर दिया जाता है कि वह कोई भारी काम न करे और घर से अधिक दूर न जाये। घर पर ही रहकर घरेलू कार्य निपटाने की चेष्टा करे। गर्भवती की असमर्थ अवस्था को 'गरूवा जाना' कहा जाता है। पुत्र होगा अथवा पुत्री इनके लिए प्रसव अवधि के आधार पर अनुमान किया जाता है। यदि नौ मास से अधिक समय लगता है तो पुत्री का जन्म संभावित होता है। इन के समाज में यह मान्यता है कि यदि गर्भिणी स्त्री की बायीं आंख कई दिनों तक फड़कती रह जाये तो पुत्र उत्पन्न होगा और अन्य अंग फड़के तो पुत्री का जन्म होगा। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि स्त्री का पेट अधिक फूले तो पुत्र और कम फूलने में पुत्री का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त यदि देहरी पर झींक हो जाये (जब बायां पैर बाहर और दांया पैर भीतर) तो पुत्री का जन्म संभावित होता है। बहुधा शिशु के जन्म को पूर्वजों का पुर्नजन्म निरूपित किया जाता है। शिशु जन्म के अवसर पर पनिका आदिवासी कहते हैं कि ''पुराना बाबा आ गया पनिका आदिवासी पुत्र और पुत्री दोनों को समान हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं। तथापि पुत्र जन्म के अवसर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्नता होती है क्योंकि पुत्र को

कुटुम्ब बढ़ाने या वंश वृद्धि में सहायक तथा पिता की बुढ़ौती का सहारा माना जाता है। पुत्री को परायी संपत्ति माना जाता है। जिस परिवार में पुत्र नहीं होता वहाँ पुत्र की प्राप्ति 'घर जमाई' अथवा 'घरजोइया' के रूप में होता है। जो पुत्र की भांति गृहकार्य में सहायक होता है। इन में यदि प्रथम संतान पुत्री हुई तो उसे शुभ लक्षण माना जाता है।

प्रसव :– प्रसव पीड़ा होते ही बूढ़ी पड़ोसिनों को बुला लिया जाता है। वे ही प्रसव का कार्य संपन्न कराती है। प्रसव में कठिनाई होने पर से देवी प्रकोप मानकर झाड़फूक का सहारा लिया जाता है और नाना प्रकार की मनौतियां की जाती हैं। पनिका आदिवासी डॉक्टर या सरकारी प्रसूति गृहों में जाना पसंद नहीं करते हैं। उस समय वे केवल भगवान का भरोसा करते हैं। यदि प्रसव कार्य असफल रहा और कोई अनिष्ट हो जाता है तो ये इसे अपन भाग्य मानकर संतोष कर लेते हैं।

प्रसूतिका–गृह (सौर) :– शिशु जन्म के पश्चात् जज्चा–बच्चा को सौर गृह में पहुॅचा दिया जाता है। सौर गृह प्रायः वह प्रकोष्ठ होता है जो रसोई और कठोर घर से कुछ दूर पर खाली पड़ा रहता है उसमें जच्चा–बच्चा को चारपाई पर लिटाते हैं। सौर गृह में किसी प्रकार का अनिष्ट न हो इसके लिए टोटके के रूप में रेंड़ का पत्ता लगा दिया जाता है और जच्चा को चारपाई पर एक लोहा रख दिया जाता है। भूत–प्रेत की बाधा से बचाव के लिए सौर गृह के दरवाजे पर कंडे की जलती हुई अंगीठी रखी जाती है।

नारा काटना और गाड़ना :– केवल राजगोड़ों में ही नारा काटने के लिए 'चमारिन' बुलायी जाती है। इसे वे प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। प्रतिष्ठा की रक्षा के प्रयास में कभी–कभी बच्चा कई घंटे पड़ा रहता है। पनिका आदिवासियों में यह कार्य घर की स्त्रियाँ अथवा नाते की स्त्रियाँ करती है। नारा काटने के लिए छुरा हंसिया आदि उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं।

आदिवासियों में नारा काटने के स्थान और विधि विधानों में भी अंतर पाया जाता है। इनके यहाँ जच्चा की खाट के नीचे अक्षत, पैसे आदि के साथ नारा गाड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त घर के पिछवाड़े (जो परंपरागत रूप में नारा गाड़ने का निश्चित स्थान होता है) भी नारा गाड़ दिया जाता है। पनिका के यहाँ नारा गाड़ने का कोई निश्चित स्थान

नहीं है। ये लोग जिस स्थान पर नारा गाड़ते हैं वहां आग जला देते हैं। कभी–कभी आग जलाने का क्रम आठ दिन तक चलता है।

सौर–स्थान :– नारा काटने के पश्चात् जच्चा को गुनगुने पानी से स्नान करा दिया जाता है, और गर्मी के लिए आग जला देते हैं। प्रसूता को रोगों के प्रभाव से बचाने के लिए अजवाइन का धुंआ दिया जाता है। तीसरे दिन विशेष प्रकार का स्नान कराया जाता है। उस दिन प्रसूतिका गृह (सौर) को स्वच्छ किया जाता है। स्नान के पश्चात जच्चा–बच्चा को तिल अथवा रमतिला के तेल से मालिश किया जाता है। पनिका आदिवासियों में यह कार्य घर की औरतें करती हैं।

औषधोपचार :– पनिका के यहाँ प्रसव के तीन दिन बाद जड़ी–बूटी का पानी जच्चा को पिलाया जाता है। जिससे पेट की पीड़ा शांत हो जाती है। भुमियों के यहाँ नारा काटने के पश्चात् प्रसूता को 'बड़ा दबाई'[1] पिलाते हैं। मड़िया के यहाँ भी प्रसव के तत्काल बाद यही 'बड़ा–दवाई' दी जाती है। पनिका में बड़ा–दबाई के अतिरिक्त महुआ वृक्ष का छिलका, जामुन के वृक्ष का छिलका, तुर्रा की जड़, तेंदु की जड़, अटिगन कर पत्ता, पापोड़ की जड़, छींद का कन्द आदि के समिश्रण से बना हुआ काढ़ा पिलाया जाता है।

पनिका में प्रसूता को प्रसव के पश्चात् दो दिन तक भोजन और पानी नहीं देते। पनिका के यहॉ दो दिन बीत जाने के बाद अर्थात् तीसरे दिन 'कुरथी' के दानों को पानी में उबालकर, घी से बघारकर, नमक मसाला डालकर 'कुरथी पानी' बनाकर जच्चा को पिलाते हैं। इसके पश्चात् प्रसूता को एक विशेष प्रकार की औषधि दी जाती है, जिसे 'बड़का इलाज'[2] कहते हैं।

प्रसूता के लिए पीने का पानी हेरूआ डालकर, पानी को खौलाकर उसे गुनगुना करके दिया जाता है। इनके यहाँ चौथे दिन हिरवा[3] की दाल दी जाती है।

भोजन :– प्रसूता को प्रसव के तीसरे दिन अरहर की दाल और चावल पकाकर दिया जाता है। यह भोजन आखिरी शुद्धि तक प्रसूता को दिया जाता है। एक माह तक दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता है। भुमियों के यहाँ तीसरे दिन कोइई का पेज खाने को देते है और आठ दिन तक गरम पानी पीने को दिया जाता है। परिस्थित और सुविधानुसार

भोजन और औषधि में यत्किंचित परिवर्तन कर दिया जाता है। संपन्न घराने की प्रसूताओं को भोजन में हल्दी भात भी दिया जाता है।

पुष्टता :– आदिवासियों में औषधियों का प्रयोग प्रसूता को व्याधियों से बचाने एवं पुष्टता (पुष्टई) के लिए किया जाता है। और संपन्न पनिका प्रसूता के शक्तिवर्द्धन के लिए भोजन के अतिरिक्त गुड़ में सोठ, पीपर आदि मिलाकर खिलाते हैं। कोलों के यहाँ प्रसव के छठवें दिन से पुष्टता (पुष्टई) के लिए ढूँढी बनाकर प्रसूता को देना आरंभ करते हैं। सोंठ, पीपर, करायल तमसुर, अजवायन, नारियल आदि को गुड़ में मिलाकर घी में भूनकर लड्डू बना लिया जाता है, जिसे वे ढूँढी कहते हैं।

अर्द्धशुद्धि (छठी) :– पनिका आदिवासियों में प्रसूति काल प्रायः 12 दिन का माना जाता है। भुमियों के यहाँ इसकी अवधि 2 माह तक होती है। कार्य की अधिकता के कारण प्रसूतायें अशुद्ध रहते हुए भी घर का सामान्य कार्य करने लगती हैं। केवल भोजन बनाना वर्जित रहता है। प्रायः आदिवासियों के यहाँ छठी के पश्चात् स्त्री काम करने लग जाती है। वैसे परिस्थितिवश तीन दिन के पश्चात् ही भूमियों के यहॉ प्रसूता कुछ काम–धाम करने लगती है। लोकरीति के अनुसार छठवें दिन अर्द्धशुद्धि मान ली जाती है– जिसे वे छठी कहते हैं। इसके पश्चात् वह प्रसूता की तेल–मालिश बन्द कर देती है। प्रसूता स्नान करके बच्चे के पैर अपने मानदान, यथा मामा, फूफा आदि से धुलवाती है और उनसे बच्चे के लिए इन शब्दों में आशीष प्राप्त करती है– ''नावे बिरजै बाढ़ै, फुरई खुशी माँ रहै, भगवान सुखियाली राखै तोही।''[4] राजगोड़ों के अतिरिक्त अन्य आदिवासियों में इस दिन न चमारिन और न नाई ही आता है।

मुण्डन :– छठी के दिन बच्चे का मुंडन कराया जाता है। कबीरपंथी पनिका के यहाँ नाई मुण्डन करता है, जबकि ''साकत पनिका'' में पिता ही मुण्डन करता है। इस दिन बड़े बूढे और अन्य आमंत्रित नातेदार भी सिर मुंडवाते हैं। सायंकाल बच्चे को स्नान कराया जाता है और उपस्थित लोग लड़के को प्यार करने तथा आशीर्वाद देते हैं।

पूर्णशुद्धि (बारहों) :– प्रसूता की पूर्ण शुद्धि बारहवें दिन होती है। अंतिम शुद्धि के दिन प्रसूता स्नान करके नई धोती और नई चूड़िया पहनती है। इसके पश्चात् कुँए की पूजा करके शुद्ध हो जाती है। इस

दिन घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं और नातेदारों को निमंत्रित किया जाता है। उस दिन बहन को बुलाया जाता है वहीं सौर लीपती–पोतती है। प्रसूता और बच्चे को स्नान कराती है। पिता लड़के का मुंडन करता है और अन्य आमंत्रित नातेदार भी सिर मुंडवाते हैं। बहिन का लड़का स्नानादि करके नवजात शिशु की अंगुली में चांदी की अंगूठी पहनाता है। 'गुनिया' बालका का मुंह शराब से धुलाता है और थोड़ी सी उसे पिला भी देता है। इससे उसे आदि–व्याधि नहीं सताती। सर्वप्रथम बहिन ही बच्चे को गोद में लेती है।

जन्मोत्सव :– पुत्र जन्म का संवाद पाते ही परिजन पुरूजन और नाते रिश्तेदार आनंद विभोर हो उठते हैं। पड़ोसियों का दल बादल उमड़ पड़ता है और स्नेह से डूबी स्वर लहरी सोहर गीत के रूप में फूट पड़ती है–

बाजत आमैं दस बाजा, त इन्द्र बजा मैं हो।
अब नाचैं फूफी सुभदरा, गामैं सखि सोहर हो।
काहे छुरौना नारद छीनै, काहे पउढ़ावहि हो।
अब काहे पोंछवाना रामा पोंछहें, कउन पउढ़ावहि हो।
सोने छुरौना नारद छीनै, खपर नहवावैं हों।
अब रेसम पोंछवना रामा पोंछई, सिंहासन पडढ़ावहिं हो।[5]

यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता है। छठी का दिन आते ही सर्वत्र स्वच्छता आ जाती है। नातेदार एकत्र हाते हैं। दाल, भात, बड़ा आदि व्यंजनों से उनका स्वागत किया जाता है। आनंदोत्सव यहीं समाप्त नहीं होता, बारहों की प्रतीक्षा की जाने लगती है। बरही के दिन पुनः नातेदारों की बन आती है। खूब सुरापन होता है और साथ में मांसाहार का भी स्वाद मिलता है। इस दिन आमंत्रित स्त्रियाँ सोहर गाकर अपने हर्षातिरेक की अभिव्यक्ति करती हैं– धनि कउसिल्या माता राम जनम भयें हो।

कन्हइया बड़े सूघर, रमइया बड़े सूघर हो।
सोने घड़े भगवान, ललन नहवावा हो।
सोने छुरा भगवान, त नारा छिनावा हो।
सोने सूपल[6] भगवान, ललन पड़ढावा[7] हो।

अन्न प्राशन और कर्णवेध :– पनिका आदिवासियों में अन्नप्राशन और कर्णवेध संस्कार विधि–विधानपूर्वक संपन्न नहीं होता। जब बालक स्वयं अन्न स्वाद पसंद करने लगता है। तब कोई पेय पदार्थ ही पहले

दिया जाता है। इसके लिए न तो कोई निश्चित तिथि होती है और न कोई महोत्सव।

विवाह–संस्कार :– मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है। जिसकी संपन्नता की विधि बहुत पुरानी है। वंश चलाने के लिए संतान की कामना मानव में अत्यंत बलवती है। भारतीय संस्कृति में विवाह भोग, तुष्टि या समझौते के रूप में नहीं वरन् जन्म–जन्मान्तर के अटूट बंधन के रूप में माना जाता है। मनुस्मृति में आठ प्रकार के विवाह वर्णित हैं यथा – (1) ब्रह्म विवाह (2) दैव विवाह (3) आर्ष विवाह (4) प्रजापत्य विवाह (5) असुर विवाह (6) गंधर्व विवाह (7) पैशाच विवाह।

हिंदू धर्म शास्त्र में विवाह पद्धति का सविस्तार उल्लेख है। आदिवासियों को हिन्दू विवाह पद्धति का ज्ञान नहीं है किन्तु लोक दर्शन के द्वारा उन्होंने कतिपय शास्त्रीय विवाह संस्कारों को अपने ढंग से अपना लिया है। इनके कतिपय विवाह पद्धति की चर्चा नीचे की जा रही है।

कन्या की खोज :– आर्य जाति में पुरूष को प्रधानता दी जाती है। इसलिए कन्या पक्ष अपने को हीन मान कर वर की खोज करता है। वर प्राप्ति में अत्यधिक कठिनाई और मानहानि सहन करनी पड़ती है। किंतु आदिवासियों में इससे उल्टी रीति है। वर पक्ष कन्या पक्ष के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करता है। सर्वप्रथम लड़की की खोज मामा के यहॉ से की जाती है। यदि उसके यहॉ वर के योग्य कन्या प्राप्त हो गयी तो अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मामा की लड़की पर वर पक्ष का अधिकार समझा जाता है। यदि मामा के यहॉ कन्या न हुई तो अपने गोत्र और गोत्र के संबंधी (सगा) को बचाकर अन्य गोत्रों में कन्या खोजी जाती है। कन्या की खोज में वर का पिता और रिश्तेदार जाते हैं। यदि वर की दृष्टि से उचित कन्या मिल गयी तो कन्या के पिता से वर का पिता इन शब्दों में आग्रह करता है– ''नात गंगा में अपना के दुआर आये हों, अपना के जूती पकड़ै, तो हमका का आज्ञा मिलै थें।'' यदि कन्या के पिता को संबंध स्वीकार है तो वह स्नेहपूर्ण उत्तर देगा ''नात के तो एक सौदा है, नात के जो मन है, तो ओखर हरियर मन है, तो अपना लड़की पाय चुकेन।'' इसके पश्चात् चारी–फुलहन (तिलक व फलदान) तय होगा। वरपक्ष को दहेज या तिलक के रूप में सामान्यतः पॉंच 'कुरई'[8] कोईई चारी के समय, और विवाह के समय दस 'कुरई'

कोदई और एक बकरा देना पड़ता है। साकत के पनिकाओं में चारी – फुलहन के तय हो जाने के बाद दोनों समधी शराब का तर्पण करेंगे और एक दूसरे की जूठी शराब पियेंगे। इस प्रकार दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है।

तालिका क्र. 3.4

दहेज लिया जाता है

दहेज लिया जाता है	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
महिलाओं द्वारा	137	54.8
पुरूषों द्वारा	113	45.2
योग	**250**	**100.00**

तालिका क्र. 3.4 से स्पष्ट हैं कि 54.8 प्रतिशत व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि उनके यहॉ महिलाओं द्वारा दहेज लिया है। पनिका में महिलाओं द्वारा दहेज लिया जाना साधारण बात है। जिन पनिका पुरूषों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उनमें पुरूषों द्वारा दहेज लिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत 45.2 है।

चारी–फुलहन (तिलक–फलदान) :– वर पक्ष की ओर से फलदान लेकर चार छह रिश्तेदार और वर का पिता कन्या के घर जाते हैं। इसे चारी–फुलहन बारात नाम से संबोधित किया जाता है। इस बारात में वर नहीं रहता। बारात पहुंचने पर कन्या पक्ष वाले उसका स्वागत करते हैं। गॉव घर के लोग इकट्ठे होते है और उनके सामने फलदान (ठहराव) की सामग्री प्रदर्शित की जाती है। इसी समय विवाह की लग्न तिथि भी निश्चित कर दी जाती है।

पनिका के यहाँ फलदान की रस्म कुछ विचित्र होती है 'फुलहन बरात' में उनके यहॉ दस–बारह व्यक्ति जाते हैं। प्रस्थान का दिन सोमवार या बुधवार शुभ माना जाता है। वर का पिता फलदान सामग्री के अतिरिक्त एक पीपा शराब भी ले जाता है। बारात पहॅुचते ही कन्या का पिता परात में समधी का पैर धोता है उसे पीढ़े पर बैठाता है। कन्या का पिता एक थाल में तम्बाकू, सुपाड़ी, पान, बीड़ी आदि रखकर सभी को देता है। सबसे पहले समधी पान का बीड़ा लेता है। वह लड़की के पिता के मुंह में पान का बीड़ा खिलाता है। तब अन्य उपस्थित व्यक्तियों को व्यवहार पाने का अधिकार होता है। कुछ देर के बाद फलदान में आयी

शराब खोली जाती है। दोनों समधी पूर्वजों के नाम पर शराब का तर्पण करते हैं और इसके बाद सभी में शराब बाँटी जाती है। सायं काल बाराती भोजन करते हैं। भोजन कन्या का पिता नहीं देता है वरन् वर का पिता और उसके साथ आये रिश्तेदार अपने साथ लायी हुई सामग्री से बनाते हैं। भोजनोपरांत वर का पिता कन्या के पिता से कहता है– ''अब या तो पी खाय लिहिन। समधी अब या बताओं कि कैसन खरचा–बरचा लेवैं, कैसन चिथरा लेवे? एला बताब। कन्या के पिता के द्वारा मांग होती है– एकक 'माई–सारी' ए आजी–'बोदरी', सात या नौ रूपया और एक पीपा दारू। इतनी सामग्री देने की बात स्वीकार कर लेने पर विवाह की तिथि और घड़ी तय कर ली जाती है।

लग्न निश्चित करना :– इसी समय बारात और भॉवर की तिथियॉ निश्चित कर ली जाती है। पुरोहित का काम 'दोसी'[9] करता है जो 'गुनिया'[10] होता है। दोसी एक कलश में जल भरकर लाता है वह देवस्मरण के बाद कलश के सामने मंत्रोच्चारण करता हुआ, घी गुड़ का हवन करता है। कलश में वर–वधु के नाम से पहले दो चावल छोड़ता है। चावल पानी में तैरते हुए नीचे जाकर जुड़ जाते हैं। यदि चावल बगल से सटा तो शुभ और यदि नोंक से जुड़ा तो अशुभ की आशंका करते है। यदि देर से जुड़ा तो भी अशुभ मानते हैं। वर–कन्या के बाद समधी, समधिन, सुआसा, सुआसिन आदि के नाम से भी क्रमशः चावल छोड़े जाते हैं और इस प्रकार शुभ–अशुभ का निर्णय करते है। फिर 'मागरमाटी' और 'भमरी'[11] के नाम से भी चावल छोड़ते हैं। इसके बाद भोजन होता है और रात में करमा आदि नृत्य–गान का समारोह होता है। सुबह वर पक्ष के लोग अपने घर चले जाते हैं।

मंडप :– बारात के एक दिन पूर्व दोनों घरों में मड़वा गाड़ने का विधान होता है। गांव के सभी रिश्तेदार मंडप की लकड़ी काटने जाते हैं। पूर्व दिशा में स्थित जंगल से लकड़ी लाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले 'सुवासा'[12] चार पेड़ की लकड़ी काटता है। इसके बाद अन्य लोग सरई या डूमर की लकड़ी काटते हैं। सरई की पाँच लकड़ी और चार की एक लकड़ी काटी जाती है। पहले इनके यहॉ मंडप बॉस ही की लकड़ी का बनता था। केवल 'मंगरोहन'[13] व 'पिढ़िया'[14] 'सालय'[15] की लकड़ी की होती थी, किंतु अब बॉस उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त लकड़ियों

का प्रयोग किया जाने लगा है। मड़वा की लकड़ी घर लाकर बारी में खड़ा करके रख देते हैं। घर की ओर 'सुवासिन'[16] घर की मालकिन को आगे करके मॅड़वा की लकड़ियों की 'परछन' करती है। 'परछन' के समय हल्दी व पानी से लकड़ियों का पूजन होता है। इसके बाद सभी कन्याओं को टीका लगाया जाता है और सुवासिन के पीछे–पीछे सात बार मंडप की लकड़ियों की परिक्रमा करती हैं। फिर सुवासिन एक खेर खूंट यानी कोई भी एक लकड़ी 'खेरमाई' का नाम लेकर निकाल कर अलग फेंक देती है। फिर सब औरतें 'मागरमाटी'[17] लेने जाती हैं। 'परछन' हो जाने के बाद पुरूष आंगन में मंडप तैयार करते हैं। पहले बीच वाला खंभा सुवासा गाड़ता है फिर सब मिलकर मंडप तैयार करते हैं। बीच वाले खंभे से सटाकर 'चार' का 'मगरोहन' गाड़ा जाता है, जिसे सुवासा या 'दोसी' बनाता है। इसके पश्चात् मंडप के चारों ओर 'सुवासा' आम के पत्तों की वन्दनवार बांधता है।

मांगर–माटी :– मंड़वा के दिन घर की औरतें कुदाल, टोकरी लेकर गाती हुई मिट्टी लेने बारी में जाती हैं। पूर्व दिशा से मिट्टी लाना शुभ माना जाता है। माता व बहन मिट्टी खोदती हैं। जहॉ से मांगरमाटी लायी जाती है। उस स्थान पर आटा और हल्दी से चौकोर आकृति का चौक पूर देती हैं। मिट्टी खोदते समय औरतें गारी गाती हैं–

''भगिहे भगिहे सुआसिन बाई,
दरबर भैंसा आऊथैख करिया बरदा आऊथै।'' आदि–आदि

बारी से मिट्टी लाकर बीच वाले मड़वा के नीचे छाप देते हैं और कलश रखने के लिए बेदी बना देते हैं। कलश पर गोबर चिपकाकर रेखायें बनाते हैं। इन रेखाओं पर धान धूंची, जवा चिपका देते हैं। इस कलश को बारात के साथ लेकर जाते हैं। किसी–किसी जाति में एक छोटी सी 'सुअरगुड़ी'[18] बनती है। उसके बाद औरतें मड़वा के एक तरफ बैठकर पुरखों को निमंत्रण देने के लिए उनके नाम ले–लेकर गीत गाती है। फिर मड़वा के नीचे सुआसिन वर या वधु को हल्दी तेल चढ़ाती है।

लावा–भुंजाई :– सुआसा के साथ वर मंडप के नीचे लावा–भुनने का कार्य करता है। इसमें स्त्रियाँ बाधा डाती हैं। वे चूल्हें को बार–बार बुझा देती हैं। इस प्रथा में प्रतियोगिता की भावना दिखती है।

नहडोर :– सुआसा लड़के के पैर में पान के पत्ते से हल्दी डुबा–डुबार चिड़ियों के पॉव के सदृश्य आकृति बना देता है। औरतें इस अवसर के उपयुक्त गीत गाती हैं।

बारात :– दूसरे दिन बारात प्रस्थान करती है। बारात निकलने के पहले 'नडबाउड़' करते हैं। लड़के को हल्दी तेल चढ़ाया जाता है। लड़के को नहलाकर उसे नयी पीली धोती पहनायी जाती है। उसे सजाया जाता है। सफेद जामा, सिर पर पगड़ी के ऊपर 'मौर' पहनाया जाता है। 'मौर' कागज और बॉस का बनाया जाता है। सम्पन्न लोगों के यहॉ मोहर, हॅसुली हमेल या मूंगा पहना दिया जाता है। वर के हाथ में नया पंखा या सरौता रख दिया जाता है। इस अवसर पर वर को नये जूते पहनाने की प्रथा है। बारात प्रस्थान करते समय द्वार पर मॉ, बहनें टीका लगाती है। बाराती सिर पर पगड़ी और शरीर पर अच्छे वस्त्र धारण करते हैं। पनिका में वर को पालकी में बैठाकर वधु के घर जाने की प्रथा नहीं है। अपितु वह घोड़े पर अथवा पैदल ही जाता है। बारात शाम को लड़की के गॉव पहुचती है। पेड़ के नीचे जनवासा दिया जाता है। लड़की वाले आदर सत्कार के साथ बारात को जनवासे तक पहुंचा देते हैं। उस दिन लड़की वालों की ओर से न तो बारात की अगवानी होती है और न ही बारातियों को भोजन दिया जाता है।

अगमानू :– दूसरे दिन दोपहर के बाद अगमानू (आगमनी)[19] होती है। दोनों पक्षों के लोग खुले स्थान पर एक दूसरे से भेंट करते हैं। कन्या पक्ष के लोग खाट का हाथी बनाते हैं और हाथी की नाच दिखाते हैं। कभी–कभी लाठी, फरसा व तलवार का खेल भी दिखाते हैं। हाथी पर लड़की का भाई बैठता है। भेंट करते समय मशाल जलाते हैं। औरतें कलश पर दीपक रखकर नाचती गाती है। घराती[20] मजाक में बारातियों के कान उमेठते हैं। बाराती इसका बुरा नहीं मानते हैं। आगमनी के बाद द्वारचार की विधि संपन्न होती है।

पैंकी–भाजना :– वर नकली हाथी से उतरकर पहले लड़की के भाई साथ लकड़ी की तलवार से लड़ाई का अभिनय करता है। कुछ समय के बाद दोनों अपनी–अपनी तलवार किनारे टिकाकर रख देते हैं। फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद वर को मंडप के नीचे ले जाते हैं।

जोड़ी कर्म :– मंडप में वर–वधू एक दूसरे को लाई से मारते हैं फिर दूल्हा दौड़कर दुल्हन को पकड़ लेता है और उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाता है।

द्वार चार :– लड़की वाले के द्वार पर बाराती एकत्रित होते हैं। कन्या के माता–पिता लड़के को द्वारा पर 'लहकौर' खिलाते हैं।' 'लहकौर' में सोहारी रखी जाती है।

कनई छुलाना और खिचरी खाना :– जोड़ी–कर्म के बाद सुआसा दूल्हें से मंडप में लगे हुए हरे बॉस (कनई) का स्पर्श कराता है। कनई को औरतें छूने नहीं देती सुआसा उनको नेग देता है। तब वर कनई छू सकता है। कनई छूने के बाद वर लड़की के साथ खिचरी खाने जाता है। खिचरी में कोदई का भात या रोटी रहती है। इस अवसर पर लड़कियाँ दूल्हें को तंग करने की कोशिश करती है वे उससे पहेलियाँ पूछती है, दूल्हा उनका उत्तर देता है। सुआसा भी उसकी सहायता करता है न बताने पर लड़कियाँ दूल्हें को तंग करने की कोशिश करती हैं। वे उससे मजाक उड़ाती हैं। इसके बाद बारात जनवासे आ जाती है।

भॅवरी :– रात के दूसरे पहर के बाद कन्या पक्ष की ओर से बारातियों का बुलावा होता है। सभी बाराती आकर मंडप के नीचे बैठ जाते हैं। वर को मड़वा के सामने बैठाते हैं। लड़की के माता–पिता वर को टीका लगाते है। इसके बाद सुआसिन वधू को मंडप में ले आती हैं और वर के बायी ओर बैठा देती हैं। वर–वधु मंडप में हवन करते हैं। कन्या पक्ष के लोग वर–वधू का टीका कर न्यौछावर देते हैं। न्यौछावर दहेज का परिवर्तित रूप होता है। दहेज में साधारण बर्तन दिये जाते हैं। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं होता है। दहेज की विधि संपन्न हो के बाद भॉवर पड़ती है। भॉवर के समय वधू आगे व वर पीछे होता है। भॉवर में मंडप के मध्य स्थित बॉस की परिक्रमा होती है। भॉवर में वधू बहुत धीमी गति से चलती है। वर पैर की ठोकर से लड़की को आगे बढ़ने का संकेत देता है। इस अवसर पर भॉवरें केवल तीन या पॉच हुआ करती हैं सात नहीं। शेष भॉवरे बारात लौट आने पर वर के घर पूरी की जाती हैं। सात भॉवरें पूरी हो जाने पर विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद सायंकाल बारातियों को भोजन कराया जाता है। साकत 'पनिकाओं' में भोजन में बकरे का मांस शराब आवश्यक होता

है। रात में नाच–गाने का भी प्रबंध किया जाता है। स्वॉग बनाकर विभिन्न प्रकार से प्रहसन भी खेले जाते हैं।

बिदा :– दूसरे दिन प्रातः काल बारात बिदा होती है। उसी समय वर पक्ष और कन्या पक्ष के कलशों का परस्पर आदान–प्रदान होता है। बाद में यह कलश लड़के के सपूज्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। वधू की बिदाई हो जाती है। वधू जब ससुराल पहुंचती है, तब वर की माँ द्वार पर ही उसे अपने आंचल के नीचे लेकर अपनी लड़की के समान मानकर बधाई देती है।

परछन होने के बाद मंडप के नीचे वर–वधू को बैठाया जाता है और सब लोगों के द्वारा उनका टीका किया जाता है। इसके पश्चात् वर–वधू से शेष भॉवरे पूरी करायी जाती हैं। तब वर और वधू के हाथों के कंगन खोले जाते हैं। कंगन खोलने के पश्चात वधु को कुल देवता के कक्ष में ले जाया जाता है, वहॉ उसे दतौन करायी जाती है और पइला भरवाया जाता है। लड़ी पदूला भरती है और लड़का पईला गिराता है। इस समय परिवार और गांव की औरतें वधू को दुलार भरी गारी देती हैं। इसके पश्चात् वधू पहले अपने पति के चरण स्पर्श रती है और तदांतर घर के पूज्य लोगों के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करती है। पहली बार लड़की ससुराल के केंवल तीन या चार दिन रहती है। चौथे दिन कन्या के घर से चौथी आती है और वधू अपने मायके के लिए विदा की जाती है। इस बार वर वधू एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऐसी प्रथा है।

गमनचार :– जब वधू और वर दोनों सयाने हो जाते हैं तो उनके माता–पिता गौन की तिथि निश्चित करते हैं। निश्चित तिथि को वर पक्ष की बारात लड़की के यहॉ जाती है। बारात में केवल चार–पांच व्यक्ति ही होते हैं। इस बार बारात केवल एक रात लड़की के घर टिकती है। दूसरे दिन प्रातः काल लड़की विदा कर दी जाती है।

वर–वधू का प्रथम मिलन :– सुहागरात को वधु एक अलग कमरे में रहती है। जब घर के सभी लोग खा–पीकर सो जाते हैं तो भाभियों की सहायता से वर को वधू के पास पहुॅचाया जाता है। कुछ दिनों तक तो स्वाभाविक लज्जा के कारण वर वधू उन्मुक्त रूप से एक दूसरे से नहीं मिल पाते, परन्तु बाद में वधू मुक्त रूप में पति से मिलती है। श्रम जीवी होने के कारण उनका साहचर्य अत्यन्त स्वाभाविक और आवश्यक भी है।

रमन या पठौनी चार :– गौने के बाद वधू ससुराल में थोड़े ही दिन रह पाती है। उसके बाद मायके के लोग उसे विदा करा ले जाते हैं। इस प्रवास में लगभग तीन–चार महीने वह मायके में रहती है। फिर ससुर या जेठ उसे विदा कराने जाते हैं। वहाॅ वे दो–तीन रूकते हैं। वधू को कुछ वस्त्र–टोकरी व अन्न देकर बिदा कर दिया जाता है। इसे पठौनी कहते हैं। इसके बाद वधू आने जाने लगती है और किसी विशेष विधि अथवा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रह जाती।

विवाह के बाजे (वाद्ययंत्र) :– आदिवासियों में विवाह के अवसर पर बाजा ले जाना बड़े महत्व की बात मानी जाती है। पुष्पराजगढ़ तहसील और भीतरी भागों में स्थित ग्रामों में नगरिया, ढपला या दूसरे प्रकार के बाजे नहीं मिलते हैं।

मरण संस्कार

मृत्यु संबंधी विश्वास :– पनिका जनजाति में मृत्यु के संबंध में यह धारणा व्याप्त है कि मनुष्य एक विशेष अवधि के लिए इस धरती पर आता है चरता खाता है और वृद्ध होकर चल बसता है। प्राण हरण करने वाली शक्ति प्रेत है। अशुभ देवियों एवं प्रेतों के रूष्ट होने पर बालकों एवं युवकों की मृत्यु होती है। बड़कादेव जब तक जिसको संसार में रखना चाहता है, तभी तक वह रहता है। दिन पूरा हो जाने के बाद सबको इस असार–संसार से जाना पड़ता है। जब मनुष्य का चेहरा विवर्ण हो जाता है, तब आदिवासियों को अनुमान हो जाता है कि अब यह आदमी बचने वाला नही है। यमदूत प्राण लेने आ गया है। वृद्ध के मरने पर इन्हें विशेष दुःख नहीं होता क्योंकि ये जानते हैं कि वह अपने जीवन का संपूर्ण उपभोग कर चुका है और अब उसका इस धरती पर रहना व्यर्थ ही था। मनुष्य धूल से ही पैदा होता है और धूल में ही मिल जाता है। इस शरीर को अन्न भगवान, जल भगवान और अग्नि भगवान पाल रहे हैं और जब तक पिंजड़े में सुआ (प्राण) है, तभी तक वह बोल रहा है। पुनर्जन्म में इनका विश्वास नहीं है। हाँ, आंशिक रूप से इनकी ऐसी मौलिक मान्यता है कि कभी–कभी विशेष ममता रखने वाला व्यक्ति पुनः उसी परिवार में जन्म लेता है। इन के यहाॅ यह भी विश्वास प्रचलित है कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपनी 'देवगुड़ी' के थान में जाकर मिल जाता है।

अन्त्येष्टि क्रिया :– दूध पीते बच्चे के मरने पर उसे श्मशान में गाड़ दिया जाता है। वयः प्राप्त व्यक्ति के मरने के पूर्व उसे पानी और शराब देते हैं। इनके यहॉ शव के मुॅह में चॉदी का एक कण डालते हैं। मृतक जिस खाट पर मरता है, उसी पर उसको रहने देते हैं। उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नया पकड़ा पहनाते हैं। नये वस्त्र के अर्द्ध भाग से मृतक के सारे शरीर को ढक दिया जाता है। मृतक के परिवार से संबंधित चार व्यक्ति चारपाई में कंधा लगाकर मरघट तक ले जाते हैं। मरघट पहुॅचने तक ये कंधा नहीं बदलते। शव–यात्रा में गांव के लोग और रिश्तेदार रहते हैं। शव मरघट पर ले जाते समय से बिल्कुल शांत रहते हैं। मरघट में पहुॅचकर लोग लकड़ी इकट्ठी करते हैं। शव के साथ आने वाले लोग भी अपने साथ एक–दो लकड़ी ले आते हैं। शव के सिर के उत्तर तथा पैर को दक्षिण की ओर करके कमर भर ऊंची बनी लकड़ी की चिता पर खाट सहित रखा देते हैं। ऐसा करने के पूर्व शव को एक दोहनी पानी से स्नान कराया जाता है। मृतक का लड़का या नाती कण्डे की आग से चिता में अग्नि देता हैं। चिता जलने के एक घण्टे बाद तक लोग वहीं खड़े देखते रहते हैं। जब आग चिता के सब ओर लग जाती है, जब सब लोग नदी में स्नान करते हैं। फिर मृतक के घर जाकर कुछ देर बैठते हैं तथा मृतक के घर के प्राणियों को संबोध (धैर्य) देते हैं। दाग देने वाला व्यक्ति नये वस्त्र धारण करता है अथवा अस्पृश्य समझा जाता है। उसे तीन दिन तक जमीन पर सोना पड़ता और उसके हाथ की कोई भी चीज लोग नहीं खाते।

फूल विसर्जन :– पहले फूल विसर्जन करने की प्रथा नहीं थी। शव का अवशेष श्मशान में ही छोड़ दिया जाता था। इनके यहॉ तीसरे दिन राख इकट्ठा करके उसमें नमक मिला देते हैं ताकि पशु उस राख को खा लें। आर्य विधि के प्रभाव के कारण अब कहीं–कहीं फूल–विसर्जन की क्रिया संपन्न की जाने लगी है। तीन दिन के बाद गॉव के लोग चिता की राख को ले जाकर किसी नदी में डाल देते हैं। यह राख बॅधे जलाशयों में नहीं डाली जाती। संपन्न पनिका लोग राख का कुछ अंश सुरक्षित रख लेते हैं। बाद में सुविधानुसार किसी पुण्य तिथि पर उसे गंगा नदी में भी प्रवाहित कर लेते हैं। राख ठण्डी होने के पश्चात लोग स्थान करके वापस कर आते हैं तथा मृतक के दुखी परिवार को सांत्वना देते

हैं। उसी दिन दाग देने वाला व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। सब लोग उसके घर भोजन करते हैं। दाग देने वाले व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराया जाता है। उसी दिन घर की सफाई तथा पुताई की जाती है। भोजनोपरांत नाते–रिश्तेदार अपने घर आते समय सन्तप्त परिवार के लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं– ''दाऊ आपन काम–धाम का देखड़ दुखी होइसे न बनी।''

दसौं कर्म :– दसवें दिन दूर–दूर के नाते–रिश्तेदार फिर से आते हैं। मृतक के घर में सब का भोजन बनता है। रिश्तेदार सहानुभूति प्रदर्शन के लिए अपने साथ भोजन सामग्री ले आते हैं। इनके यहां दसवें दिन दाग देने वाले का मुंडन होता है। घर के अन्य प्राणी भी मुंडन कराते हैं। छोटा लड़का मरने पर भी दसवें दिन सभी मुंडन कराते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसे अवसर पर बिरादरी को भोजन करा देने से मृतक की आत्मा इस संसार से मुक्त हो जाती है। इस दिन घर के लोग तथा सगे संबंधी मुंडन कराके नदी या तालाब में स्नान करने जाते हैं। इसके बाद घर की पुरानी हंडिया तलैया बाहर फेंक देते हैं और नई हंडिया–तलैया मंगाते हैं। घर की पुनः लिपाई–पुताई होती है। मृतक के लिए भोजन का अंश अलग नहीं किया जाता। केवल यह नियम है कि जिसने अग्नि संस्कार (दाह–कर्म) किया है, उसे सबसे पहले भोजन कराया जाता है। साकत पनिकाओं में भोजन के पूर्व शराब के पूर्व पुरूषों की तृप्ति की जाती है अर्थात् पूर्व पुरूषों का स्मरण करके आंगन में शराब का तर्पण करते हैं। इसे ये लोग 'मान–सम्मान' कहते हैं। सबसे पहले दाग देने वाले को आदरपूर्वक शराब पिलाई जाती है। उसके बाद अन्य लोग शराब पीते हैं। तर्पण के पश्चात भोजन होता है। भोजन में दाल, भात, बरा, सोहारी तथा बकरे के मांस की व्यवस्था की जाती है। बकरा कई रिश्तेदार मिलकर खरीदते हैं। इस बकरे को बीसर कहते हैं।

पगबन्धी या वर्षीकर्म :– इसके बाद मृत आत्मा की शांति के लिए पगबन्धी कर्म होता है जिसे ये लोग 'वर्षी' कहते हैं। ग्यारहवें दिन सबेरे रिश्तेदारों को दाल–भात का कलेवा दिया जाता है। दस बजे के भीतर घर के सब लोग और मेहमान ऑगन में बैठते हैं। यदि मृतक पुरूष रहा है तो रिश्तेदार उसके लिए पगड़ी लाते हैं। और यदि स्त्री की मृत्यू हुई है तो उसके लिए धोती या नकद रूपया लाते हैं। इसके पश्चात्

जिसने मृतक को आग दी है, उसको ऑगन में बैठाते हैं और उसे पगड़ी पहनाते हैं अथवा यदि धोतियॉ लाये हैं तो उसके देते है। इसके पश्चात् तर्पण करके पुनः शराब पीते है। पठारी (बिरतिया) को मृतक के उपभोग में आने वाले वस्तुये तत्काल उसको दान कर दी जाती हैं। ऐसा प्रेतात्मा से बचाव के लिए किया जाता है क्योकि इनका विश्वास है कि प्रेतात्मा मृतक की वस्तुओं में निवास कर सकती है।

पठारी के पद की वस्तुयें :– (1) पुरूष की मृत्यु पर उसके आधे अंग के गहने जैसा जूता ओर लुरकी एक अंगौछी, सवा रूपया हसिया, थाली, लोटा आदि पठारी को दिया जाता है।

(2) स्त्री को मृत्यू पर स्त्री के सब वस्त्र पठारी को दिये जाते हैं। समर्थ लोग स्त्री के आधे अंग के सब गहने पठारी को दे देते हैं। गरीब लोग इस निमित्त केवल सवा रूपया ही देते हैं।

दुःख बिसरावन :– साकत पनिकाओ में मृत्यू के ग्यारहवे दिन रात्रि में पुनः शराब पीकर दुःख बिसरावन करमा गीत गाये जाते हैं। ताकि मृतक के घर के प्राणी अपने दुःख को भुला सकें। इस अवसर पर गाये जाने वाले करमा गीतों में जीवन की नश्वरता का उल्लेख और संतोष का उपदेश निहित होता है। उदाहरण अधोलिखित हैं–

जिउ हरा दाई, जिउ हरा बाबा, सब हैं लोग परिवार।
बजगरी भैया बजादे, नाच लेउ न दोहरी तार।
कोले परौ दिन मरहर जाये खाइ ले पी ले।
लइ ले, दइ ले, मारे दुलुभ संसार। बजगरी.................

सन्दर्भ सूची

1. 'बड़का इलाज' बनसेमी की जड़, बिजई बरन की जड़, सनपाड़र की जड़ जोगीलटी की जड़, बजरगांठ की जड़, गुद्धी की जड़ की छाल, पहरोइन की जड़ की जड़ की छाल को धोकर, कूट–पीटकर, रस निचोड़कर छान लिया जाता है। फिर कड़छुल गरम करके उससे इस छने हुए रस को छौंक कर बनाया जाता है।
2. मूंग की तरह की एक दाल। आध सेर पानी में एक पाव दाल मिलाकर पकायी जाती है, फिर उसमें नमक मिले हल्दी डालते हैं। इसके पश्चात् घी और लहसुन से छौंककर उसे औषधि के रूप में प्रसूता को पिलाया जाता है।

3. ''तेरा नाम और यश बढ़े, तू जीवन भर प्रसन्न रहे। ईश्वर तुझे स्वस्थ रखे।''
4. ''तेरा नाम और यश बढ़े, तू जीवन भर प्रसन्न रहे। ईश्वर तुझे स्वस्थ रखे।''
5. दसो बाजे बजते हुए आते हैं, इंद्र उन्हें बजाता है। बुआ सुभद्रा नाचती हैं, सखियॉ सोहर गाती है। किस छुरे से नारद नारा काटते हैं, किस सैया पर उसको लिटाते हैं? सोने के छुरे से नारद नारा काटते है, खप्पर में शिशु को स्नान कराते हैं। रेशम के तौलिये से राम शिशु को पोछते है और सिंहासन पर लिटाते है।
6. (2) सूपा
7. (3) लिटाया
8. कुरई का नाप अलग–अलग स्थानों में विभिन्न मात्रा की होती है। कोतमा क्षेत्र में वह नाप ढाई सेर की होती है और अनूपपुर से पश्चिम में चार सेर की मानी जाती है।
9. ज्योतिषी का अपभ्रंश शब्द।
10. कर्मकाण्ड का विशेषज्ञ।
11. भांवर
12. जीजा।
13. मण्डप के मध्य में रखी जाने वाली लकड़ी।
14. पीढ़ा।
15. साल।
16. बहिन।
17. तालाब या बाग की पट्टी
18. सुअर के नाम का छोटा सा कलशा।
19. लड़की वालों के द्वारा वर की बारात की अभ्यर्थना या स्वागत की पद्धति।
20. साकत पनिकाओं में लड़की पक्ष के लोग।

ज्योति पाण्डे

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग

डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

शास्त्रीय संगीत में पाश्चात्य स्वर सप्तक

– जया मिश्रा

संगीत के सात स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव वैदिक काल से माना जाता है। जहां संगीत काल दर काल विकास प्रक्रिया से गुजरता हुआ आज की स्थिति में आ पहुंचा है। भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशोंके सांगीतिक इतिहास को जब हम देखते हैं तो प्रायः सभी देशों में सांगीतिक विकास क्रमानुसार ही हुआ। जहां तक भारतीय संगीत का प्रश्न है इस सन्दर्भ में कुछ एक तथ्य हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। प्राचीनकालीन सामगान तीन स्वरों का ही हुआ करता था जो आर्थिक सगीत, गार्थिक संगीत और सामगान के रूप में प्राप्त होता है। विद्वानों में ऐसी मान्यता है कि सामगान के तीन स्वर अवरोही क्रम में –ग रे स इस प्रकार हुआ करता था। कालान्तर में नारद ने अवरोही क्रम में नी ध प एवं म इन चार स्वरों को जोड़ते हुए सामगान की परम्परा को एक सप्तक का रूप प्रदान किया।

विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक यूनानी संस्कृति में 'ओर्कियस' (एक प्राचीन संगीतज्ञ) का वर्णन मिलता है। जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके वाद्य में केवल तीन स्वर ही उत्पन्न होते थे। ये तीन स्वर हैं– स म प। कुछ समय पश्चात तार षडज के लिए भी वाद्य में व्यवस्था की गई। विकास की गति में 'टरवेन्टर' नामक एक अन्य संगीतज्ञ ने षडज पंचम भाव के आधार पर 'रे प ध' स्वरों की व्यवस्था की। कालान्तर में पाइथागोरस नामक संगीत वैज्ञानिक ने 'ग' एवं 'नी' स्वरों की भी व्यवस्था करते हुए सप्तक को पूर्ण स्वरूप प्रदान किया जो पाश्चात्य संगीत में आक्टेव के नाम से जाना जाता है।

चाहे भरतीय संगीत हो या विश्व के अन्य किसी देश का संगीत सप्तक का विकास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के दौरान आवश्यकता के अनुरूप संगीत विकास की देन है। विश्व के सभी देशों के शुद्ध स्वर सप्तकों का अध्ययन करने के उपरान्त संगीत में स्वर सप्तक के निम्न दस रूप हमें प्राप्त होते हैं

1. नेचुरल स्केल
2. पाइथागोरियन स्केल

6. माइनर स्केल
7. पेन्टाटोनिक स्केल

3. डायटोनिक स्केल
4. क्रोमेटिक स्केल
5. मेजर स्केल
8. हेक्साटोनिक स्केल
9. हेक्टाटोनिक स्केल
10. टेम्पर्ड स्केल

1. नेचुरल स्केल – किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति और सांगीतिक रूचि के अनुसार मधुरता क्रम से स्वरों को व्यवस्थित करते हुए जब सप्तक का निर्णय निर्माण किया जाता है उसे नेचुरल स्केल कहते हैं। नेचुरल स्केल के निर्माण में देश की सभ्यता संस्कृति के साथ–साथ उस देश की धार्मिक विचारों का भी प्रभाव पड़ता है।

भारतीय और पाश्चात्य संगीत में प्राचीन स्वर सप्तक की तुलना इस प्रकार की जा सकती है –

भारतीय स्वर सप्तक	पाश्चात्य स्वर सप्तक
स– 240	स– 240
रे– 270	रे – 270
ग– 307 (17/43)	ग – 300
म – 320	म – 320
प – 360	प – 360
ध – 405	ध – 400
नि – 452 (4/93)	नि – 450
स – 480	स – 480

उपरोक्त विवरण से दोनों पद्धतियों में कुछ स्वरों में समानता व कुछ में असमानता प्रतीत होती है जो अनन्त श्रुतियों से चुनी गयी सांगीतिक अभिरूचि के अनुसार स्वरों की व्यवस्था का ही प्रतिफल हे जो प्राचीन स्वर सप्तक की समानता भिन्नता को स्थापित करती है।

2. पाइथागोरियन स्केल – 16वीं सदी में प्रसिद्ध संगीतज्ञ और गणितज्ञ पाइथागोरस ने अपने गणितीय सिद्धांतों के अनुसार जिस स्वर सप्तक की रचना की गयी वह पाइथागोरियन स्केल कहलाती है। जिन दो सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने इस सप्तक की रचना की वो इस प्रकार है – अष्टक सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वाद्य में 2:1 के क्रम में बांधी जाय तो बड़े वाले हिस्से से जो स्वर हमें प्राप्त होता है उसका आठवां स्वर तार के पहले स्वर में मिलेगा –

1 2

स ———————————————— स

जबकि पंचम के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वाद्य में कोई तार इस प्रकार बांधा जाए कि वह 3:2 के क्रम में बंधा हो तो इस स्थिति में तार के बड़े हिस्से से जो प्राप्त होता है, तार के छोटे वाले हिस्से के प्रारम्भ में ही उसका पांचवां स्वर प्राप्त होगा –

1 2 3 प

————————————————

स स

इन्ही दो सिद्धांतों के अनुसार सप्तक के अन्य प्रमुख स्वरों को भी ढूंढ निकाला और इसी तरह हमें पाइथागोरियन स्केल प्राप्त हुआ।

3. डायोटोनिक स्केल – जिस स्वर सप्तक में दो प्रकार के टोन का प्रयोग किया जाता है उसे डायोटोनिक स्केल कहते हैं। शाब्दिक परिभाषा से विभिन्न विद्वानों में ऐसी मान्यता है जब किसी स्वर सप्तक में दो सेमीटोन का प्रयोग किया जाता है तो उसे डायोटोनिक स्केल कहा जाता है।

इस स्वर सप्तक में स्वरों को आपसी अन्तराल के अनुपात के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और इसका सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि किन्ही दो स्वरों के बीच यदि एक ही स्वर की आन्दोलन संख्या ज्ञात हो तो आनुपातिक सम्बन्ध से दूसरे स्वर की आन्दोलन संख्या ज्ञात कर सकते हैं।

4. क्रोमेटिक स्केल – जब सप्तक के सभी स्वरों का समावेश कर लिया जाता है अर्थात् जब किसी स्वर सप्तक की रचना में उसके अन्तर्गत निहित सभी स्वरों को समावेशित कर लिया जाता है तो इसे क्रोमेटिक स्केल कहते हैं। क्रोमेटिक का शाब्दिक अर्थ है – चमकीला रंग। इसकी रचना सभी स्वरों की आवश्यकता और उपयोगिता को देखते हुए ही विद्वानों ने इसका नाम क्रोमेटिक स्केल रखा। ये स्केल पाश्चात्य संगीत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पाश्चात्य संगीत में वृन्द वाद्य की रचना प्रस्तुति में इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वहां प्रत्येक स्वर का आपसी अन्तर बराबर होता है जो सेमीटोन के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार

सप्तक की मदद से वाद्य वृन्द की रचनाओं में अलग–अलग स्वरों को ही आधार मानते हुए पूरी रचना की जाती है।

5. मेजर स्केल – सात शुद्ध स्वरों के सप्तक को मेजर स्केल कहा जाता है। जैसे– C D E F G A B (स रे ग म प ध नी)

जब इन सात स्वरों को क्रमानुसार स्थापित करते हैं तो इसके अन्त में तार स को जोड़कर अष्टक बनाया जाता है। इसी स्थिति को मेजर स्केल कहते हैं।

शुद्ध स्वर सप्तक की रचना के बाद चूंकि पाश्चात्य संगीत में समूह गान की परम्परा प्रचलित है वहां एक साथ कई स्वर अथवा कई वाद्य को बजाया जाता है। अलग–अलग स्वरों को आधार स्वर मानने में कई कठिनाइयां सामने आईं। इसलिए विद्वानों ने इसका हल निकाला कि यदि स स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वर को आधार मानकर मेजर स्केल का प्रदर्शन किया जाए तो उस स्थिति में इसका नाम 'मेजर स्केल इन द की आफ फिफ्थ' रखा इसी प्रकार यदि चौथे स्वर मध्यम में आधार मानेंगे तो इसे – मेजर स्केल इन द की आफ फोर्थ' कहेंगे। इसी नाम करण के सहयोग से समूह गान व वृन्द वादन में कार्ड्स के प्रयोग में मेजर स्केल की सहज उपलब्धि होने लगी और तकनीकी कठिनाई भी दूर हो गयी।

6. माइनर स्केल – पाश्चात्य संगीत का स जिसे हम नेचुरल सी के नाम से जानते हैं जो हिन्दुस्तानी संगीत के परिप्रेक्ष्य में हारमोनियम के पहले सफेद पर्दे के समान है इसे नेचुरल सी के धैवत को अधार मानकर जब सातों स्वर उत्पादित किए जाते हैं तो इन्हें माइनर स्केल की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य यह है कि 'मेजर स्केल इन द की आफ सिक्सथ' के अनुसार जो सात स्वर प्राप्त होते हैं वह माइनर स्केल है –

C D E F G A B (स रे ग म प ध नी)

माइनर स्केल के तीन प्रकार हैं –

नेचुरल माइनर स्केल, हारमोनिक माइनर स्केल तथा मेलेटिक माइनर स्केल।

अ. नेचुरल माइनर स्केल – दूसरे तथा तीसरे स्वर के मध्य और पांचवें व छठवें स्वर के बीच में एक सेमीटोन और शेष स्वरों के मध्य टोन हो तो उसे नेचुरल माइनर स्केल कहते हैं।

ब. हारमोनिक माइनर स्केल – जब माइनर स्केल की स्वर व्यवस्था में धैवत तथा निषाद स्वरों के बीच का अन्तराल जो एक टोन के बराबर होता है उसे एक सेमी टोन और बढ़ा देने पर माइनर स्केल का जो स्वर प्राप्त होता है उसे हारमोनिक माइनर स्केल कहते हैं।

स. मेलोडिक माइनर स्केल – जब माइनर स्केल की मूल स्वर व्यवस्था में केवल आरोह क्रम में धैवत और निषाद को एक सेमी टोन बढ़ाते हुए उच्च स्थान पर स्थापित करते हैं तो हमें मैलोडिक माइनर स्केल की स्वर व्यवस्था प्राप्त होती है।

7. पेन्टाटोनिक स्केल – जिस स्वर सप्तक में पांच स्वरों का प्रयोग किया जाता है। वो पेन्टाटोनिक स्केल कहे जाते हैं। कुछ देशों में अभी भी उनका शुद्ध स्वर सप्तक पांच स्वरों का है जो भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में स रे ग म प ध या स रे ग प ध स्वरों से साम्य रखती है। भारतीय संगीत में इसे औडव जाति का मानते हैं।

8. हेक्साटोनिक स्केल– जिस स्वर सप्तक में केवल छह स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जो भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में षाडव जाति के नाम से जाने जाते हैं।

9. हक्टाटोनिक स्केल – जब किसी सांगीतिक समूह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वह हैक्टाटोनिक स्केल के अन्तर्गत आते हैं। विश्व के कई देशों में इस प्रकार का स्केल प्रचलित है। ये स्केल भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जाति के समतुल्य है। भारतीय संगीत में 10 थाट और अनेक राग इसी पर अधारित है।

10. टेम्पर्ड स्केल – इस स्वर सप्तक की रचना पाश्चात्य संगीत में की गई है। जहां सप्तक के 12 स्वरों को बराबर–बराबर अन्तराल पर स्थापित करते हुए स्वर सप्तक की रचना की गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे लम्बाई मापने के पैमाने एक फुट को 12 इंच के बराबर हिस्से में बांटा गया है। एक मत के अनुसार टेम्पर्ड स्केल की रचना प्रो0 जे.एच. बैक ने किया जिनके अनुसार सप्तक में षडज, पंचम भाव या षडज मध्यम भाव से स्वर स्थापित करते समय जो अन्तराल प्राप्त होता है उसे पूरे सप्तक में समान रूप से वितरित करके ही सप्त की रचना हुई।

चूंकि इस सप्तक में सभी स्वर समान अन्तराल पर स्थापित रहते हैं इसलिए इसे इक्वली टम्पर्ड स्केल भी कहते हैं जिसका लाभ पाश्चात्य

संगीत में वाद्यवृन्द की रचनाओं में प्राप्त होता है। जैसे किसी स्वर को आधार स्वर मानते हुए स्वर सप्तक बना लिया जाए तथा जिसके अनुसार गायन अथवा वादन की क्रिया हरमोनी और कार्ड्स के आधार पर निर्विघ्न रूप से जारी रह सके।

इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से आज तक अनेक सप्तकों का निर्माण हुआ। इनमें से अनेक प्रचलित हुए और अनेक नष्ट हो गए। आज विश्व के अधिकांश देशों में जिस सप्तक का प्रचलन है वह इक्वली टैम्पर्ड स्केल ही है। इसका सकसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी स्वर को षडज मानकर गायन अथवा वादन किया जा सकता है।

संदर्भ :

1- प्रो0 शर्मा, स्वतंत्र –पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।

2- भातखण्डे, उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, अनुवादक–अरुण कुमार सेन, संगीत कार्यालय हाथरस (उ0प्र0), मई, 1974

3- कपूर तृप्त, उत्तरी भारत में संगीत शिक्षा– हरमन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1989

4- डॉ. परांजपे शरतचन्द्र श्रीधर, संगीत बोध– मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, द्वितीय संस्करण, 1980

5- भातखण्डे, संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, अनु0 भगवतशरण शर्मा, संगीत कार्यालय, हाथरस, 1972।

डॉ. जया मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत विभाग

नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

ISSN-2319-9997 / Volume: II / Issue: 1 & 2 / Year: 2013

शास्त्रीय गाायन में तबले का विविधात्मक प्रयोग

– नीतू पाण्डेय

भारतीय संगीत में वाद्यों की परम्परा बहुत प्राचीन है। यहाँ समय–समय पर अनेक वाद्यों ने जन्म लिया और संगीत को स्वर, लय और ताल द्वारा सुशोभित किया है। संगीत मनीषियों ने वाद्यों को उनके प्रयोग व भौतिक गुणों के आधार पर चतुर्दिक प्रकारों में वर्गीकृत किया है– तत, अवनद्ध, सुषिर और घन। इन प्रकारों में से तत व सुषिर प्रकार स्वर वाद्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं, वहीं अवनद्ध और घन प्रकारों को लय–ताल वाद्यों के श्रेणी प्रदान की गई है।

अवनद्ध वाद्यों के वर्तमान प्रचलित रूपों में मुख्य रूप से पखावज, तबला, ढोलक, ढोल, नक्कारा, दुक्कड़ आदि वाद्यों के नाम लिए जाते हैं। किन्तु उपर्युक्त सभी अवनद्ध वाद्यों में जो स्थान वर्तमान में तबला ने प्राप्त किया है, वह और किसी को न मिल सका। वर्तमान काल में तबला वाद्य संगीत की लगभग सभी विधाओं के साथ बहुलता से प्रयुक्त होने वाले अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में आ गया है।

आज देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित मंचों पर तबला वाद्य का वादन देखने और सुनने को मिल जाता है। यह तबला वाद्य और इसके वादकों का सौभाग्य है कि आज यह वाद्य विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के साथ ही साथ शोध के विषय के रूप में भी स्वीकृत हो चुका है। इस वाद्य की निरन्तर प्रगति संगीत के साथ संगति के वाद्यों के लिए भी शुभ संकेत है। इस प्रकार इसके विविधात्मक प्रयोग हमें शास्त्रीय गायन की विधाओं के साथ–संगति और अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं–

संगति वाद्य के रूप में– वाद्यों के द्वारा संगीत की विभिन्न विधाओं के साथ संगति बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है। संगति वाद्यों में मुख्य रूप से हम पखावज, ढोल, ढोलक, नगाड़ा, ताशा, दुक्कड़, डमरू, तबला आदि अवनद्ध वाद्यों को रख सकते हैं। उपर्युक्त वाद्यों में से तबला वाद्य के द्वारा संगति आज बहुत प्रचलित एवं सर्वसुलभ हो गई है।[1]

तबला वाद्य में विशेष टोनल गुणों के होने के कारण इसका प्रयोग सभी प्रकार के गायन, वादन व नृत्य के साथ बखूबी किया जा सकता है।

शास्त्रीय गायन और उसके विभिन्न रूपों के साथ तबला संगति– शास्त्रीय गायन से हमारा अभिप्राय भारतीय संगीत के ऐसे गायन प्रकारों से है, जिनका भली प्रकार से शास्त्र और गाने की विधि आदि विज्ञजनों द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत जिन गायन प्रकारों और कालखण्डों को शामिल किया गया है, वो इस प्रकार हैं–

1. आलापी ख्याल–बंदिश पूर्व के आभाव में तबला–वादक को कुछ भी बजाना नहीं होता है, किन्तु वह गायन कला का रसिक हो, यह अपेक्षा होती है। इसलिए श्रोताओं की तरह उसे भी वह आलापी मनःपूर्वक और रसिकता के साथ सुननी चाहिए और चेहरे के भावों एवं संयमित शारीरिक (अंग–विक्षेपों) में उस आलापी के अनुरूप दाद देनी चाहिए।[2] इस क्रिया के द्वारा वह मुख्य कलाकार का मनोबल तो बढ़ाता तो है ही साथ ही संगतकार के गायन सम्बन्धी ज्ञान की परख भी हो जाती है।

ख्याल गायन के साथ अनिवार्य रूप से तबला की संगति की जाती है। ख्याल गायन के दो प्रकार हैं– प्रथम बड़ा ख्याल या विलम्बित ख्याल तथा दूसरा छोटा ख्याल या द्रुत ख्याल। विलम्बिति ख्याल अति विलम्बित लय में गाया जाता है। इसके साथ प्रयुक्त होने वाली तालों में मुख्यतः एकताल, झूमराताल, तिलवाड़ा तालों का प्रयोग होता है। द्रुत ख्याल मध्य लय में गाया जाता है। द्रुत ख्याल के साथ तीनताल, रूपक ताल, झपताल, आड़ाचारताल आदि तालों का वादन किया जाता है।

2. बंदिश का प्रस्तुतीकरण, उसके आलाप एवं बोल– शास्त्रीय गायन की संगति करते समय विलम्बित लय में ठेका धारण करने पर धीमी लय में वज़नदार ठेके द्वारा ही भराव किया जाता है। इसके लिए अत्यंत सुरीले रूप में मिलाए हुए तबले पर अपेक्षित लय में ठेका पकड़कर, पहले दो आवर्तनों में मूलभूत लय को गायक की अपेक्षानुसार पक्का कर लिया जाए और बंदिश का मुख का कितनी मात्राओं का है यह मन में जांचकर आगे ठेका बजाना चालू रखा जाए।[3]

3. बेहलावें, बोलतानें एवं प्राथमिक तान प्रक्रिया–यहाँ लय अच्छी तरह स्थापित हुई होने से और गायक के लयकारी के प्रदेश में प्रवेश किए जाने के कारण, उक्त प्रस्तुत की गई लय में अनुरूप 'पेशकार' रचना के

प्राथमिक शब्द–प्रयोगों की सहायता से ठेका भरी की जाए और तत्सम् शब्द प्रयोगों से बंदिश के मुखड़े के अनुरूप शब्दों की मदद से सम् पर आ जाए। यहाँ सम पर आते समय धीमी लय में तिहाई का एकाध टुक्ड़ा बजाने में कोई हर्ज नहीं है।

4. **बोलतान**–गायन के ताल और लय के पक्के पन को ध्यान में रखकर निम्नांकित दो प्रकारों के साथ संगत की जा सकती है–

- यदि गायक लयकारी युक्त तान ले रहा हो तो उसके अनुरूप शब्दों के समानान्तर लयकारी में गायक के साथ 2–4 मात्राएं बजाई जाएं और उसी शैली में गायक के साथ सम पर आ जाएं।
- गायक जब लयकारी युक्त बोलतान ले रहा हो तो उस समय वजनदार ठेका चालू रखा जाए और उसकी तान समाप्त होने पर, जब वह विश्राम लेता है, तब उस लय के मुताबिक सुयोग्य शब्द रचना द्वारा 2–4 मात्राएं भर के संगत की जाए, जिससे गायक द्वारा की गई तानक्रिया का एहसास श्रोताओं को हो जाए। उपर्युक्त दोनों प्रकारों में एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि यह बजाना गायक को पसन्द है या नहीं, यह आजमाया जाना चाहिए। विशेषतः यदि गायक लय का कच्चा हो, तो ऐसा वादन टाला जाए।[4]

5. **मध्य–लय की बंदिश**–इस बंदिश के साथ ठेका पकड़ते समय ताल की लय का पूरा अंदाज़ा आया हो तो तबला–वादक को चाहिए कि वह दो एक आवर्तनों का एक सुंदर टुकड़ा बजाते हुए तिहाई लेकर सम पर आए। यह टुकड़ा मध्य लय की बंदिश के मुखड़े के अनुरूप हो, महफिल में एकदम चैतन्य पैदा होता है। यहाँ ठेका वज़नदार होना चाहिए तथा बाएं पर नाजुक चाट की सहायता से ठेके में आवश्यकतानुसार छोटा–मोटा फ़र्क करके बंदिश की प्रस्तुतिकरण में रंगत लाई जाए।[5]

6. **द्रुत गति का गायन (तराना)**–तराना गायन प्रायः द्रुत लय में होता है। अतः यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेका अत्यंत स्वच्छ, वज़नदार एवं द्रुत गति से बजाया जाए, जिससे कि गाने का श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़े। तरानों की संगति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ततकालीन सूझ–बूझ एवं पूर्व में किए गए अभ्यास से होती है। परिस्थिति के अनुसार टुकड़े बजाने में कोई हर्ज नहीं है।[6]

तराना के साथ शुद्ध वज़नदार ठेका बजना चाहिए और चुंकि तराना में तबला और पखावज के बोलों का भी समावेश होता है, अतः यदि बोल याद हों या तात्कालिक सूझ–बूझ से तबला संगतकार उन बोलों को हू–ब–हू बजा सके तो इसका प्रभाव श्रोताओं पर अच्छा पड़ता है। भराव द्वारा की गई संगति में चमत्कारिकता भी प्रदर्शित होती है।[7]

7. उपशास्त्रीय संगीत–ख्याल गायन में सर्वसाधारण शान्त रस और किंचित करुण रस पैदा करना गायक का लक्ष्य होता है। जबकि ठुमरी, गजल, दादरा आदि के गायन में विशेषतः श्रृंगार, करुण और कभी–कभी शान्त रस पैदा हो, यह गायक की अपेक्षा होती है। गायक का यह उद्दीष्ट अच्छी तरह साध्य हो इसी उद्देश्य से तबले पर साथ–संगत करना आवश्यक है। इसलिए इस संगीत में अत्यन्त नाजुक चांट और वजनदार घुमारे के बाएं का उपयोग अपेक्षित होता है। बाएं पर के दबाव–घिंसाव के जरिए ठेके की गति में विविध प्रकारों द्वारा उचित परिणाम साध लिया जाए। 'कि' अक्षर बजाते समय उसे यथा आवश्यक फैले हुए पंजे से न बजाकर बन्द मुट्ठी से या चुटकी से बजाया जाए, तो वह श्रृंगार रस के प्रस्तुतिकरण में अधिक उपयुक्त होता है। इस गायन प्रकार में विविध प्रकार की लग्गियां, वज़नदार एवं तैयारी में बजाई जानी चाहिए। उसी प्रकार, उन लग्गियों की कलात्मकता के साथ लौट–पलौट करने से अपेक्षित परिणाम अच्छी तरह साध्य होता है।[8]

कुछ तबला–वादकों को ऐसी लग्गियाँ शुरू होने पर लय बढ़ाने का मोह होता है। उस हालात में गायक को वह मुखड़ा बढ़ी हुई लय में गाना पड़ता है। ऐसा वादन उचित नहीं है, क्योंकि पुनः मूल लय में जब ठेका पकड़ने की बारी आ जाती है, तब गायक और तबला–वादक के लिए जो थोड़ी सी धांधली होती है, उसमें रस हानि हो जाती है।[9]

8. ध्रुवपद–धमार गायन– इस गायन शैली के लिए पखावज की वादन–शैली का सीमित उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेंशा ढाले स्वर का तबला लेना आवश्यक है और खुले हाथों से पूरब–वादन शैली से ठेका बजाया जाए तो उससे उचित परिणाम साधा जा सकता है। ध्रुवपद–धमार के गायक लयकारी में पक्के होते हैं।

फलतः समानान्तर वादन–शैली में गायक की लयदार गायकी के अनुरूप 'उपज' अंग के साथ संगत अगर तबला–वादक ने की तो उचित

परिणाम साध्य किया जा सकता है। बैठे–बिठाए हुए टुकड़े सहसा काम नहीं आते। इस गायन के साथ संगत करने के लिए चौताल, धमार आदि तालों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि केवल त्रिताल का प्रभुत्व यहाँ काम नहीं आता। लम्बे पल्लों का स्वतन्त्र अध्ययन किया होना चाहिए, जिसके अनुरूप साथ–संगत करना सुविधाजनक होता है।[10]

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय गायन शैलियों के साथ तबला संगति के लिए तबला वादक को उन शैलियों का कुशल जानकार होना आवश्यक होता है। यदि तबला वादक को गायन का अभ्यास हो तो वह अच्छी प्रकार से संगति को सजा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. प्रो0 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2014 को टेलिफोनिक साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।
2. माईणकर, पं0 सुधीर, तबला वादन कला और शास्त्र, पृष्ठ संख्या–145
3. गायक, पं0 सुनील कुमार विश्वकर्मा, प्राध्यापक गायन, प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।
4. माईणकर, पं0 सुधीर, तबला वादन कला और शास्त्र, पृष्ठ संख्या–146
5. श्रीवास्तव, डॉ0 सुनीता, तबला वादन की तकनीकी और सौन्दर्य पक्ष, पृष्ठ संख्या– 270
6. चिश्ती, डॉ0 एस0 आर0, तबला संचयन, पृष्ठ संख्या– 326।
7. पं0 विनोद मिश्र, तबला–संगतिकार, संगीत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के दिनांक 22/02/2015, टेलिफोनिक साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।
8. तबला–संगतिकार पं0 अशोक पाण्डेय, वाराणसी के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।
9. प्रो0 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, इलाहाबाद के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।
10. ध्रुवपद–धमार गायक डॉ0 विशाल जैन, सहायक प्रवक्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य।

नीतू पाण्डेय
कनिष्ठ शोध अध्येता, संगीत विभाग
बनस्थली बिद्यापीठ,राजस्थान